भारत में कागज उद्योग

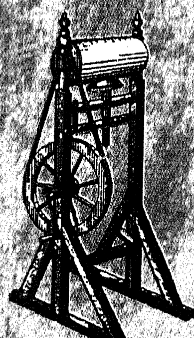
प्रादुर्भाव, समस्यायें एवं समाधान



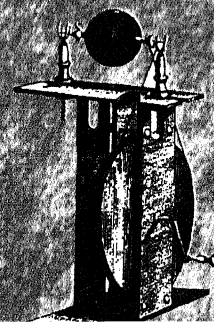








दिनेश शर्मा



किसी देश में कागज का उपभोग अर्थव्यवस्था के विकास के स्तर के साथ-साथ लोगों के रहन-सहन के स्तर का सूचक है। एशिया में कागज का कुल औसत प्रयोग 18 कि०ग्रा० और विकासशील देशों में 150 से 250 कि०ग्रा० होने की अपेक्षा भारत में प्रति व्यक्ति कागज का प्रयोग लगभग 3 कि०ग्रा० होने का अनुमान है। अमेरिका में प्रतिव्यक्ति कागज का उपभोग लगभग 330 कि०ग्रा० होने का अनुमान है। इससे यह प्रदर्शित होता है कि भारत में कागज उद्योग के विकास की बड़ी सम्भावनाएं हैं। भारत में कागज उद्योग उन दस उद्योगों में से एक है जिनका राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में प्रमुख स्थान है। यहाँ न्यूजप्रिंट की मांग में 6 से 8% की स्थिर वृद्धि हुई है। यहाँ केवल 30% न्यूजप्रिंट का ही आयात किया गया है जिससे घरेलू उत्पादन/बाजार को प्रोत्साहन मिला है।

हाल ही में भारतीय कागज उद्योग को कठिनाई के दौर से गुजरना पड़ रहा है। वर्ष 1995 से 1999 की अवधि के दौरान निवेश लागत बढ़ने और माल की मूल्य वसूली में कमी आने के कारण आयात में वृद्धि हुई। आज कागज उद्योग के संयंत्रों और मशीनों के तुरंत आधुनिकीकरण की आवश्यकता है। कुछ इकाइयों में लगी मशीनें 50 से 60 वर्ष पुरानी है, विद्युत आपूर्ति अनियमित है और परिवहन लागत बढ़ती जा रही है। इन परिस्थितियों में कागज की छोटी इकाइयाँ विशेष रूप से भयंकर खतरे में हैं और उनका टिके रहना भी कठिन होता जा रहा है।

वर्ष 1970 के पूर्व और वर्ष 1995 को छोड़कर कागज उद्योग के क्षमता उपभोग का स्तर 50 से 60% ही रहा है। कमक्षमता उपभोग होने के कारण भी काफी मिले बंद होती जा रही हैं।

लेखक ने कागज उद्योग की वृद्धि और विकास का गहराई से अध्ययन किया है और उनके द्वारा वर्तमान में आ रही समस्याओं का विश्लेषण भी किया गया है। कागज उद्योग को और अधिक सक्षम एवं मजबूत बनाने के उद्देश्य से लेखक द्वारा अनेक उपाय भी सुझाए गए हैं। भारत में कागज उद्योग को मुख्य धारा में लाने की दृष्टि से उनकी अंतर्राष्ट्रीय संदर्भो से तुलना भी की गई है। कागज उद्योग को ठोस आधार प्रदान करने के लिए लेखक ने कागज उद्योग के सम्बन्ध में एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया है।

यह पुस्तक भारत में कागज उद्योग से सम्बन्धित उपलब्ध वर्तमान अत्यल्प साहित्य में वृद्धि करने का एक स्तुत्य प्रयास एवं अभिनव प्रयोग है।

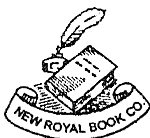
आई०एस०बी०एन०- *81-85936-64-1*

भारत में कागज उद्योग

प्रादुर्भाव, समस्यायें एवं समाधान

दिनेश शर्मा

एम.काम., डी.पी.ए., पी-एच.डी.
उपाचार्य, वाणिज्य विभाग,
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ



न्यू रॉयल बुक कम्पनी
लखनऊ



यह पुस्तक
मेरे पूज्य माता-पिता
को श्रद्धा पूर्वक समर्पित है
श्री केदारनाथ शर्मा "पाधा जी" (पिता)
श्रीमती शान्ती शर्मा (माता)

प्रथम संस्करण 2003

ISBN 81-85936 - 64 - 1

प्रकाशक

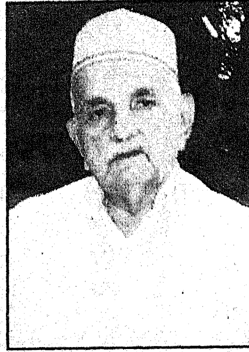
न्यू रॉयल बुक कम्पनी

प्रथम तल, शाह बिजनेस सेन्टर,
32/16, बाल्मीकी मार्ग, लालबाग
लखनऊ -226 001
फोन : (0522) 2285607

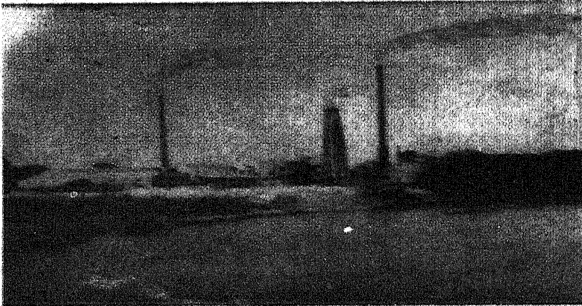
मूल्य–**345/-**

भारत में मुद्रित

श्री एम.एफ. बेग द्वारा न्यू रॉयल बुक कं०, लखनऊ के लिये प्रकाशित, और आर्क–टेक कम्प्यूटर्स, लखनऊ द्वारा टाइपसैट तथा नार्दर्न इण्डिया ऑफसेट, लखनऊ द्वारा मुद्रित।



भारत की प्रथम कागज मिल
"अपर इण्डिया कूपर पेपर मिल्स कम्पनी लिमिटेड" लखनऊ
के संचालक सेठ चम्पक लाल खुशाल दास पारेख
जो आज भी नब्बे वर्ष की अवस्था में भारत में कागज उद्योग
के विकास के लिए सतत् प्रयत्नशील है।

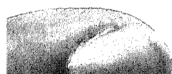


भारत की प्रथम कागज मिल-अपर इण्डिया कूपर पेपर मिल्स कम्पनी लिमिटेड, लखनऊ



वर्ष १९५० में "अपर इण्डिया कूपर पेपर मिल्स कम्पनी लिमिटेड" के प्रबन्धन को सम्भालने के बाद सौराष्ट्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री स्व. उच्छरंग राय डेबर के साथ मिल के प्रबन्ध निदेशक सेठ चम्पक लाल खुशाल दास पारेख भारत में कागज उद्योग की समृद्धि के लिए अपने सुझाव देते हुये।





अनुक्रमणिका

	भूमिका	i
	अभिस्वीकृति	ii-iii
	आमुख	iv
I-	प्रस्तावना	1-5
II-	कागज उद्योग - एक पूर्वावलोकन	6-26
III-	उद्योग की संरचना	27-42
IV-	उद्योग का विकास	43-56
V-	सार्वजनिक क्षेत्र	57-66
VI-	कच्चा माल और संसाधन/प्रक्रिया	67-74
VII-	सरकारी प्रोत्साहन और उत्पाद शुल्क	75-81
VIII-	समकालीन अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियाँ	82-104
XI-	भारत में कागज उद्योग के विकास के लिए एक राष्ट्रीय नीति की आवश्यकता	105-116
	परिशिष्ट-I-प्रश्नावली	117-131
	चयनित सन्दर्भ	132-133

भूमिका

डॉ० दिनेश शर्मा द्वारा लिखित द्वितीय पुस्तक- **''भारत में कागज उद्योग प्रादुर्भाव, समस्यायें एवं समाधान''** की भूमिका लिखते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। मुझे डॉ० शर्मा को जानने का अवसर प्रथम बार तब मिला जब यह बी.काम. प्रथम वर्ष के छात्र थे। यह प्रारम्भ से ही बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। डॉ० शर्मा वाणिज्य के क्षेत्र में अग्रिम अनुसंधान कार्य कर रहे युवा व्यवसाय-वैज्ञानिकों में एक प्रमुख स्थान रखते हैं।

कागज और कागज बोर्ड के उपभोग में वृद्धि किसी राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक प्रगति का बैरोमीटर है। डॉ० शर्मा ने भारत के कागज उद्योग की वृद्धि और विकास की पहचान की है और उनकी तमाम समस्याओं को जाँचा परखा है। यह सत्य है कि कागज उद्योग के प्रति सरकार ने उतना ध्यान नहीं दिया है, जितना अन्य उद्योगों के प्रति। 125 वर्ष पुराना यह उद्योग आज भी आधुनिकीकरण और नई तकनीक के अभाव जैसी समस्याओं का सामना कर रहा है। इस उद्योग की उन्नति के लिए मूलभूत सुविधाओं का प्रावधान और कच्चेमाल की आपूर्ति का अनवरत प्रवाह अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। डॉ० शर्मा द्वारा प्रस्तावित कागज उद्योग के लिए निजी वन क्षेत्र सम्बन्धी सुझाव उद्योग की समृद्धि के लिए एक आवश्यक आवश्यकता प्रतीत होती है। निजी और सरकारी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर कागज की मिलें तेजी से बढ़ रही हैं। जबकि कागज उद्योग की रीढ़ वास्तव में लघुउद्योग वाली कागज की इकाइयाँ हैं। भविष्य में इन इकाइयों का बढ़ती प्रतिस्पर्धा में टिके रह पाना मुश्किल है, जो एक गंभीर समस्या का रूप लेता जा रहा है।

सुबोध शैली में लिखी यह पुस्तक पढ़ने में अत्यन्त रुचिकर है। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि यह पुस्तक विद्यार्थियों और इस व्यवसाय और उद्योग से जुड़े व्यक्तियों के लिए अत्यंत लाभदायक होगी।

(प्रो० सुरेन्द्र सिंह)
कुलपति
महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी

भूमिका

डॉ० दिनेश शर्मा द्वारा लिखित द्वितीय पुस्तक- **"भारत में कागज उद्योग प्रादुर्भाव, समस्यायें एवं समाधान"** की भूमिका लिखते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। मुझे डॉ० शर्मा को जानने का अवसर प्रथम बार तब मिला जब यह बी.काम. प्रथम वर्ष के छात्र थे। यह प्रारम्भ से ही बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। डॉ० शर्मा वाणिज्य के क्षेत्र में अग्रिम अनुसंधान कार्य कर रहे युवा व्यवसाय-वैज्ञानिकों में एक प्रमुख स्थान रखते हैं।

कागज और कागज बोर्ड के उपभोग में वृद्धि किसी राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक प्रगति का बैरोमीटर है। डॉ० शर्मा ने भारत के कागज उद्योग की वृद्धि और विकास की पहचान की है और उनकी तमाम समस्याओं को जाँचा परखा है। यह सत्य है कि कागज उद्योग के प्रति सरकार ने उतना ध्यान नहीं दिया है, जितना अन्य उद्योगों के प्रति। 125 वर्ष पुराना यह उद्योग आज भी आधुनिकीकरण और नई तकनीक के अभाव जैसी समस्याओं का सामना कर रहा है। इस उद्योग की उन्नति के लिए मूलभूत सुविधाओं का प्रावधान और कच्चेमाल की आपूर्ति का अनवरत प्रवाह अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। डॉ० शर्मा द्वारा प्रस्तावित कागज उद्योग के लिए निजी वन क्षेत्र सम्बन्धी सुझाव उद्योग की समृद्धि के लिए एक आवश्यक आवश्यकता प्रतीत होती है। निजी और सरकारी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर कागज की मिलें तेजी से बढ़ रही हैं। जबकि कागज उद्योग की रीढ़ वास्तव में लघुउद्योग वाली कागज की इकाइयाँ हैं। भविष्य में इन इकाइयों का बढ़ती प्रतिस्पर्धा में टिके रह पाना मुश्किल है, जो एक गंभीर समस्या का रूप लेता जा रहा है।

सुबोध शैली में लिखी यह पुस्तक पढ़ने में अत्यन्त रुचिकर है। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि यह पुस्तक विद्यार्थियों और इस व्यवसाय और उद्योग से जुड़े व्यक्तियों के लिए अत्यंत लाभदायक होगी।

(प्रो० सुरेन्द्र सिंह)
कुलपति
महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी

भूमिका

डॉ० दिनेश शर्मा द्वारा लिखित द्वितीय पुस्तक- **"भारत में कागज उद्योग प्रादुर्भाव, समस्यायें एवं समाधान"** की भूमिका लिखते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। मुझे डॉ० शर्मा को जानने का अवसर प्रथम बार तब मिला जब यह बी.काम. प्रथम वर्ष के छात्र थे। यह प्रारम्भ से ही बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। डॉ० शर्मा वाणिज्य के क्षेत्र में अग्रिम अनुसंधान कार्य कर रहे युवा व्यवसाय-वैज्ञानिकों में एक प्रमुख स्थान रखते हैं।

कागज और कागज बोर्ड के उपभोग में वृद्धि किसी राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक प्रगति का बैरोमीटर है। डॉ० शर्मा ने भारत के कागज उद्योग की वृद्धि और विकास की पहचान की है और उनकी तमाम समस्याओं को जाँचा परखा है। यह सत्य है कि कागज उद्योग के प्रति सरकार ने उतना ध्यान नहीं दिया है, जितना अन्य उद्योगों के प्रति। 125 वर्ष पुराना यह उद्योग आज भी आधुनिकीकरण और नई तकनीक के अभाव जैसी समस्याओं का सामना कर रहा है। इस उद्योग की उन्नति के लिए मूलभूत सुविधाओं का प्रावधान और कच्चेमाल की आपूर्ति का अनवरत प्रवाह अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। डॉ० शर्मा द्वारा प्रस्तावित कागज उद्योग के लिए निजी वन क्षेत्र सम्बन्धी सुझाव उद्योग की समृध्दि के लिए एक आवश्यक आवश्यकता प्रतीत होती है। निजी और सरकारी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर कागज की मिलें तेजी से बढ़ रही हैं। जबकि कागज उद्योग की रीढ़ वास्तव में लघुउद्योग वाली कागज की इकाइयाँ हैं। भविष्य में इन इकाइयों का बढ़ती प्रतिस्पर्धा में टिके रह पाना मुश्किल है, जो एक गंभीर समस्या का रूप लेता जा रहा है।

सुबोध शैली में लिखी यह पुस्तक पढ़ने में अत्यन्त रुचिकर है। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि यह पुस्तक विद्यार्थियों और इस व्यवसाय और उद्योग से जुड़े व्यक्तियों के लिए अत्यंत लाभदायक होगी।

(प्रो० सुरेन्द्र सिंह)
कुलपति
महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी

अभिस्वीकृति

मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस कार्य को पूरा करने में विभिन्न प्रकार से मेरा सहयोग किया है। मैं कागज उद्योग के क्षेत्र से सम्बन्धित विभिन्न इकाइयों/संस्थाओं/संगठनों का आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे अपेक्षित सूचना को उपलब्ध कराया। उन कई व्यक्तियों का नाम गिनाना मेरे लिए सम्भव नहीं है। जिनसे मैंने विचार विमर्श किया। वास्तव में, मैं उन सभी को ह्रदय से धन्यवाद देता हूँ।

सेठ श्री चंपक लाल खुशाल दास पारेख (प्रसिद्ध उद्योगपति), श्री यू.सी. पारेख (कन्हैया भाई), प्रबंध निदेशक, अपर इंडिया कूपर पेपर मिल्स कम्पनी लिमिटेड, लखनऊ और श्री राजेश शर्मा, वित्त प्रबंधक, उद्योग बंधु तथा अपने बहनोई स्व. ए. के. शर्मा (डाइरेक्टर, अभ्युदय पेपर मिल) को मैं अपना हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने लेखन, दिशा निर्देशन व सामग्री संग्रह में मेरी सहायता की और प्रोत्साहित किया। मैं अपने पूज्य पिता प्रसिद्ध कागज व्यावसायी श्री केदारनाथ शर्मा (पाद्याजी), चाचा श्री रामनाथ शर्मा एवं श्री कैलाश नाथ शर्मा, बड़े भाई श्री अशोक कुमार शर्मा, श्री प्रदीप शर्मा 'चुन्नू', श्री सुधीर शर्मा, श्री श्री रामचन्द्र पाण्डे, प्रह्लाद शर्मा, श्री गणेश शर्मा तथा छोटे भाई श्री आशुतोष शर्मा और कागज व्यावसाय से जुड़े परिवार के अन्य सदस्यों एवं शुभचिन्तकों का विशेष आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके अनुभव व विषय ज्ञान ने समय-समय पर मुझे कागज उद्योग की गहनता और महत्व को समझने में सहयोग व प्रेरणा प्रदान की।

मैं अपने गुरु प्रो० डॉ० के०के० सक्सेना, वाणिज्य संकाय के भूतपूर्व अधिष्ठाता एवं विभागाध्यक्ष, लखनऊ विश्वविद्यालय का अत्यंत आभारी हूँ जिन्होंने अपना मूल्यवान सुझाव मुझे सदैव प्रदान किया है। मैं विश्वविद्यालय/विभाग के अपने सम्मानित सहयोगियों द्वारा निरंतर अपना स्नेह व समर्थन बनाए रखने के लिए उन्हे कोटिशः

धन्यवाद देता हूँ। जिसमें प्रो० डॉ० जे० एन.शुक्ला, प्रो० डॉ० एच०सी० श्रीवास्तव, प्रो० डॉ० डी०पी० मिश्रा, प्रो० डॉ० सियाराम, प्रो० डॉ० ए० चटर्जी, प्रो० डॉ० अरविन्द कुमार, डॉ० सोमेश शुक्ला, डॉ० राम मिलन, डॉ० अवधेश कुमार, डॉ० के०डी० सिंह, डॉ० पुष्पेन्द्र मिश्रा आदि का मैं विशेष आभारी हूँ, जिन्होने समय-समय पर अपना मार्गदर्शन व सहयोग मुझे प्रदान किया।

वाणिज्य विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष और वाणिज्य संकाय लखनऊ विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता प्रो० डॉ० आर०के० त्रिपाठी ने इस पुस्तक को पूरा करने के लिए मुझे आवश्यक दिशा निर्देश देने के साथ-साथ प्रोत्साहित भी किया, मैं उनका हृदय से नमन एवं आभार व्यक्त करना अपना दायित्व समझता हूँ।

अंत में मैं अपने सम्माननीय कुलपति प्रो० डॉ० एस०बी० सिंह का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने आवश्यकता के समय मुझे अपना मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने में कृपा पूर्वक और प्रचुर मात्रा में अपना मूल्यवान समय प्रदान किया।

वाणिज्य विभाग
लखनऊ विश्वविद्यालय,
लखनऊ

(दिनेश शर्मा)

आमुख

इस पुस्तक के प्रकाशन का प्रमुख उद्देश्य कागज उद्योग के क्षेत्र से सम्बन्धित नई विचारधारा उत्पन्न करना और उसे प्रोत्साहित करना है। भारत का यह उद्योग यद्यपि 125 वर्ष् पुराना है, फिर भी यह नई तकनीकी के अभाव का शिकार हैं, इसके आधुनिकीकरण की तुरन्त आवश्यकता है। अनुमान है कि इसके आधुनिकीकरण की लागत रु० 1500 करोड़ से अधिक होगी और इसके लिए नई मशीनरी और तकनीकी को आयात करना होगा।

भारत में कागज का प्रति व्यक्ति उपभोग लगभग 3 कि०ग्रा० है जबकि एशिया का औसत 18 कि०ग्रा० से अधिक और विकासशील देशों में लगभग 150 से 250 कि०ग्रा० तक है। अमेरिका में प्रति व्यक्ति उपभोग लगभग 330 कि०ग्रा० होने का अनुमान है। इससे प्रतीत होता है कि भारत में कागज उद्योग की वृद्धि और विकास की बड़ी संभावनाएं है। स्पष्ट है कि इस उद्योग के पुनर्गठन और आने वाले अगले 15 से 20 वर्षो के लिए हमारे देश में इसके सम्बन्ध में नीति निर्धारित करने की आवश्यकता है।

यह कहना आवश्यक प्रतीत होता है कि भारत में कागज उद्योग से सम्बन्धित पुस्तकें और जर्नल्स गिने चुने ही हैं। यह स्वयं ही इस पुस्तक की महत्ता सुनिश्चित करता है कि यह लेखक द्वारा किए गए नए अनुसंधान का परिणाम है। अंग्रेजी भाषा में पूर्व में लेखक द्वारा लिखी गई पुस्तक **"Strategy for Development of Paper Industry in India"** का यह हिन्दी में संशोधित रूप है।

यदि यह पुस्तक लोगों की सूचना और ज्ञान में अभिवृद्धि करती है तो लेखक इसे अपने परिश्रम का पुरस्कार समझेगा। परिशिष्ट I के रूप में दी गई प्रश्नावली का प्रारूप भी लेखक ने तैयार किया है। लेखक को आशा है कि इस विषय के बारे में अध्ययन/सर्वेक्षण करने के इच्छुक अनुसंधानकर्ताओं के लिए यह प्रारूप शोधकार्यो में सहायक सिद्ध होगा।

वाणिज्य विभाग
लखनऊ विश्वविद्यालय
लखनऊ

(दिनेश शर्मा)

अध्याय-1

प्रस्तावना

'पपाइरस' की खोज चीनी सभ्यता के साथ-साथ मिस्र और मेसोपटामियाँ की सभ्यता के दौरान हुआ, जो आगे चलकर वर्तमान समय के कागज उद्योग के रूप में विकसित हुआ। वास्तव में कागज उद्योग के प्रारंभ होने की निश्चित तिथि ज्ञात नहीं है, फिर भी यह छठी शताब्दी ईसापूर्व के दौरान किसी समय विकसित हुआ होगा, सर्वप्रथम चीन में 105 ईसवी में हाथ कागज का प्रयोग हुआ। भारत में कागज उद्योग की प्रथम इकाई वर्ष 1832 में प्रारंभ हुई। वर्ष 1879 में भारत में पहली बार व्यावसायिक रूप में कागज का उत्पादन देश की पहली कागज मिल "अपर इण्डिया कूपर पेपर मिल्स कम्पनी लिमिटेड" लखनऊ ने शुरू किया। इसके बाद तक तीन और कुल मिलाकर चार कागज की मिलों ने जिनमें अपर इंडिया कूपर पेपर मिल्स कम्पनी लिमिटेड, लखनऊ (1879), टीटागढ़ पेपर मिल (1882), दक्कन पेपर मिल (1887) और बंगाल पेपर मिल (1889) आदि शामिल थी, इन सभी मिलों में कागज का व्यावसायिक उत्पादन पूरी तरह प्रारंभ कर दिया गया था। लखनऊ स्थित देश की प्रथम कागज मिल "अपर इण्डिया कूपर पेपर मिल्स कम्पनी लिमिटेड" का प्रबन्धन वर्ष 1950 से प्रसिद्ध उद्योगपति सेठ चम्पक लाल खुशाल दास पारेख के पास आया, इससे पूर्व श्री मुन्शी नवल किशोर भार्गव इसे संचालित कर रहे थे।

भारत में कागज उद्योग की वृद्धि नियोजित विकास की अवधि के दौरान हुई। वर्ष 1913 के आते-आते भारत में सात पेपर मिलें लगभग 25000 टन पेपर का प्रतिवर्ष

उत्पादन करने लगी। वर्ष 1960–65 में कागज उद्योग ने गति पकड़ी और इसकी प्रतिस्थापित क्षमता में 61% तथा उत्पादन में 56% की वृद्धि हुई, जबकि वर्ष 1960 में लगी 25 इकाइयों की तुलना में इसकी इकाइयों की संख्या दो गुनी होकर वर्ष 1965 में 52 हो गई। इस अवधि में कृषि अवशेष और रद्दी कागज आधारित छोटी कागज की मिलों का आगमन हुआ। इस उद्योग में तीव्र वृद्धि का श्रेय भारतीय वनों को जाता है, जिनसे सेल्युलोज कच्चा माल उपलब्ध हुआ। वर्ष 1965–75 के दौरान कागज उद्योग में अधिक निवेश न करने और इसी प्रकार के अन्य कारणों से यह उद्योग स्थिर रहा। साथ ही प्रतिस्थापित क्षमता से कई गुना अधिक इस्तेमाल के कारण कागज उद्योग में संकट उत्पन्न हो गया। वर्ष 1968 तक कागज पर सरकार ने कन्ट्रोल लगा रखा था, जिससे प्रगति धीमी रही।

वर्ष 1970 से सरकार ने देश भर में छोटी-छोटी कागज मिलों को लगाने को प्रोत्साहित किया। कुछ मिलों का उत्पादन तो एक टन के आस-पास था। वर्ष 1980 में छोटी कागज की मिलों (जिनकी क्षमता 24000 टन प्रतिवर्ष से कम थी) में चमत्कारिक वृद्धि हुई। आज देश में कागज की कुल उत्पादन क्षमता का 50% भाग इन्हीं छोटी कागज की मिलों द्वारा होता है। वर्ष 1989–91 की अवधि में इसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई और यह पाया गया कि कागज उद्योग 1980 से 1988 के मध्य लगभग एक दशक से चली आ रही दीर्घ कालिक मंदी के दौर से बाहर आ गया है। उन्हीं दिनों सरकार ने रद्दी कागज और कृषि आधारित छोटी मिलों को विदेशों से पुरानी मशीनें आयात करने की अनुमति भी प्रदान कर दी।

वर्ष 1990–91 में कागज कंपनियों के वित्तीय परिणामों के अंतर्गत उनकी लाभप्रभता आधारभूत सुधार दृष्टिगोचर हुआ। वर्ष 1991 की समाप्ति तक कागज के मिलों की संख्या 334 थी, जिनमें बड़ी श्रेणी की 34 मिलें थी और मध्यम और छोटी दर्जे की मिलों की संख्या क्रमशः 28 और 272 थी।

पिछले दस वर्षो के दौरान मूल्य में वृद्धि एवं वितरण नियंत्रण के साथ-साथ औद्योगिक और पैकिंग संबंधी कागज की मांग में वृद्धि के कारण, इनमें महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। इसके कारण इन उद्योगों ने कागज के मूल्य में बार-बार वृद्धि की और इससे इनकी लाभप्रदता में सुधार हुआ है। इस प्रकार बड़ी एकीकृत कागज की मिलों को अत्यधिक लाभ हुआ क्योंकि उन्हें नियंत्रित मूल्यों पर सफेद मुद्रण कागज

(ह्वाइट प्रिंटिंग पेपर) की आपूर्ति करने की बाध्यता से मुक्ति मिल गई। बाजार परिस्थितियों में अनुकूल परिवर्तन के कारण भी इनके लाभ में वृद्धि हुई। इससे कागज उद्योग विशेष रूप में बड़ी कागज की मिलों को हुई हानि को पूरा करने में सहायता मिली। 1990 के बाद के वर्षो में बेहतर व्यापारिक परिस्थितियाँ बनी रहने के कारण बड़ी कागज की मिलों के शेयर मूल्यों में वृद्धि हुई। देश में साक्षरता अभियानों और उदारवादी नीतियों के कारण पेपर तथा पेपर बोर्ड की माँग बढ़ने लगी। 1993 में विश्व बाजार भी खुलने लगा तथा देश में काफी पूँजी की स्थापना हुई। वर्ष 1996 तक कागज उद्योग बहुत अच्छी स्थिति में रहा।

इस अवधि में बेहतर निष्पादन हुआ और कुछ बड़ी मिलों ने 85 से 90 प्रतिशत अपनी उत्पादन क्षमता का उपभोग किया। लेकिन अभी इस उद्योग की कुल क्षमता के उपभोग का स्तर काफी नीचा रहा। वर्ष 1988 में कुल क्षमता के 60.3% भाग का उपभोग किया गया। वर्ष 1989 के 61.4% की अपेक्षा वर्ष 1990 में कुल क्षमता के 64% के रिकार्ड स्तर तक का उपभोग किया गया। लेकिन वर्ष 1991 में इसमें अत्यधिक कमी आई और कुल 59.8% की क्षमता का ही उपभोग किया जा सका। वर्ष 1991 में 25.2 लाख टन की कुल परिचालनात्मक क्षमता के विरुद्ध 19.6 लाख टन कागज का उत्पादन किया गया।

वर्ष 1996 से 1999 तक विश्व बाजार में मन्दी के कारण भारतीय बाजार भी सुस्त रहा। इस अवधि के दौरान निम्नलिखित कुछ नयी समस्याएं भी पैदा हुई और इन्होनें भारत के कागज उद्योग को अत्यधिक प्रभावित किया:

(i) खाड़ी युद्ध
(ii) पेट्रोलियम पदार्थो में मूल्य वृद्धि
(iii) आयातित कच्चे माल की लागत में वृद्धि
(iv) भारतीय रुपयों का अवमूल्यन और
(v) मुद्रास्फीति की अधिक दर

साथ ही सामान्य किस्म के कागज के मूल्य में लगभग 50% की वृद्धि भी हुई। इसी प्रकार विशेष किस्म के कागज के मूल्य में लगभग 100% की वृद्धि हुई। इस अवधि के दौरान बाजार के परिस्थितियों के कारण उपभोक्ताओं द्वारा कागज की मांग में कमी हुई। यह स्थिति 20 वीं सदी के अन्तिम दशक तक बनी रही।

वे बड़ी समस्याएं जिनका सामना भारतीय कागज उद्योग कर रहा है निम्नलिखित है:

1. कच्चे माल की कमी
2. क्षमता का पूर्ण उपयोग न करना
3. मशीनरी और संयंत्र के आधुनिकीकरण की आवश्यकता
4. यथासंभव वन आधारित भूमि पर कागज उद्योग की इकाई लगाना
5. बीमार इकाइयों को पुनर्जीवित करने संबंधी पैकेज
6. लकड़ी की लुगदी और रद्दी कागज का आयात
7. कच्चे माल के रूप में खोई और अन्य कृषि अवशिष्टों को बढ़ावा देना
8. विदेशी निवेशकों को अधिक अवसर प्रदान करना
9. आधुनिक तकनीकी से युक्त नई मशीनरी एवं नए संयंत्र स्थापित करना।

वनों के कच्चे माल पर आधारित स्वीकृत बड़ी कागज की मिलों के साथ ही कृषि आधारित कच्चे माल और रद्दी कागज का इस्तेमाल करने वाली छोटी कागज की मिलों के लिए कच्चे माल की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति करने सम्बन्धी समस्या, एक बड़ी चुनौती है।

अधिकतर कागज की मिलों में लगी मशीनें 50 वर्षो से अधिक पुरानी हैं। जबकि कुछ में 30 वर्ष से अधिक पुरानी हैं। ये इन उद्योगों को बीमार बनाने के प्रमुख कारक हैं। इन मशीनों को उन्नत बनाना अधिक खर्चीला हैं और जिसमें अधिक निवेश की आवश्यकता है, साथ ही इसकी आयोजना अभी की जानी शेष है।

वर्ष 1960 और 1970 के दौरान देश के विभिन्न भागों में कागज उद्योग में बेतरतीब और गैर आयोजित वृद्धि होने के कारण कागज उद्योग बीमार हो गया। हमारे देश में आयोजना का युग प्रारंभ होने के बाद भी देश के कई भागों में इसके बेतरतीब वृद्धि को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया गया। गैर आयोजित विकास की इस वृद्धि में सुधार करने के लिए सतर्क निगाह रखने की आवश्यकता है।

कागज की माँग में लगभग 5 से 6% वार्षिक वृद्धि की आशा की जाती है और इस उद्योग को अब प्रतिवर्ष लगभग 40 लाख टन कागज का उत्पादन करना होगा

जबकि इसका उत्पादन केवल 20 लाख टन ही है। इस बढ़े हुए उत्पादन के लिए 4300 करोड़ रूपये से अधिक के अतिरिक्त निवेश किए जाने का अनुमान है। साथ ही इसके लिए नई तकनीकी का आयात किया जाना है। वर्ष 2000 का आगमन विश्व और भारतीय दोनों बाजारों के लिए अच्छा साबित हुआ। इसके प्रथम चरण में कागज मिलों की उत्पादकता अच्छी रही। बहुत सी मिलें अपना मुनाफा बढ़ाने में कामयाब रही हैं। अर्थशास्त्र का नियम है कि कोई भी वस्तु जब मन्दी के दौर से बाहर आती है तो उसके दामों में भारी उठा पटक होती है, परन्तु कुछ समय के पश्चात वह अपना स्थान ढूढ़ कर स्थिर हो जाती है।

पेपर तथा पेपर बोर्ड भी आज इसी स्थिति में पहुँच गया है। दामों में उतार-चढ़ाव कायम है। यह अनिश्चितता बहुत समय तक नहीं चलने वाली। भारी उछाल के बावजूद दाम नियन्त्रण में आने लगे हैं। तथा कुछ समय बाद उनके स्थिर हो जाने की पूरी सम्भावना है।

भारत में कागज उद्योग वन आधारित कच्चे माल की कमी की समस्या से लगातार जूझ रहा है। इस उद्योग ने वनों में निजी लाइनें बिछाने की मांग की है, ताकि यह अपने पैरों पर खड़ा हो सके। यह एक ऐसा मामला है, जिस पर गहराई से विचार किया जाना है और इसमें घरेलू के साथ-साथ विदेशी निवेश का मामला भी शामिल है। सरकार की नई आर्थिक नीतियों और निजी एवं विदेशी निवेश में अनुकूल परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए कागज उद्योग के सावधानीपूर्वक पुनर्निर्माण और पुर्नगठन की आवश्यकता है।



अध्याय-II

कागज उद्योग-एक पूर्वावलोकन

भारत में कागज उद्योग का आगमन वर्ष 1932 से हुआ जब पश्चिमी बंगाल के संरामपुर में पहली कागज मिल प्रारंभ हुई। तब से कागज उद्योग में धीमी परन्तु स्थिर वृद्धि हो रही है। वर्ष 1951 तक 1.37 लाख टन की क्षमता वाली 17 कागज की मिलें थीं जो वर्ष 1990 तक बढ़कर 34.6 लाख टन की क्षमता युक्त 340 से भी अधिक मिलें हो गईं। वर्ष 1990 में पूरे विश्व में इनकी कुल बिक्री 86.8 मिलियन टन थी जो वर्ष 1995 में बढ़कर 96 मिलियन टन हो गई। भारतीय कागज उद्योग में हाल ही में सुधार होना प्रारंभ हुआ है। गुणवत्ता में वृद्धि तथा उत्पादन की मात्रा में वृद्धि का इसके निर्यात पर सीधा प्रभाव पड़ता है। वर्ष 1999 की तुलना में वर्ष 2000 में इसके निर्यात में 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 1998-99 में रू० 355.70 करोड़ की तुलना में भारतीय कागज उद्योग ने कुल रू० 418.50 करोड़ मूल्य के कागज का निर्यात किया। इस प्रकार की वृद्धि से कागज उद्योग भारत के 10 बड़े उद्योगों में से एक हो गया है। भारत से मुख्य रूप से हस्तनिर्मित कागज और संबंधित उत्पादों का निर्यात किया जाता है।

वर्गीकरण

कागज को तीन मुख्य श्रेणियों में बांटा जा सकता है:

1. परिष्कृत (कल्चरल) कागज

2. औद्योगिक कागज
3. विविध प्रयोजनों वाले अन्य कागज

भारत सभी प्रकार के कागज के निर्माण में आत्म निर्भर है। परिष्कृत (कल्चरल) कागज का प्रयोग मुद्रण एवं लेखन में किया जाता है।

(क) मुद्रण कागज

सफेद मुद्रण, रंगीन मुद्रण, लीथो एंड आफसेट, मैपलीथो , प्रिंटिंग कैरिज (85 ग्राम से कम), डुप्लीकेटिंग और अन्य प्रकार के कागज।

(ख) लेखन कागज

क्रीम वोव/रेखित (लेड), ड्राइंग और कार्ट्रिज कागज, एकाउंट बुक, बैंक बॉण्ड, मैनीफोल्ड, टाइपराटिंग, एयर मेल, अन्य प्रकार के कागज।

(ग) रैपिंग कागज

एमजीपोस्टर, क्राफ्ट, ब्राउन, मनीला और अन्य प्रकार के कागज।

टिशूज, विशेष कागज

टिशू ह्वाइट, टिशू कलर्ड, सिगरेट टिशू ग्लासिंग, ग्रीज प्रूफ, आर्ट पेपर, चेक पेपर, इमीटेशन पेपर, ब्लाटिंग पेपर, विशेषज्ञ कार्बोनाइजिंग टिशू और टेलीग्राफ कास्टिंग आदि।

रैग पेपर

(51% और इससे अधिक) ऐजूर और लेड, बैंक और बॉण्ड, मैनीफोल्ड, कार्बोनाइजिंग टिशू, एकाउंट बुक, बेस पेपर और अन्य प्रकार के कागजः

(क) **बोर्ड्स-** डूप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स और टिकट बोर्ड, पल्प बोर्ड, ग्रे बोर्ड और अन्य प्रकार के कागज

(ख) **स्पेशियल्टी बोर्ड्स-** क्रोम बोर्ड और आर्ट बॉण्ड

(ग) **मिल बोर्ड-** मिल बोर्ड

इस खराब स्थिति के कारण निम्नलिखित हैं:

1- गैर आर्थिक आकार
2- पुरानी तकनीक
3- बिजली की कमी और
4- कच्चे माल की अनुपलब्धता

भारत में अधिकतर कागज की मिलें वन आधारित कच्चे माल के प्रयोग पर आधारित हैं। इस प्रकार कच्चे माल की कमी के कारण तकनीक के आधुनिकीकरण और उन्नयन की आवश्यकता है। वन आधारित हमारे कच्चे माल का लागत मूल्य अंतर्राष्ट्रीय इकाई का दसवाँ हिस्सा ही है, जबकि पूँजी लागत अंतर्राष्ट्रीय मानकों की तुलना में दो गुना है। इस प्रकार हमारे इन उद्योगों की लागत अधिक है जबकि मात्रा और गुणवत्ता निचले स्तर की है और तकनीकी और कौशल का स्तर पुराना है।

सरकार कृषि आधारित कागज की मिलों को प्रोत्साहित करती है। ये कागज की मिलें कुल कच्चे माल में कम से कम 75% लुगदी (पल्प) का प्रयोग करती हैं। वे कच्चे माल के रुप में खोई (बैगास), जूट अवशिष्ट (रेज्यूड), कृषि संबंधी रद्दी और रद्दी कागज का प्रयोग करते हैं। लकड़ी की लुगदी की तुलना में कागज निर्माताओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कृषि संबंधी कच्चे उत्पाद की गुणवत्ता काफी खराब है।

औद्योगिक वृद्धि और आधुनिकीकरण

भारत ने जिस कागज और कागज उद्योग में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उच्च तकनीक स्थान हासिल किया है, वह अत्यधिक पूँजी साध्य (कैपिटल इन्टेसिव) है और लंबे गेस्टेशन पीरियड वाला है। स्वतंत्रता के बाद लगभग 5 दशकों से अविरत संरक्षणवादी अर्थव्यवस्था ने अपने तरीके से इस उद्योग को उधार का जीवन प्रदान किया है। इसका कारण स्थिरता के साथ-साथ पुरानी तकनीकी का प्रयोग जारी रखना भी रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी विकास में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। एक ओर तकनीकी प्रक्रिया के विकास तो दूसरी ओर प्रतिस्थापित तकनीकी के विकास के कारण

औद्योगिक कागज के अंतर्गत पैकेजिंग, क्राफ्ट पेपर, टिशू पेपर और मनीला पेपर जैसे:

(क) नालीदार (कोरुगेटेड) बोर्ड

(ख) डिब्बा (कन्टेनर)

(ग) क्राकरी बैग्स

(घ) माचिस की डिब्बी

(ङ) बुना हुआ कोन (टेक्सटाइल कोन) आदि

कागज की मिलों के प्रकार

कागज की मिलों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कच्चे माल के प्रकार के आधार पर उन्हे 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है।

(क) वन आधारित कागज की मिलें

(ख) कृषि आधारित कागज की मिलें

(ग) रद्दी कागज/बाजारू लुगदी (मार्केट पल्प) आधारित कागज की मिलें

मांग

वर्ष 1997-98 में भारत में 30.5 लाख टन कागज की मांग थी जो वर्ष 1999-2000 में बढ़कर 35.8 लाख टन हो गई। इस प्रकार मांग में 5.5 प्रतिवर्ष की वृद्धि हुई। ऐसा अनुमान है कि अगले 5 वर्षों में कागज की मांग में 6 से 7% की वृद्धि होगी।

आकार

अंतर्राष्ट्रीय मानकों की तुलना में भारतीय कागज की मिलों का आकार काफी छोटा है। 33000 टन प्रतिवर्ष (100 टन प्रतिदिन) की न्यूनतम क्षमता वाली कागज की मिल का एक संयंत्र (प्लांट) लगाने की अनुमानित लागत रु० 125 करोड़ से भी अधिक है। इस प्रकार इस उद्योग में पूंजी निवेश का स्तर काफी अधिक है। पिछले दो वर्षों में कुल 327 इकाइयों में से 36% इकाइयाँ बंद हो गई है। इससे प्रतिस्थापित क्षमता 32 लाख टन से घटकर 25 लाख टन हो गई।

इस खराब स्थिति के कारण निम्नलिखित हैं:

1- गैर आर्थिक आकार
2- पुरानी तकनीक
3- बिजली की कमी और
4- कच्चे माल की अनुपलब्धता

भारत में अधिकतर कागज की मिलें वन आधारित कच्चे माल के प्रयोग पर आधारित हैं। इस प्रकार कच्चे माल की कमी के कारण तकनीक के आधुनिकीकरण और उन्नयन की आवश्यकता है। वन आधारित हमारे कच्चे माल का लागत मूल्य अंतर्राष्ट्रीय इकाई का दसवाँ हिस्सा ही है, जबकि पूँजी लागत अंतर्राष्ट्रीय मानकों की तुलना में दो गुना है। इस प्रकार हमारे इन उद्योगों की लागत अधिक है जबकि मात्रा और गुणवत्ता निचले स्तर की है और तकनीकी और कौशल का स्तर पुराना है।

सरकार कृषि आधारित कागज की मिलों को प्रोत्साहित करती है। ये कागज की मिलें कुल कच्चे माल में कम से कम 75% लुगदी (पल्प) का प्रयोग करती हैं। वे कच्चे माल के रुप में खोई (बैगास), जूट अवशिष्ट (रेज्यूड), कृषि संबंधी रद्दी और रद्दी कागज का प्रयोग करते हैं। लकड़ी की लुगदी की तुलना में कागज निर्माताओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कृषि संबंधी कच्चे उत्पाद की गुणवत्ता काफी खराब है।

औद्योगिक वृद्धि और आधुनिकीकरण

भारत ने जिस कागज और कागज उद्योग में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उच्च तकनीक स्थान हासिल किया है, वह अत्यधिक पूँजी साध्य (कैपिटल इन्टेसिव) है और लंबे गेस्टेशन पीरियड वाला है। स्वतंत्रता के बाद लगभग 5 दशकों से अविरत संरक्षणवादी अर्थव्यवस्था ने अपने तरीके से इस उद्योग को उधार का जीवन प्रदान किया है। इसका कारण स्थिरता के साथ-साथ पुरानी तकनीकी का प्रयोग जारी रखना भी रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी विकास में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। एक ओर तकनीकी प्रक्रिया के विकास तो दूसरी ओर प्रतिस्थापित तकनीकी के विकास के कारण

कागज उद्योग में उच्च स्तर के उत्पादों का उत्पादन संभव हुआ है। इसी दिशा में सरकारी नीतिगत ढांचे में भी काफी तेजी से परिवर्तन हुआ है और यह उत्साहवर्धक है कि अब एक मुश्त राशि अदा करके तकनीकी हस्तांतरण संभव होगा और शेष राशि घरेलू और विदेशी बिक्री के साथ रायल्टी के रुप में बाद में वर्ष दर वर्ष अदा की जा सकेगी।

कागज उद्योग में तकनीकी प्रतिस्थापन में अत्यधिक पूँजी लगाना होता है। अधिकतर उपकरण और पूर्जे अभी भी भारत में नहीं बनाए जाते और उन्हें दूसरे देशों से आयात करना पड़ता है। पहले इसकी पूर्ति दो प्रकार से की जाती थी। प्रथम कागज मशीनें मुक्त सामान्य लाइसेंस (ओ जी एल) के अंतर्गत इन उपकरणों एवं पूर्जों का आयात करके करते थे दूसरे कागज की इकाइयाँ स्वयं आयात लाइसेंस प्राप्त करके इनका आयात करती थीं जिसके लिए स्थगित भुगतान के आधार पर वित्तीय संस्थानों से विदेशी ऋण प्राप्त करना होता था। वर्तमान में उद्यमियों को ये दोनों सुविधाएं उपलब्ध नहीं है।

कागज उद्योग में विदेशी इक्विटी की हिस्सेदारी को उदारीकृत करके 51% कर दिया गया है और इसी प्रकार इस इक्विटी हिस्सेदारी से मिलने वाली विदेशी मुद्रा के माध्यम से पूंजीगत माल के आयात की अनुमति है। ऐसी कागज की मिलें, जिनके लिए उद्यमी अकेले पर्याप्त नहीं हैं, को भी आधुनिकीकृत किया जा सकता है। इसके लिए लागत प्रभावकारिता (कास्ट इफेक्टिवनेस) और लागत प्रतियोगितात्मकता (कास्ट कम्पिटीटिवनेस) द्वारा पूँजी लागत को नियंत्रित किया जा सकता है। आधुनिकीकरण और तकनीकी उन्नयन के लिए अत्यधिक पूँजी की आवश्यकता है। हाल के अवमूल्यन के कारण भी पूंजी लागत में तीव्र वृद्धि हुई है। नई औद्योगिक नीति का उद्देश्य एक समय में मुक्त सामान्य लाइसेंस (ओ जी एल) के अंतर्गत सभी पूँजीगत माल और कच्चे माल का अयात संभव करना है।

राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य

भारतीय जनता पार्टी (बी०जे०पी०) की सरकार के विरुद्ध पारित अविश्वास प्रस्ताव के बाद अक्तूबर 1999 में कराए गए मध्यावधि चुनाव में जैसा कि स्पष्ट था,

एक नया गठबंधन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एन०डी०ए०) सत्ता में आया जिसमें बी०जे०पी० की स्थिति मुख्य भूमिका में थी। यद्यपि कांग्रेस विपक्ष में एक अकेली सबसे पार्टी के रुप में उभरी थी, परंतु आंतरिक टूट के कारण वह कमजोर हो गई। उद्योग और बाजार ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सत्ता में आने का स्वागत किया।

स्थिति में सुधार आने के बाद माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेई जी ने पाकिस्तान के साथ सम्बन्धों को सामान्य बनाने की प्रक्रिया प्रारम्भ करने के साथ-साथ बांग्लादेश की यात्रा करके पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। जबकि पाकिस्तान ने भारत को कारगिल में अनचाहे युद्ध की स्थिति का सामना करने के लिए भारत को मजबूर किया। भारत ने अपने पर नियंत्रण रखकर बड़े साहस का परिचय दिया और पूरे विश्व से उसको समर्थन मिला और उसने इस युद्ध जैसी स्थिति में विजय प्राप्त की। इसी प्रकार के गुस्से की झलक तब देखने को मिली जब दिसंबर 1999 के उत्तरार्द्ध में भारतीय एयरलाइन्स कैरियर का एक हवाई जहाज आई० सी० 814 का अपहरण करने जैसा अमानवीय कार्य किया गया। बाद में संसद पर हमला, अक्षरधाम गुजरात में आतंकी हमले ने भारत को आहत किया। वर्तमान समय में पाकिस्तान का भविष्य एक बार पुनः सैनिक शासन के हाथों में है। मई 2003 में प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेयी ने काश्मीर रैली के दौरान पाकिस्तान के साथ अन्तिम बार मैत्री सम्बन्धों को पुर्नस्थापित करने व दोनों पक्षों की आपसी वार्ता का आह्वान किया है। अप्रैल व मई 2003 के इराक व अमेरिका के युद्ध ने पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि की। इसके बावजूद पिछले दो वर्षो में सरकारी नीति ने किसी न किसी प्रकार से कागज उद्योग को प्रोत्साहित करके उद्योग की वृद्धि में सहायता प्रदान की है। निःसंदेह यह उत्साह जनक है।

आर्थिक परिदृश्य

इस भूमिका के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए यह परीक्षा की घड़ी है। वर्ष 1999 का अंत अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा अवसर लेकर आया। भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जी०डी०पी०) में 6% से ज्यादा की वृद्धि प्रदर्शित हुई। वर्ष 1998-99 में 4% से भी कम रही। सुस्त औद्योगिक वृद्धि इस राजकोषीय (फिजकल) वर्ष में उछलकर 7%

तक पहुँच गई। निर्यात वृद्धि, जो 1998-99 में लगभग शून्य रही थी, वर्ष 1999-2000 में तीव्र सुधार प्रदर्शित करते हुए 10% तक जा पहँची। स्वर्ण तथा एस०डी०आर० सहित भारत का विदेशी मुद्रा भंडार दिसंबर 1999 में यू०एस० डालर 34.94 बिलियन के सबसे ऊँचे स्तर पर रहा। यू०एस० डालर के मुकाबले भारतीय रुपये का मूल्य रु० 43.5 पर बना रहा। मुद्रा स्फीति की दर 4% से भी कम दर पर बनी रही। 1 जनवरी 1999 को 3060.34 पर बंद हुए स्टाक मार्केट का बी०एस०ई० का संवेदी सूचकांक (सेंसेक्स) 31 दिसंबर 1999 को 5005.82 तक पहुँच गया। पिछले नौ महीनों में तेल के मूल्य दो गुने होने के कारण वैश्विक उपभोक्ता मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि हुई जिससे तेल शोधन, सीमेंट, आटोमोबाइल और स्टील जैसे क्षेत्रों में कुछ सक्रियता आई।

निर्यात

भारतीय कागज निर्माता एशोसिएशन (आई०पी०एम०ए०) ने हाल ही में अपने सदस्य संस्थानों (बड़ी सघन कागज की मिलों) को अपनी निर्यात नीतियों को अधिक उर्जावान बनाने का सुझाव दिया है। यह निर्णय लिया गया कि चालू राजकोषीय वर्ष के दौरान बड़ी कागज की मिलें को 2,00,000 टन से अधिक कागज और कागज बोर्ड का निर्यात नहीं करना चाहिए। यह माना पिछले राजकोषीय वर्ष के कुल निर्यात निष्पादन लगभग 1,60,000 टन से 25% अधिक है। यह आशा की जाती है कि सदस्य मिलें इन नीतियों का पालन करेंगी और उनके इस कदम से मूल्य वृद्धि से त्रसित घरेलू उपभोक्ताओं को कागज और कागज बोर्ड की सभी किस्मों की आपूर्ती करने की स्थिति में सुधार आएगा। साथ ही घरेलू उपभोक्ताओं के लिए मूल्यों को नियंत्रित करने में अस्थाई रुप से सहायता मिलेगी। आई०पी०एम०ए० द्वारा समय-समय पर उठाए गए इन उपायों से कागज उद्योग में न केवल सकारात्मक वृद्धि होगी बल्कि वे उपभोक्ताओं का विश्वास अर्जित कर सकेंगे और बाजार-मांग प्रवृत्ति को नियंत्रित कर सकेंगे।

निष्पादन

कागज उद्योग वर्ष 1999 की तीसरी तिमाही से उठना प्रारंभ हुआ। वर्ष के प्रारंभ में विक्रय मूल्यों में भारी छूट प्रदान करने वाली कंपनियों ने इसे समाप्त करना प्रारंभ कर दिया। वर्ष 2000 की प्रथम तिमाही में वे अब मूल्य वृद्धि करने के लिये तैयार हो

रही है। दूसरी ओर वित्तीय वर्ष 1999-2000 में वृद्धि दर लगभग 6% से अधिक रहने की आशा है। उद्योगों के लिए "हरे वर्ष" के रूप में सहस्त्राब्दी के प्रारंभ का स्वागत नया वर्ष 2000 का होने की आशा है (देखेः- एफ०ए०ओ० रिपोर्टस)। वर्ष 1999-2000 के पूर्व के वर्ष कागज उद्योग के लिए बड़ी कठिनाई के वर्ष थे। औद्योगिक उत्पादन और आर्थिक मंदी ने कागज की मांग को कम कर दिया। इसके साथ कागज के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में गिरावट भी हुई जिससे घरेलू उत्पादन की ऊँची लागत के कारण आयात में वृद्धि जारी रही।

इस कारण स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि कई छोटी इकाइयाँ इसे बरदाश्त नहीं कर सकीं और उन्होंने उत्पादन बंद कर दिया। 100 से अधिक छोटी और मध्यम दर्जे की इकाइयों को बंद कर दिया गया। एक गंभीर समस्या यह भी थी कि नई इकाइयाँ, जो हाल के वर्षों में प्रारंभ हुई थी, की वित्तीय लागत को कम कैसे किया जाए। क्योंकि इन इकाइयों ने बड़ी स्थापित इकाइयों, जिनके ऊपर कम ब्याज भार था, के साथ विलय करना चाहा था।

कागज की मिलों की सभी श्रेणियों के कुल निष्पादन, जिसमें न्यूजप्रिंट पेपर का भाग सम्मिलित है। नीचे सारणी में दिया गया हैः

उत्पादन, मांग और आपूर्ति (सभी किस्में की), 1999 (हजार टन में)

1- उत्पादन	क- कुल 4775	ख- न्यूजप्रिंट (500)
2- मांग	क- कुल 4721	ख- न्यूजप्रिंट (735)
3-आयात	क- कुल 4775	ख- न्यूजप्रिंट (498)
4- निर्यात	क- कुल 4775	ख- न्यूजप्रिंट निर्यात नगण्य रहा

नई इकाई और विस्तार

वर्ष 1999 के दौरान कई बड़ी परियोजनाओं ने पूरी क्षमता से कार्य करना प्रारंभ किया। इसमें निम्नलिखित इकाइयाँ सम्मिलित हैंः

(क) सिनार मास पल्प एण्ड पेपर लिमिटेड 50000 टन प्रति वर्ष

मैगजीन्स औ
भी आशा है
भारत में का
होगी। पिछले
(मैगजीनों) क
के कागज क

पर्यावरणीय

यदि व
विश्लेषण करें
तथा नॉन वुड
करती हैं और
इस्तेमाल कर

आज च
सम्मेलन में वि
के बारे में गह
में पर्यावरण सं
इन मिलों को
इस्तेमाल करत
जिसमें गन्ने क
ऊर्जा मंत्रालय
इनके लिए क
मिलें कच्चे माल
में यह अनुमान
कटने से बचात
की रद्दी उन त
बाहर हो गए है

प्रिंट एण्ड पेपर्स लिमिटेड	60000 टन प्रति वर्ष
० भद्राचलम लिमिटेड	50000 टन प्रति वर्ष
;	33000 टन प्रति वर्ष

म्नलिखित इकाइयों ने विस्तार कार्यक्रम अपनाया और उत्पादन में सफल रहे। इनकी सूची निम्नलिखित है:

पेपर मिल्स लिमिटेड	10000 टन प्रति वर्ष
र एंड बोर्ड्स लिमिटेड	55000 टन प्रति वर्ष
मिल्स लिमिटेड	60000 टन प्रति वर्ष
मल्स लिमिटेड	140000 टन प्रति वर्ष
नेयरिंग इंडस्ट्रीज	60000 टन प्रति वर्ष

ों से वित्तीय वर्ष 1999-2000 की दूसरी तिमाही से लेखन और मूल्यों में सुधार होना प्रारंभ हुआ:

ों वृद्धि

र्राष्ट्रीय मूल्य

धार के कारण घरेलू बाजार में स्थिर आपूर्ति

वृद्धि की प्रत्याशा में डीलरों और अंतिम प्रयोगकर्त्ताओं द्वारा में वृद्धि।

ग पर आधारित लेखन और मुद्रण वर्ग वाले कागज की मिलों। परंतु आयातित रद्दी कागज के प्रयोग पर आधारित मिलों रहा क्योंकि आयातित रद्दी कागज और लुगदी के मूल्यों में ुधार से बेहतर क्षमता उपभोग प्रदर्शित हुआ।

कागज

सुधार के चिन्ह प्रदर्शित होते हैं इस प्रकार औद्योगिक और वृद्धि की आशा की जाती है।

कोटेड और अनकोटेड डुप्लेक्स बोर्ड के मूल्यों में वृद्धि हुई है। इनमें यह वृद्धि मुख्य रुप से आयातित रद्दी कागज और लुगदी के मूल्यों में वृद्धि के कारण हुई है। फिर भी इस क्षेत्र की बढ़ाई गई क्षमता के कारण इन उद्योगों को निर्यातों पर निर्भर रहना होगा। निर्यातों का भविष्य उत्साहजनक प्रतीत होता है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनके मूल्यों में वृद्धि हो रही है। मुख्यतया सुस्त राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के कारण क्राफ्ट पेपर को काफी कुछ बरदाश्त करना पड़ा है क्योंकि इस क्षेत्र की क्षमता में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई। इस क्षेत्र में सुधार की आशा केवल सामान्य राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और वृद्धि पर ही निर्भर है।

न्यूजप्रिंट सेक्टर

पिछले कुछ वर्षों में इसकी मांग में 6 से 8% की लगातार वृद्धि हुई। तथापि इस उद्योग की प्रतिस्थापन क्षमता गिरकर 60 से 50% ही रह गई। इसका मुख्य कारण आयातित न्यूजप्रिंट की कम लागत रही है। वर्तमान में न्यूजप्रिंट के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में यू०एस० डालर 50 से लेकर लगभग यू०एस० डालर 550 की वृद्धि हुई है। इसके कारण और इकट्ठा इंनवेंटरी के कारण यह अनुमान है कि चालू वित्तीय वर्ष में न्यूजप्रिंट के आयात में 30% तक की कमी आएगी।

अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि से यह आशा की जाती है कि घरेलू न्यूजप्रिंट के मूल्य में भी आनुपातिक वृद्धि होगी। इस बढ़ी हुई मार्जिन से कुछ हद तक आयातित रद्दी कागज की लागत की वृद्धि को पूरा किया जा सकेगा। तथापि आयातों में 30% की कमी के साथ-साथ मांग में 6-8% की वृद्धि से क्षमता उपभोग में सुधार की स्थिति उत्पन्न हुई है, जिसके परिणामस्वरुप लागत में कमी हुई। इस प्रकार न्यूजप्रिंट सेक्टर में बेहतर मार्जिन की आशा है।

न्यूज प्रिंट

द कन्फेडरेशन आफ यूरोपियन पेपर इंडस्ट्रीज (सी०ई०पी०आई०) ने यूरोपियन पेपर इंडस्ट्रीज की मांग-आपूर्ति रिपोर्ट के संबंध में वार्षिक रिपोर्ट (17 वीं) जारी किया है। ऐसा अनुमान है कि वर्ष 1995-2001 के दौरान मेकेनिकल पब्लिकेशन पेपर्स की माँग लगभग 2.9% प्रतिवर्ष बढ़ी है। वर्ष 1995-2004 के 10 वर्षों के दौरान यह मांग औसतन 2.4% रहने की आशा है। फिर भी आने वाले दशक में भारत में न्यूजप्रिंट, एस. सी.

मैगजीन्स और कोटेड मेकेनिकल रील से संबंधित मांग बढ़ने की आशा है और यह भी आशा है कि हमारी अर्थव्यवस्था में गिरावट की प्रवृत्ति बनी नहीं रहेगी। अतएव् भारत में कागज उद्योग में मांग की वृद्धि होगी परिणाामस्वरुप उत्पादन में भी वृद्धि होगी। पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारत में प्रकाशित समाचार पत्रों/पत्रिकाओं (मैगजीनों) की संख्या बढ़ी है और इससे यह स्वयं ही सुनिश्चित होता है कि इस वर्ग के कागज की बाजार मांग सकारात्मक रहेगी।

पर्यावरणीय संरक्षण

यदि वर्तमान कागज उद्योगों में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल की उपलब्धता का विश्लेषण करें तो पेपर बनाने की प्रक्रिया मुख्यतः दो आधारों पर चलती है। वुड बेस तथा नॉन वुड बेस मिलें लकड़ी को कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करके कागज़ तैयार करती हैं और नॉन वुड बेस मिलें उत्पादन के लिए रद्दी तथा अन्य नॉन वुड सामग्री इस्तेमाल करती हैं।

आज चारों ओर पर्यावरण संरक्षण का बोलवाला है। दक्षिण अफ्रीका में पृथ्वी सम्मेलन में विश्व के सभी देशों ने पर्यावरण संरक्षण और अप्राकृतिक स्रोतों के इस्तेमाल के बारे में गहन विचार विमर्श किया। ऐसे समय में यह एक विडंबना ही है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण में भारी योगदान दे रही नॉन वुड बेस कागज़ मिलें संकट में हैं। इन मिलों को रद्दी इकट्ठा करने में दिक्कते आ रही हैं। यह मिलें जो कच्चा माल इस्तेमाल करती हैं वह विभिन्न बिजली उत्पादक युनिटों में भी प्रयोग किया जाता हैं जिसमें गन्ने की खोई, धान की भूसी और पुराना कागज आदि प्रमुख है। गैर परंपरागत ऊर्जा मंत्रालय इन चीजों से बिजली बनाने वाली युनिटों को कई सुविधाएं देता है, जिससे इनके लिए कच्चे माल की प्राप्ति काफी आसान है जबकि दूसरी ओर नॉन वुड पेपर मिलें कच्चे माल के अभाव में बंदी के कागार पर हैं। पेपर मार्ट में प्रकाशित एक रिर्पोट में यह अनुमान लगाया गया है कि नॉन वुड पेपर मिलें जो प्रति वर्ष 2 करोड़ पेड़ों को कटने से बचाती हैं आज चारों ओर से परेशानियों में घिर गयी हैं। एक तरफ देश की रद्दी उन तक नहीं पहुँच पा रही तो दूसरी ओर आयातित रद्दी के दाम पहुँच से बाहर हो गए हैं।

इन्हें केवल उत्पादन के दौरान ही संकट नहीं झेलना पड़ता वरन् नॉन वुड बेस मिलों को अपने उत्पादन की बिक्री के समय भी अत्यन्त कठिनाई आ रही है। पर्यावरण संतुलन बनाये रखने में योगदान करने वाली इन मिलों को लकड़ी से कागज बनाने वाली मिलों की अपेक्षा अधिक खर्च करना पड़ता है। जिससे उनकी लागत बढ़ जाती है तथा इनके द्वारा बनाये गये कागज़ लकड़ी आधारित मिलों के कागज़ की तुलना में महंगा हो जाता है। सरकार द्वारा भी इन मिलों को कोई खास सुविधाएं नहीं दी गई हैं। परम्परागत स्रोतों से कागज बनाने वाली मिलों को भी कोई खास सुविधाएं नहीं दी गयी हैं परम्परागत और गैर परम्परागत स्रोतों से कागज बनाने वाली मिलों को एक समान उत्पाद शुल्क देना पड़ता है। 3500 टन तक उत्पादन में छूट अवश्य मिलती है परन्तु यह अपर्याप्त है।

एग्रो बेस मिलों की मुश्किलों का हल करने के लिए इण्डियन एग्रो एण्ड रिसाईकल्ड पेपर मिल्स ऐशोसिएशन (आई०ए०आर०पी०एम०ए०) ने सरकार से इस ओर ध्यान देने का आग्रह किया था। मिलों को कच्चा माल मिलने में आ रही कठिनाइयों का हल खोजने के लिए यदि व्यापक तौर पर ना सही तो कम से कम चीनी मिलों के आसपास स्थित पेपर मिलों को गन्ने की खोई पर पहला अधिकार दिया जाना चाहिए। इससे कागज़ मिलों को कच्चे माल की आपूर्ति में राहत मिलेगी। वुड बेस और नॉन वुड बेस मिलों पर लगने वाले उत्पादन शुल्क की दर भी भिन्न होनी चाहिए। यदि गैर परंपरागत स्रोतों से कागज़ बनाने वाली मिलों को 8 प्रतिशत शुल्क के दायरे में लाया जाए तो इन मिलों को राहत मिल सकती है अन्यथा कभी न कभी यह उद्योग दम तोड़ देगा। आज सरकार को आयात पर भी कड़ी नज़र रखने की आवश्यकता है। कागज़ आयात में 'वास्तविक उपभोक्ता' का मापदंड निर्धारित होना चाहिए।

हांलाकि तरल (पूँजी) बहिष्प्रवाह (लिक्विड एफ्लूएन्ट्स) पर नियंत्रण के लिए मानक तैयार किए गये थे फिर भी स्थिति यह थी कि उन्हें लागू करना कठिन हो रहा था। इसी प्रकार गैर-सरकारी संस्थान अथवा इसी प्रकार के अन्य संस्थान बहुत सर्तक हो गए थे और उनके द्वारा किसी प्रकार के चूक होने की जानकारी नहीं मिली। सी०ओ०डी० के मानकों और बहिष्प्रवाह (एफ्लूएन्ट) की धारा दोनों के स्रोतों में सुधार के साथ-साथ इनके इलाज की भी आवश्यकता थी। उद्योगों के लिए अपेक्षित था कि वे इस क्षेत्र में 'बिजनेस री-इंजीनियरिंग प्रोसेस' अपनाए क्योंकि न्यायालयों द्वारा इन

उद्योगों को चलाने अथवा बंद कर देने के लिए जोर दिया जा रहा था। आने वाले वर्ष "स्वच्छता अभियान" के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः इन मिलों को भी अन्य खोजी तकनीकी जैसे: जैव तकनीकी की भी खोज करनी होगी।

वनविकास की आवश्यकता

भारत की जनसंख्या लगभग 1 अरब की संख्या को पार करने वाली है। इसके साथ ही पशुओं की संख्या भी कुछ पीछे नहीं है और यह विश्व में सबसे अधिक है। परिणामस्वरुप भूमि पर खेती और वनों की आवश्यकता का आत्यधिक दबाव है। गांवों में रहने वाली 80% जनसंख्या इंधन की आवश्यकता वन संसाधनों से ही पूरी होती है। इस संदर्भ में यह देखकर आश्चर्य होता है कि पृथ्वी की भूमि का 2.4% भाग 15% की मानक जनसंख्या और पशुओं के लिए उपलब्ध है।

वनों का अधिकतर भाग सरकार द्वारा नियंत्रित होता है और यहाँ का कानून निजी पार्टियों द्वारा वनीकरण के पक्ष में नही है। अतः उद्योग इस पर जोर देते हैं कि कुछ भूमि उन्हें आवंटित की जाए जिसपर वे सीधे कंपनी की ओर से अथवा किसानों के साथ आकर्षक वृक्षारोपण कर सकें। वर्तमान में अधिकतर क्षेत्र वर्षा/मानसून पर ही विश्वास करते हैं क्योंकि इसमें 3 से 4 माह तक वर्षा होती है और 8 से 9 माह तक सूखे का मौसम रहता है। ये उद्योग अपनी नकदपूँजी का इस्तेमाल करके वैकल्पिक रुप से निजी सिंचित वृक्षारोपण कर सकते है। और ये प्रयोग सफल भी हो रहे हैं और इस प्रकार इन उद्योगों द्वारा स्वयं किए गए वृक्षारोपण के विस्तार से बेहतर कृषि वृद्धि (एग्रो ग्रोथ) में सहायता मिलेगी जिससे कागज उद्योग के लिए अपेक्षित कच्चे माल की आपूर्ति हो सकेगी। इस व्यवस्था को जहाँ तक संभव हो व्यवस्थित रुप से चलाया जाना चाहिए। एक स्रोत से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2010 तक भारत की औद्योगिक लकड़ी की आवश्यकता 37 मिलियन एम० हो जाएगी। 15 एम^3 /एच ए/ईयर के विशुद्ध उत्पादन को आधार मानकर जो कि उद्योगों द्वारा अपेक्षित विभिन्न किस्मों के जेनेटिक तौर पर विकसित बीजों के रोपण पर आधारित है, इन अपेक्षाओं को सघन प्रबंधित वृक्षारोपण के 3.7 मिलियन एच० ए० के माध्यम से पोषणीय (ससटेनेबल) आधार पर पूरा किया जा सकता है।

"दि इंडियन एग्रो पेपर मिल्स एशोसिएशन" (आई०एपी०एम०ए०) ने भारत में

कागज उद्योग की राज्य वार वर्तमान स्थिति से संबंधित कुछ आंकड़े संकलित किए हैं, जिसका नमूना नीचे सारिणी में प्रदर्शित है।

राज्य	मिलों की संख्या	प्रतिस्थापित क्षमता (टी०पी०वाई०) टन प्रति वर्ष
आंध्र प्रदेश	22	414550
आसाम	2	220500
बिहार	4	25000
गुजरात	68	935800
हरियाणा	15	149140
हिमांचल प्रदेश	6	53200
जम्मू एवं कश्मीर	1	5000
कर्नाटक	14	345000
केरल	5	215600
मध्य प्रदेश	21	290650
महाराष्ट्र	71	1034050
नागालैंड	1	33000
उड़ीसा	9	270850
पांडिचेरी	1	9000
पंजाब	37	375162
राजस्थान	7	12195
तमिलनाडु	31	639250
उत्तर प्रदेश	73	870780
पश्चिम बंगाल	18	222600
कुल	**406**	**6121327**

उपभोग किए गए कच्चे माल के आधार पर कागज उद्योग को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है। जैसेः

(क) लकड़ी/वन आधारित

(ख) कृषि आधारित

(ग) खोई आधारित

आई०ए०पी०एम०ए० का अनुमान है कि कुल प्रतिस्थापित क्षमता में से 43% वर्ग (क) में, 28% वर्ग (ख) में और 29% वर्ग (ग) में आते हैं।

पुनः लुगदी और कागज मिलों को 33000 टन प्रतिवर्ष (टी०पी०वाई०) और उससे अधिक की प्रतिस्थापित क्षमता वाले (बड़े पैमाने) और 33000 टन से कम परंतु 5000 टन प्रतिवर्ष से अधिक (मध्यम पैमाने) और 5000 टन प्रतिवर्ष (छोटे पैमाने) वाले वर्गों में से 34 बड़े पैमाने वाले क्षेत्र में तथा 372 मिलें मध्यम और छोटे पैमाने वाले क्षेत्र में है। एक ओर बड़े पैमाने वाले क्षेत्र को मिलों तथा दूसरी ओर छोटे और मध्यम दर्जे वाली मिलों द्वारा संयुक्त रुप से वार्षिक उत्पादन में से लगभग समान मात्रा का उत्पादन किया जाता है।

आई०ए०पी०एम०ए०, नई दिल्ली द्वारा अनुमानित प्रतिस्थापन क्षमता वार कागज की मिलों का सार नीचे सारिणी में दिया गया है।

क्षमता	मिलों की संख्या
5000 टन प्रति वर्ष	140
5001 से 10000 टन प्रति वर्ष	112
10001 से 20000 टन प्रति वर्ष	88
20001 से 33000 टन प्रति वर्ष	32
33001 टन प्रतिवर्ष और इससे अधिक	34
कुल	**406**

छोटी कागज की मिलें बंद होती जा रही हैं और ऐसी संभावना है कि आने वाले वर्ष में भी यही प्रवृत्ति बनी रहेगी।

बड़े पैमाने होने की वजह से कम लागत होने के कारण बड़ी कागज की मिलों का विस्तार हो रहा है। ऐसा अनुमान है कि 33,000 टन प्रतिवर्ष के प्रिटिंग/राइटिंग

कागज का उत्पादन कर सकने वाले संयंत्र की स्थापना के लिए 24 मिलियन यू०एस० डालर की आवश्यकता है। छोटी इकाइयाँ जो मुख्य रुप से कृषि आधारित कागज और कच्चे माल पर आश्रित हैं, इसकी नियमित आपूर्ति की बड़ी समस्या से जूझ रही हैं और वे प्रदूषण की समस्या का भी सामना कर रहीं है। नई/आधुनिक क्लीनर प्रोसेस तकनीक से लागत में कमी तथा गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। कच्चे माल के रुप में लकड़ी की कम आपूर्ति के कारण कागज उद्योग को अब कच्चे माल के नए स्रोतों पर आश्रित होना पड़ रहा है जैसे- कृषि अपशिष्ट (रेस्युड) जिसमें खोई, गेहूँ का भूसा, चावल का भूसा, हाथी घास आदि।

वर्ष 2010 तक कागज और कागज बोर्ड की भारत की आवश्यकता 8.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष होने का अनुमान है। यह मानने पर 70% लकड़ी आधारित फाइबर फर्निश और 4 टन फ्रेशली कट पल्प बुड 1 टन लुगदी और कागज के लिए आवश्यक हो तो देश की लकड़ी की लुगदी की कुल आवश्यकता लगभग 24 मिलियन टन होगी। साथ ही औसत इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी को 20 टी/एचए/ ईयर मानने पर यह आवश्यकता कैप्टिव प्लांटिंग स्टाक पर आधारित प्रभावी लागत और पोषणीय आधार पर पूरी की जा सकती है और यह प्लांटेशन 12 मिलियन एच०ए० से अधिक क्षेत्र में होगा।

यह प्रतीत होता है कि भविष्य में फेडरेशन आफ इंडियन प्लाई बुड एंड पल्प इंडस्ट्री की कुल आवश्यकता 5.33 मिलियन एम^3 होगी। औद्योगिक स्रोतों का विचार है कि इस आवश्यकता को मानव निर्मित क्लोनल प्लांटेशन के अतिरिक्त 30000 एच०ए० द्वारा पूरा किया जा सकता है। इस प्रकार मूल्यवान विदेशी मुद्रा की भारी बचत सहित "ट्रेमेन्डस लोकल वेल्यू एडीशन" और ग्रामीण एवं गरीब लोगों के लिए रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध होंगे। इस क्लोनल प्लांटेशन से प्राकृतिक वनों के जैविक दबाव को कम करने में और बहुजैव विविधता युक्त प्राकृतिक वनों के संरक्षण में सहायता मिलेगी।

पर्यवेक्षण

हमारा देश इस बात का गवाह है कि हमारी अर्थव्यवस्था के पिछले 10 वर्षो के दौरान कागज उद्योग की क्षेत्रीय वृद्धि और उसका विकास एक महत्वपूर्ण गतिविधि है।

आने वाले वर्षो में कागज और कागज उद्योग की आर्थिक वृद्धि से सम्बन्धित पर्यवेक्षण काफी आशा जनक है। अधिकर विशेषज्ञों की राय है कि हमारी पंच वर्षीय योजनाओं में सफलतापूर्वक अपनाई गई उदारीकरण की नीति की दृष्टि से वर्ष 2000 के बाद भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जी०डी०पी०) में वृद्धि के साथ-साथ बहुमुखी आर्थिक विकास की संभावनाएं है। साथ ही कागज उद्योग के निजीकरण की प्रक्रिया भी दिनों दिन बलवती हो रही है और कागज उद्योग के संबंध में पिछले कुछ वर्षो की सरकारी नीति भी काफी उत्साहजनक रही है। आशा है कि सरकार की यही नीति जारी रहेगी और इससे हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों में कागज उद्योग की वृद्धि और विकास को सकारात्मक बल मिलेगा। इस उद्योग के तीव्र विकास के लिए निम्नलिखित उपायों का सुझाव है:

(क) मूलभूत समर्थन बढ़ाया जाय अर्थात् बिजली कटौती से मुक्त, प्राथमिकता के आधार पर कोयले का आवंटन, कागज परिवहन सुविधा का प्रावधान आदि।

(ख) सरकारी शुल्क(फिसिकल) कनशेंशन से छूट।

(ग) कागज उद्योग को कम दर वाले सस्ते ऋण देकर वित्तीय प्रोत्साहन।

(घ) कर में छूट।

(ड.) राज्य सरकार द्वारा स्थानीय लाभ प्रदान करना। जैसे: 5 वर्षो के लिए छूट की दर से विद्युत की अबाध आपूर्ति।

(च) सीमित अवधि के लिए लघु उद्योग इकाई के माध्यम से सरकारी आवश्यकतानुसार खरीद के न्यूनतम प्रतिशत की गारंटी देना।

(छ) उपयुक्त केमिकल रिकवरी सिस्टम का विकास और एफ्लूएंट ट्रीटमेंट की लागत को पूरा करने के लिए विशेष सब्सिडी प्रदान करना (राज्य सरकार द्वारा अथवा उत्पादन शुल्क में छूट के माध्यम से)

(ज) विशेष रूप से लुगदी बनाने वाले उपकरणों का सरलीकरण और लुगदी बनाने के मानक उपायों का विकास करके।

(झ) रद्दी कागज का उपयोग बढ़ाना और डीलिंकिंग का उपयोग करना। विशेष

आवश्यकताओं में आयातित रद्दी कागज का इस्तेमाल व्यवस्थित रूप से दीर्घकालिक आधार पर किया जाना ताकि मूल्यों के साथ-साथ भाड़े आदि में वरीयता मिले।

इस प्रकार हमारी अर्थव्यवस्था में संपूर्ण कागज उद्योग के क्षेत्र के अंतर्गत कागज के छोटे उद्योग वाले क्षेत्र के प्रति उद्योग पतियों के साथ-साथ सरकारी नीतिगत निर्णयों को सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। यह कहने की आवश्यकता नही है कि इन छोटी इकाईयों को हर दृष्टि से मजबूत बनाने की आवश्कता है। साथ ही छोटी इकाईयों के प्रसार हेतु सरकार द्वारा लिए गए निर्णय को नीतिगत निर्णण के रूप में समर्थन मिलना चाहिए।

कागज के बड़े उद्योग

कागज बनाने वाली भारत की सबसे बड़ी कम्पनियों में से एक जे०के० पेपर मिल लि० के शुद्ध लाभ में 114 प्रतिशत भारी वृद्धि हुई है। 31 मार्च 2003 को समाप्त तिमाही के दौरान कम्पनी का शुद्ध लाभ 9.74 करोड़ रुपये रहा जबकि पिछले साल यह 4.56 करोड़ रुपये था। प्रबन्ध निदेशक श्री हर्षपति सिंहानिया ने प्रेस वार्ता में बताया कि बाजार की प्रतिस्पर्द्धी स्थितियों के बावजूद कम्पनी के दोनों ब्रांडों ने बाजार में हिस्सेदारी को सुदृढ़ किया है। आलोच्य तिमाही में कम्पनी ने 165.85 करोड़ रुपये का कारोबार किया। एक जनवरी 1986 को लुगदी और कागज उद्योग की कुल 28 बड़ी सघन इकाईयाँ थी जिनकी क्षमता 13,67,400 टन थी। रोहित पल्प एंड पेपर, स्ट्रा प्रोडक्ट्स (भोपाल), लक्ष्मी बोर्ड एंड पेपर मिल्स और खोई आधारित तमिलनाडु न्यूज प्रिंट एंड पेपर्स, इन चार मिलों को छोड़कर अन्य सभी मिलें कच्चे माल पर आश्रित थीं। इन मिलों में से दो इकाईयाँ सहायक इकाई थीं जिनकी क्षमता 20 टन प्रतिवर्ष थी (टोटागढ़ पेपर मिल्स, उड़ीसा और अशोक पेपर मिल्स, बिहार)। इस प्रकार वन आधारित कच्चे माल वाली मिलों की कुल संख्या 26 हो गई। इन 26 मिलों में से केवल 8 मिलों की क्षमता 200 टन प्रतिदिन थी। इस प्रकार इन मिलों को न्यूनतम आर्थिक आकार के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य मानकों से भी कम स्तर वाला माना जाना चाहिए। इनमें से छः मिलों को 50 वर्ष से अधिक पहले स्थापित किया गया था और इनमें से कुछ मिलों को 20 वर्षों

से भी पहले स्थापित किया गया था। इनमें कुछ कागज की मिलों को विशेष रुप से पश्चिम बंगाल की मिलों को ऐसी जगह स्थापित किया गया था जहाँ से उन्हें उस समय पर्याप्त मात्रा में कच्चे माल के संसाधन उपलब्ध थे परंतु अब वे स्थान सूख गए हैं। कुल उत्पादन के 70% भाग का उत्पादन करने वाली कागज की बड़ी मिलों को उनके अनार्थिक आकार, उपकरणों और पोषण की कमी तथा कच्चे माल की अपर्याप्त आपूर्ति का सामना करना पड़ रहा है।

कच्चा माल

लुगदी और कागज की बड़ी सघन मिलों के कच्चे माल का आधार प्राकृतिक वनों से प्राप्त बांस और मिले जुले ट्रापिकल हार्डवुड एक्सट्रैक्ट्स हैं। बांस के भयकंर रुप से समाप्त होते जाने के कारण उन्हें मुख्य रुप से हार्डवुड के इस्तेमाल पर आश्रित होना पड़ रहा है। इसी प्रकार कुछ राज्यों जैसे- पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु में कच्चे माल की भयंकर कमी होती जा रही है और कच्चे माल की अनुपलब्धता के कारण इन मिलों को बंद करना पड़ रहा है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि प्राकृतिक वन जो पहले से ही भयंकर कठिनाई के दौर से गुजर रहे हैं वे कागज की भविष्य में होने वाली मांग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त क्षमता की आवश्यकता की पूर्ति तो दूर वर्तमान कागज की मिलों की आवश्यकता की आपूर्ति करने में सक्षम नहीं है। अतः यह पाया गया है कि विशेष रुप से कागज उद्योग की आवश्यकता के लिए ही पल्पवुड प्लांटेशन का कार्य हाथ में लिया गया है। फिर भी प्रयास पूर्वक उपज के परिणाम प्राप्त होने के पूर्व मध्यवर्ती अवधि के दौरान कच्चे माल की अत्यंत कमी का सामना करना पड़ सकता है। वन आधारित कच्चे माल पर दबाव से मुक्ति और उक्त रिक्ति को पूरा करने के लिए सरकार ने खोई का प्रयोग करने वाली मिलों को प्रोत्साहन देना प्रारंभ किया है और सीमा शुल्क के बिना बुड चिप्स, लुगदी और रद्दी कागज का आयात करने की अनुमति प्रदान की है।

मूलभूत आवश्यकताएं

कागज उद्योग सतत् प्रक्रिया वाले उद्योग के साथ-साथ उर्जा गहन उद्योग (एनर्जी इंटेसिव इंडस्ट्री) है। अतः यह आवश्यक है कि अधिकतम क्षमता उपभोग प्राप्त करने के लिए बिजली और कोयले की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

कोयला

कागज उद्योग को औसतन 1 टन कागज का उत्पादन करने के लिए 1.5 टन कोयले की आवश्यकता पड़ती है। विद्युत उत्पादन के रुप में सह उत्पादन करने वाली मिलों के मामले में यह आवश्यकता बढ़कर 1.8 टन हो जाती है। इसी प्रकार कच्चे माल के रुप में रद्दी कागज का इस्तेमाल करने वाली मिलों के मामले में प्रतिटन कागज के लिए कोयले की आवश्यकता 1 टन रह जाती है। इस प्रकार 100000 टन कागज का उत्पादन करने के लिए औसतन 150000 टन कोयले की आवश्यकता है जिसका अर्थ यह है कि प्रति वर्ष 6820 बैगन और लगभग 570 वैगन कोयला प्रतिमाह की आवश्यकता है। यह आवश्यकता उस समय और भी बढ़ जाती है जब ये कागज की मिलें 80% की अपनी क्षमता के उपभोग से कार्य करती हैं। अत: 1.64 मिलियन टन अतिरिक्त कोयले की आवश्यकता होगी।

तकनीक विकास निदेशालय (डी०जी०टी०डी०) ने पिछले 12 माह की अवधि में कागज की मिलों को वास्तविक उपभोग के आधार पर कोयले का आवंटन करता रहा है। जबकि कागज उद्योग ने यह कहा है कि उनके लिए उपलब्ध कराए गए वैगन उनकी आवश्यकता से काफी कम है। इसके परिणामस्वरुप कागज की मिलों को सड़क परिवहन द्वारा काफी मात्रा में कोयला मंगाना पड़ा और उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए कोयले के लिए प्रति टन ज्यादा लागत देनी पड़ी है। कागज की छोटी मिलों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु उन्होंने सड़क परिवहन द्वारा कोयला उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न क्षेत्रीय केंद्रो पर कई कोयले के डिपो खोल दिए हैं।

जबकि यह पाया गया है कि कोयला पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है और कुछ हद तक कोयले की गुणवत्ता भी वांछित स्तर की नहीं है। साथ ही यह बताना भी आवश्यक है कि अधिकतर कागज की मिलों में उपलब्ध भाप से चलने वाले उपकरण भी बेकार और पुराने हो गए हैं। परिणामस्वरुप ये अनावश्यक कोयले का उपभोग करते हैं। डी०जी०टी०पी० इन मिलों को अपने पुराने ब्यायलर्स को नए आधुनिक ब्यायलर्स, जो अपने देश में ही निर्मित हैं, से बदलने के लिए आवश्यक कदम उठाने पर जोर दे रहा है। जिससे भाप के उत्पादन में उच्चतर क्षमता प्राप्त हो सके और कोयले का उपभोग कम किया जा सके।

विद्युत

एक टन कागज का उत्पादन करने में औसतन 16000 किलोवाट विद्युत की खपत होती है। सामान्य किस्म के कागज का उत्पादन करने वाली मिलों में इसकी खपत कुछ कम हो सकती है और विशिष्ट प्रकार के कागज का उत्पादन करने वाली मिलों में इसकी खपत कुछ ज्यादा हो सकती है। इस प्रकार 1.5 मिलियन टन कागज के उत्पादन के लिए इस उद्योग को 2400 मिलियन किलोवाट बिजली की आवश्यकता है। यह देश के विद्युत का काफी बड़ा भाग है। अतः कागज उद्योग को विद्युत गहन उद्योग (एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्री) के रुप में समझा जाए और यह आवश्यक है कि इस उद्योग में विद्युत संरक्षण के उपाय करने के रास्ते और बेहतर किये जाए।

इस प्रकार यह पाया गया है कि एक ओर वर्तमान समय में जारी क्षमता उपभोग में कमी के कारण इस उद्योग के प्रत्येक क्षेत्र में उर्जा की निर्धारित मात्रा से न्यूनतम आवश्यक उर्जा का अत्यधिक उपभोग हो रहा है जिसके कारण उनके उत्पादन में कमी हो रही है। दूसरी ओर अत्यधिक विद्युत कटौती और लोड शेडिंग के कारण उर्जा की अनावश्यक बरबादी हो रही है। इसके साथ ही ज्यादा राख पैदा करने वाली और कम कैलोरी उर्जा वाली कोयले की किस्में भी ब्वायलर्स की क्षमता को कम करती जा रही हैं।



अध्याय-III

उद्योग की संरचना

भारत के कागज उद्योग को मुख्य रूप से छोटे पैमाने पर और बड़े पैमाने की कागज की मिलों में विभाजित किया जा सकता है। छोटी कागज की मिलें सामाजिक-आर्थिक महत्व की है क्योंकि वे उस कृषि अपशिष्ट और अन्य कच्चे माल का इस्तेमाल करते है जो बरबाद हो जाता है और इस प्रकार वे कागज का उत्पादन बढ़ाने में सहायक होते हैं। छोटे पैमाने की कागज की मिलें वनों के कच्चे माल पर दबाव कम करती जाती हैं और वन संसाधनों के संरक्षण में सहायक होती है। इन उद्योगों का विकास एवं प्रसार पिछड़े क्षेत्रों में होता है जिससे देश का आर्थिक विकास होता है। वे कारक जो छोटी कागज की मिलों की वृद्धि में सहायक होते है, निम्नलिखित है:

(क) छोटी कागज की मिलें तुलनात्मक रूप से कम लागत में तैयार होती हैं और कम अवधि के भीतर कार्य करना प्रारंभ कर देती हैं, कम निवेश और कम ब्याज भार इन मिलों का मुख्य आकर्षण है।

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे माल के संसाधनों के निकट स्थित मिलों को कुशल श्रमिकों की कमी की समस्या, प्रबंधन समस्या के साथ-साथ अपर्याप्त समर्थन का सामना करना पड़ता है जबकि कम क्षमता वाली मिलें लगाने में सरलता होती है।

(ग) परिस्थितियों में बदलाव, जानवरों के चारे का अन्य इस्तेमाल, संकलन की संमस्या, भण्डारण और परिवहन लागत की समस्या के कारण, कृषि अपशिष्ट की उपलब्धता सीमित है। कम क्षमता वाली मिलों की अपेक्षा कृषि अपशिष्ट पर आधारित बड़ी मिलों की स्थापना में ये तथ्य समस्या उत्पन्न करते हैं।

वर्ष 1950 के वर्ष के पूर्व भारत में स्थापित कागज की मिलें छोटे आकार की कागज की मिलों के रूप में संस्थापित हुई जिनकी क्षमता 30 टन प्रतिदिन थी। परन्तु धीरे-धीरे उनका विस्तार हुआ और वे आर्थिक, सस्ती और जीवनक्षम (Viable) इकाई के रूप में स्थापित हो गई। जबकी वे इकाई जो वन आधारित कच्चे माल के रूप में बांस एवं हार्डवूड का इस्तेमाल करती थी छोटी कागज की मिलें नही कहलाई। प्रतिस्थापित क्षमता के अंतर्गत वे मिलें जिनकी क्षमता 30 टन प्रतिदिन (10,000 टन प्रति वर्ष) थी, सामान्यंतया छोटी कागज की मिलों के श्रेणी में रखी गई। अब यह सीमा बढ़ाकर 50 टन प्रतिदिन (16,500 टन प्रतिवर्ष) कर दी गई है और वर्तमान समय में 80 टन प्रतिदिन (26,400 टन प्रतिवर्ष) की क्षमता वाली मिलों को उस वर्ग में रखा जा सकता है।

अब यहाँ पर छोटी कागज की मिलें और 'छोटे पैमाने' की कागज की मिलों के मध्य शंका उत्पन्न होती है। भारत में 'छोटे पैमाने का अर्थ प्लांट और मशीनरी के मद में 2 मिलियन रुपये तक (संशोधित 3.5 मिलियन रुपये) के निवेश वाली मिलों से है। जबकी यहाँ की छोटी कगज की मिलें जो न्यूनतम क्षमता (5 टन प्रतिदिन) वाली है, का इस मद में निवेश इस सीमा से कहीं ज्यादा है। इस प्रकार भारत में 'छोटे पैमाने' की कागज की इन इकाईयों को कुटीर उद्योगों के अंतर्गत रखा जाता है जो हस्त निर्मित कागज, संड्री बोर्ड और अन्य प्रकार के कागज के निर्माण में लगी हैं साथ ही जो इस परिधि के बाहर हैं उन्हें 'व्यवस्थित क्षेत्र' का कहा जाता है।

छोटी कागज की मिलों की परिभाषा निम्नवत् है:

इन मिलों को गैर लकड़ी वाले पौधों के रेशे (सानवूड प्लांट फाइबर्स) जैसे दूसरे दर्जे के कच्चे माल के उपभोग पर आधारित होना चाहिए। इसके अंतर्गत गेहूँ का भूसा, घास मेस्ता, गन्ने की खोई आदि तथा अथवा पुनः चक्रित (Recycled) रद्दी कागज आते है।

इनकी प्रतिस्थापित क्षमता 26,400 टन प्रतिवर्ष (80 टन प्रतिदिन) से कम होना चाहिए।

ऐसी मिलों के पास बांस/लकड़ी की लुगदी वाले पौधे नही होने चाहिए।

यहाँ छोटे पैमाने की कागज की मिलों को लेकर बड़े भ्रम की स्थित बनी हुई है। पिछले दो दशकों में लुगदी बनाने की प्रक्रिया में तकनीकी आधुनिकता की दृष्टि से पश्चिमी देशों में 'छोटे पैमाने' के अंतर्गत वे मिलें रखी जाती है। जिनकी दैनिक क्षमता 100 से 200 टन है। कनाडा और स्वीडन जैसे लुगदी का उत्पाद करने वाले प्रमुख देशों के लिए यह सही भी है क्योंकि वहाँ 300 टन प्रतिदिन की क्षमता को भी गैर किफायती माना जाता है। वहाँ क्षमता की औसत प्रवृत्ति 750 टन प्रतिदिन और 1000 टन प्रतिदिन है।

भारतीय संदर्भों में 100 टन प्रतिदिन की क्षमता को बड़ा माना जाता है यद्यपि तकनीशियनों की राय है कि 200 टन प्रतिदिन से कम क्षमता वाली किसी भी आकार की मिलों को गैर किफायती माना जाए। यह हम लोग 10 टन प्रतिदिन से कम की क्षमता वाली मिलों को छोटी और 25 से 50 टन प्रतिदिन की क्षमता वाली मिलों को मध्यम तथा 100 प्रतिदिन अथवा इससे अधिक की क्षमता वाली मिलों को बड़ी मिल के रूप में नामांकित कर रहे हैं।

छोटे पैमाने की इकाईयों के लाभप्रद स्थिति में रहने के कारण

ई०सी०ए०एफ०ई० अध्ययन में छोटे पैमाने के उत्पादन वाली इकाईयों के लिए लाभदायी परिस्थितियों की अनुशंसा की गई है। रेशे वाले कच्चे माल, बाजार की उपलब्धता, सीमित जलापूर्ति और एफ्लएट्स के निपटान की सुविधा, सीमित वित्तीय संसाधन, बड़ी इकाईयों के प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित कर्मियों की कमी और वे सुविधायें जिससे छोटे पैमाने पर लुगदी और कागज तैयार करने वाली मशीनें देश में ही तैयार की जा सकती है, आदि ऐसे कारक हैं जो छोटे आकार पर इनका उत्पादन सुनिश्चित करते हैं।

सुझाव यह भी है कि कागज उद्योग को लुगदी बनाने वाली एवं इसके पश्चात् बड़े उद्योगों एवं बाद में छोटे पैमाने के क्षेत्र वाले उद्योगों के लिए इसका संरक्षण करने वाली मिलों के रूप में इन्हें अलग-अलग विभाजित किया जाय। इसका कारण यह है कि कच्चा माल कुछ क्षेत्रों में ही केंद्रित होता है और कागज के लिए बाजार पूरे देश में फैला होता है। इस प्रकार ऐसे विभाजन से उद्योगों की स्वस्थ वृद्धि में सहायता मिलेगी। तकनीकी दृष्टि से इस प्रस्ताव की कुछ विशेषताए हैं। वर्तमान समय में कागज

उद्योग के विभिन्न नए प्रकार के कच्चे माल का उपयोग करना प्रारंभ किया है। इसमें बोर्ड वुड, बांस, यूकिलिप्टस, भूसा, कंवलों का चूरा (बैगासी) अन्य फाइबर्स सम्मिलित है। चूँकि एक वस्तु से प्राप्त रेशे की तुलना में दूसरे से प्राप्त रेशों की विशेषताएं अलग होती हैं, अतः ये कागज की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। कच्चे माल की उपलब्धता और मूल्य के आधार पर कागज की किस्मों के आधार पर उत्पादन की विभिन्न किस्मों और संबंधित मिलों द्वारा अपनाई जा रही बाजारू नीति के आधार पर मिलों द्वारा विभिन्न प्रकार की लुगदी का एक निर्णायक मिश्रण तैयार कर लिया जाता है। जिसे बाद में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करते हैं।

सुझाव यह भी दिया गया है कि बड़े आकार की लुगदी वाली मिलों के लिए बांस और शंकु वृक्ष (कोनिफर)उपलब्ध होने वाले क्षेत्रों में इनकी उपयोगिता नहीं हो सकती। चूँकि इन क्षेत्रों में अपेक्षित मात्रा में कागज की बिक्री के लिए बाजारों तक इन्हे भेजा जाना चाहिए। जहाँ कागज बनाने वाली मशीनें लगी हैं। इन छोटी इकाइयों को स्थानीय रुप से उपलब्ध छोटे रेशे वाले कच्चे माल से लुगदी तैयार करने की सुविधा को वरीयता देना चाहिए। इस प्रकार विभिन्न प्रकार की लुगदी के मिश्रण से कागज की आपूर्ति को बढ़ाना भी संभव होगा। इस सुझाव में बाजार वाले केंद्र के चारों ओर कागज बनाने वाले उद्योगों को विकेन्द्रीकृत करने के लाभ को भी सम्मिलित किया गया है। जहाँ तक संसाधनों के अनुकूलतम उपभोग का संबंध है यह प्रस्ताव तर्कसंगत प्रतीत होता है। यहाँ कठिनाई आर्थिक हानि, लुगदी निर्माताओं के एकीकरण, रास्ते में लुगदी के सूखने और अत्यधिक परिवहन लागत से होने वाले प्रभाव को समाप्त करके, सेवा और ऊपरी प्रभार को कम करके, आर्थिक संतुलन बनाने की है। साथ ही एक समान दूरी के लिए एक टन लुगदी और इसके बराबर कागज की परिवहन की लागत लगभग एक है। जिससे कुल उत्पादन लागत काफी बढ़ जाती है।

वर्तमान समय में छोटी कागज की मिलें, उन्हें प्रदान की गई सुविधाओं और सरकारी शुल्क की रियायतों के बावजूद कागज उद्योग की अपेक्षाओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है। छोटी कागज की मिलों की कम पूँजी, लागत वृद्धि के लिए मुख्य कारण है। फिर भी खराब उपकरण और बिजली की अपर्याप्त आपूर्ति भी इन मिलों के खराब

उत्पादन के लिए जिम्मेवार हैं। प्रभावी उपचार इस व्यवसाय की समस्या को और भी बढ़ा देता है। यह भी पाया गया है कि कोयले का सड़क मार्ग से परिवहन व्यय भी लागत तथा साथ में ब्वायलर की कम उर्जा क्षमता भी परिणामस्वरुप भाप (स्टीम) की लागत को अधिक बढ़ा देती है। उपयुक्त समय में कच्चे माल की अनुपलब्धता और खराब प्रबंधन तकनीक के कारण भी उत्पादन में कमी और कम क्षमता का उपभोग हुआ है और इसके कारण नकदी की हानि हुई और इकाई को आर्थिक रूप से अक्षम बना दिया। छोटी कागज की मिलों की वृद्धि का मुख्य कारण वर्ष 1960 में सरकार द्वारा अपनायी गई नीति थी। वर्ष 1960-65 के दौरान भारत सरकार ने छोटे और मध्यम दर्जे के उद्योगपतियों द्वारा पुरानी कागज की मशीनें (30 टन प्रतिदिन की क्षमता वाली) आयात करने की अनुमति प्रदान की। इससे वर्ष 1980-85 के मध्य लगभग 35 से 40 ऐसी इकाइयों के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई। साथ ही छोटी इकाइयों, जिन्हें औद्योगिक लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं हैं, में भी 5-10 टन प्रतिदिन उत्पादन की क्षमता बढ़ी है।

भारत की छोटी कागज की मिलें रद्दी कागज की अनुपलब्धता जैसी प्रमुख समस्या का सामना कर रही हैं। रद्दी कागज की काफी मात्रा पैकिंग के काम में आती है और हैंडीक्राफ्ट तथा खिलौना बनाने वाले उद्योगों द्वारा कच्चे माल के रूप में इसका प्रयोग होता है। प्रारंभिक कच्चे माल के संसाधनों के समाप्त होते-जाने के कारण बड़ी मिलों द्वारा भी रद्दी कागज के इस्तेमाल में वृद्धि की जा रही है। जिसके कारण इसकी अनुपलब्धता की वजह से मूल्यों में वृद्धि होती जा रही है। कृषि अपशिष्ट के मामलें में भी उपभोग बढ़ने और तद्नुसार प्रतियोगिता बढ़ने से विशेष रूप से उन क्षेत्रों में, जहाँ पर छोटी मिलें अधिक हैं, (जैसेः दक्षिण गुजरात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश) कच्चे माल की अनिश्चित उपलब्धता और मूल्य में अत्यधिक वृद्धि हुई। वैसे भी कृषि अपशिष्ट (Residue) के उपभोग के मामलों में उनके रख रखाव एवं भंडारण की समस्या बनी ही रहती है।

छोटी मिले अपनी मिलों के रसायनों की रिकवरी संबंधी तकनीक से व्यावहारिक और आर्थिक रूप में सहनीय प्रक्रिया का विकास नहीं कर सके हैं। इसके कारण

रसायनों का अनावश्यक उपभोग होता है, परिणामस्वरूप उत्पादन की लागत बढ़ती जाती है, साथ ही अत्यधिक प्रदूषण फैलता है। छोटी कागज की मिलों के लिए रासायनिक रिकवरी प्रणाली के विकास को कागज उद्योग द्वारा सामना की जा रही बड़ी चुनौतियों में से एक माना जाता है। रिकवरी प्रक्रिया की जटिलता के कारण साधारण रिकवरी प्रणाली में भी अपेक्षाकृत अधिक निवेश करना पड़ता है।

रासायनिक रिकवरी प्रणाली के प्रतिस्थापन के संबंध में प्रमुख समस्या प्रतिटन अधिक और विशिष्ट निवेश लागत की है जिससे यह प्रदर्शित होता है कि 30 टन प्रतिदिन से कम की क्षमता वाली कागज की मिलों की रासायनिक रिकवरी प्रणाली व्यावहारिक नहीं है। फिर भी अब 30 से 80 टन प्रतिदिन की क्षमता वाली मध्यम आकार की मिलों के लिए रासायनिक रिकवरी प्रणाली का विकास करना संभव है क्योंकि 40 टन प्रतिदिन की क्षमता वाली चावल की भूसी वाली श्रीलंका की मिल पर इसका परीक्षण किया जा चुका है। मानक उपकरणों की कमी के कारण भी छोटी कागज की मिलें परिचालन हेतु अक्षम होती जा रही हैं। इनकी कुछ कमियाँ निम्नलिखित है:

(क) संयंत्र के विभिन्न क्षेत्रों मे असंतुलन
(ख) कम ब्वायलर उर्जा (थर्मल) क्षमता
(ग) घटिया क्वालिटी और खराब आकार की मशीनरी और उपकरण
(घ) पुरानी आयातित मशीनों का इस्तेमाल, जिससे कई मामलों में प्रत्याशित दर से काफी कम निष्पादन हो पाता है।

छोटी कागज की मिलों द्वारा सामना की जा रही अन्य प्रमुख समस्याओं में प्रशिक्षित श्रमशक्ति की अनुपलब्धता निचले एवं उच्च प्रबन्धक और कर्मचारी दोनों स्तरों पर अपर्याप्त प्रबंधन और संगठन की कमी है। इनमें से कई इकाइयों को उद्यमकर्त्ताओं ने बड़े औद्योगिक जोखिम के प्रति कम ध्यान देकर प्रवर्तित किया है, ज्यादातर ये इकाइयाँ पिछड़े क्षेत्रों मे स्थापित की गई हैं। इन इकाइयाँ को सक्षम तकनीशियन और कुशल श्रमशक्ति की सेवाएं प्राप्त करने की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अतः यह आवश्यक है कि छोटी कागज की मिलों की आवश्यकताओं के बारे में व्यावाहारिक पक्षों पर जोर देते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विकास किया जाए।

छोटी कागज की मिलों का भविष्य

बेहतर निष्पादन और बेहतर सेवा के परिणाम प्राप्त करने के लिए छोटी कागज की मिलों का विकास करने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि वित्तीय संस्थान इन कागज की इकाइयों को प्राथमिकता के आधार पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएं ताकि इन्हें आधुनिक और विस्तृत बनाया जा सके। इन छोटी इकाइयों का विकास सामाजिक आर्थिक प्रयोजनों को भी ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए जैसे- वनों और वन संबंधी कच्चे माल के प्राथमिक संसाधनों का संरक्षण।

यहा यह विचार जोर पकड़ रहा है कि हमारे देश की लगभग 300 छोटी कागज की मिलें देश में गंभीर प्रतिस्पर्धा के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार की प्रतिस्पर्धा का भी सामना कर रही हैं। दि आल इंडिया स्माल पेपर मिल्स ऐशोसिएशन का विचार है कि रद्दी कागज से परिचालित होने वाली छोटी कागज की मिलों को आने वाले वर्षों में बड़ी इकाइयों के साथ गंभीर प्रतियोगिता का सामना करना पड़ सकता है। ये इकाइयाँ प्रतिवर्ष लगभग 21 मिलियन टन लेखन और मुद्रण संबंधी कागज का उत्पादन कर रही है इनमें से कुछ नई इकाइयाँ बोर्ड फार इंडस्ट्रियल फाइनांस रीकांस्ट्रक्शन (बी०आई० एफ०आर०) के यहाँ पहले से ही पंजीकृत है और इनमे से कई मिलों को उन्नयन/आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं हैं। सरकारी नीतियों के परिणामस्वरूप 1960 के अंत में इन लघु क्षेत्रों में कागज की मिलें स्थापित की गई थीं और ये निम्नलिखित गैर पारम्परिक कच्चे माल पर आधारित थी।

(क) रद्दी कागज
(ख) कृषि-कच्चा माल
(ग) चावल और गेहूँ का भूसा आदि।

इस प्रकार पुरानी मशीनें खरीदने के कारण ये मिलें बेहतर गुणवत्ता वाले कागज का उत्पादन नहीं कर सकीं। दि आल इंडिया स्माल पेपर मिल्स ऐशोसिएशन का विचार है कि सरकार द्वारा कागज और कागज उत्पाद के आयात पर से नियंत्रण हटाने और सीमा शुल्क कम करने से छोटी कागज की मिलों के संपूर्ण परिदृश्य में बदलाव आएगा। समय की मांग है कि रद्दी कागज को पुनःचक्रित (Recycle) करके अच्छी गुणवत्ता वाले

कागज का उत्पादन करने के लिए छोटी कागज की मिलों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

हस्तनिर्मित कागज उद्योग

हस्तनिर्मित कागज एक पारम्परिक क्राफ्ट है, खादी और ग्रामीण उद्योग अधिनियम 1957 के अंतर्गत यह एक मान्यता प्राप्त ग्रामीण उद्योग है। इसे खादी एवं ग्रामीण उद्योग कमीशन (के०वी०आई०सी०) से विशेष सहायता प्राप्त है। इनके द्वारा अधिकतर कम्बल, सुतली के बोरे, सूती धागे से प्राप्त कपड़े के रेशे और अन्य रद्दी कागज का इस्तेमाल कच्चे माल के रूप में किया जाता है। हस्त निर्मित कागज औसत कागज से अधिक मजबूत होता है और इसमें अधिकमात्रा में सेलुलोज होने और रसायनों के सीमित प्रयोग के कारण यह स्थाई और टिकाऊ होता है। इसलिए कलाकारों, पानी के रंग इस्तेमाल करने वाले कागज, व्यक्तिगत ग्रीटिंग कार्ड और लेखन सामग्री की कुछ अन्य मदों के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। हस्तनिर्मित कागज का कुल उत्पादन लगभग 5000 टन प्रति वर्ष है। जिसका कुल विक्रय मूल्य लगभग 40 करोड़ रू० है। यद्यपि 30-35% मजदूरी व्यय के साथ यह अधिक मजदूरों द्वारा संचालित उद्योग है, फिर भी अधिक लागत, कच्चे माल की सीमित उपलब्धता और बाजार की समस्याओं के कारण हस्तनिर्मित कागज उद्योग की वृद्धि सीमित रही है। निर्यात बाजार के मामले में हस्तनिर्मित कागज उद्योग का भविष्य बहुत अच्छा है।

हस्तनिर्मित कागज उद्योग भारत के प्राचीनतम परम्परागत उद्योगों में से एक है। यह निम्न पूँजी लागत तथा श्रम प्रधान उद्योग है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के सतत् प्रयासों से पिछले दशकों में इस उद्योग ने अपना प्रमुख स्थान बना लिया है। इसे आज निर्यातोन्मुख बनाया गया है और विश्व बाजार में भी इसकी मांग बढ़ रहीं है। पर्यावरण में भी व्यवसाय व उद्योग प्रकृति ने आज के समय में हस्तनिर्मित कागज उत्पादों की मांग को और बढ़ा दिया है। 1953 में मात्र 35 इकाइयां हस्तनिर्मित कागज का उत्पादन कर रही थी। वर्ष 1992 में 438 कार्यरत इकाइयां थीं। इनमें से 231 इकाइयां हस्तनिर्मित कागज तथा 207 इकाइयां पेपर मशीन की थीं। इन इकाइयों ने वर्ष 1993–94 में पेपर तथा बोर्ड का 12356 टन उत्पादन किया जिसका मूल्य 1506 लाख रुपये

था। इसमें 1445 लाख रुपये का उत्पादन हस्तनिर्मित कागज तथा 61 लाख रुपये का उत्पादन पेपर मशीन द्वारा शामिल है। इस उद्योग ने 6820 लोगों को रोजगार प्रदान किया है जिसमें लगभग 40 प्रतिशत महिलाएं है। वर्ष 1993–94 में रोजगार प्राप्त कर्मचारियों तथा श्रमिकों को 426 लाख रुपये पारिश्रमिक दिया गया। प्रमुख उद्योग समूह सांगानेर, जयपुर (राजस्थान), कालपी (उ०प्र०), पुणे (महाराष्ट्र), आदि में यह संकेन्द्रित है। कुल उत्पादन में निम्न प्रतिमान उभरते हैं:

हस्तनिर्मित कागज उत्पादन प्रतिमान

क्रम सं०	श्रेणी	प्रतिशत
1.	उच्च श्रेणी कागज	20
2.	लेखन तथा प्रिंटिंग पेपर	5
3.	फैन्सी तथा डेकोरेटिव पेपर	10
4.	फिल्टर पेपर एवं फिल्टर पैड	5
5.	कार्डशीट एवं बोर्ड	35
6.	कवर एवं स्टेशनरी	20
7.	औद्योगिक कागज	5
	योग	**100.00**

कागज उद्योग में कच्चे माल के रूप में परम्परागत रूप से कपड़े की रद्दी, व्यर्थ कागज, जूट, घास, भूसा आदि को प्रमुखतः से उपयोग किया जाता है। आज पुवाल व्यर्थ, जूट, केले के रेशे, पटसन के रेशे आदि का भी उपयोग हो रहा है। कालपी में कुछ उद्योगपति धनिया, जीरा, आदि का भी उपयोग कर कागज में निखार लाते हैं। प्रमुख मशीनरी में चाकू, धानकी, (गूदे हेतु) हैण्ड ग्लेसिंग हेतु पम्स्टिोन आदि का प्रयोग पूर्व में होता था। आज विद्युत चालित संयंत्र जैसे रैग चापर, होलेन्डर बीटर, हाइड्रोलिक प्रेस, कैलेन्डरिंग मशीन तथा कटिंग मशीन का प्रयोग हो रहा है। पैदल चलित, डिपिंग मैथड से मीट को उठाया जाता है। अधिकांश बड़ी इकाइयों में सिलेन्डर मोल्ड बैट (सी०एम०वी०) मशीन का भी प्रयोग होता है। इससे कागज उत्पादकता बढ़ी है तथा उद्योगपति गुणवत्ता युक्त कागज का उत्पादन सुनिश्चित कर रहे हैं। देहरादून, पुणे, में कृषि रेशों का प्रयोग बहुतायत में हो रहा है जबकि कालपी में सी०एम०वी० टेक्नोलॉजी

का प्रयोग हो रहा है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग हस्तनिर्मित कागज की इकाइयों को मान्यता देता है तथा उन्हे वित्तीय सहायता प्रदान करता है। लगभग 80 इकाइयों को आयोग ने मान्यता दी जबकि 1993–94 में कुल पूँजी निवेश अनुमानतः 15 करोड़ रुपये था। जबकि इन इकाइयों ने उस वर्ष 15.06 करोड़ रुपये का उत्पादन किया।

हस्तनिर्मित कागज को प्रोत्साहन अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से भी मिलता है। यू०एन०डी०पी० ने सांगानेर जैसे उद्योग समूह को वित्त पोषित किया है। इस परियोजना के तहत कौशल संवर्धन, विपणन व्यवस्था, तकनीक हस्तांतरण तथा उत्पादक विविधता आदि सुनिश्चित किया गया है। वर्ष 2000 तक खादी एवं ग्रामोद्योग का अनुमान था कि लगभग 1000 हस्तनिर्मित कागज उद्योग इकाइयां पूरे राष्ट्र में लगायी जाएगी और इसके लिए उन्होने इसमें स्वैच्छिक संस्थाओं तथा उद्योग इकाइयों को भी शामिल किया है।

आज अधिकांश उद्योग इकाइयाँ या तो रुग्ण हैं या फिर अपनी संस्थापित क्षमता से कम उत्पादन कर रही है। 1993–94 में 35 इकाइयाँ रुग्ण थी जबकि 90 इकाइयां उत्पादन नहीं कर रही थीं। यद्यपि 50 इकाइयों को पुर्नजीवित किया जा सकता था। कुमारय्पा नेशनल हैण्डमेड पेपर प्रोजेक्ट, जयपुर आज रुग्ण इकाइयों को पुर्नोजीवित करने तथा व्यवसाय विस्तार हेतु, परामर्शी सेवाएं देता है। अधिकाशं औद्योगिक इकाइयां बदलते व्यवसाय पर्यावरण, वातावरण में व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा के कारण अपने उत्पादों की बिक्री में समस्याओं का सामना कर रहे हैं। पुनः कुछ इकाइयों को छोड़कर अधिकांश इकाइयों ने अपने उत्पादों का विविधीकरण नहीं किया है और वित्तीय समस्या के कारण इकाई का आधुनिकीकरण भी नहीं किया है। प्रशिक्षण संस्थान, विपणन इकाइयां और अन्य संस्थान सुचारु रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं। खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग भी कालपी (उ०प्र०) के हस्तनिर्मित कागज उद्योग इकाइयों को पूरी तरह मदद नही कर पा रहा है क्योंकि यह क्षेत्र शहरी सीमा में चला गया है और विभाग/आयोग मात्र ग्रामीण उद्योगों को ही आर्थिक्र सहायता प्रदान करता है। औद्योगिक इकाइयों को निरन्तर विद्युत आपूर्ति, कच्चे माल की समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है, यहाँ तक कि बैंकों से उन्हें समय पर आर्थिक सहायता नहीं मिल पा रही है और उनके उत्पाद का ढेर विपणन व्यवस्था के अभाव में जमा है। आज सबसे अधिक आवश्यकता इस बात की है कि इन औद्योगिक इकाइयों को विपणन क्षेत्र में परामर्श सेवाएं अवश्य दी जाएं।

हस्तनिर्मित कागज का निर्यात

पेपर मार्ट, अप्रैल, 2001 में प्रकाशित एक रिर्पोट में यह उल्लेखित किया गया है कि वर्ष 2000 में पेपर उद्योग ने 418.50 करोड़ रुपये का निर्यात किया जबकि वित्तीय वर्ष 1998–99 में 355.70 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ। इस प्रकार निर्यात में 18 प्रतिशत की वृद्धि दर सन्तोषजनक रही। इस वृद्धि से पेपर उत्पाद, केमिकल एवं इससे जुड़े उत्पादों की श्रेणी में यह प्रथम दस उद्योगों में आ गया। भारतीय पेपर में सबसे अधिक निर्यात हस्तनिर्मित कागज तथा इससे बनी वस्तुओं का होता है। हस्तनिर्मित कागज बनाने के लिए कम पूँजी तथा अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। चूंकि भारत में श्रमिक आसानी से उपलब्ध हो जाते है अतः अन्य देशों की तुलना में भारत में बना हस्तनिर्मित कागज सस्ता होता है। अप्रैल से नवम्बर 2000 तक भारत से 57.52 करोड़ रुपये मूल्य का हस्तनिर्मित कागज निर्यात किया गया। बिना कोटिंग वाले कागज एवं बोर्ड का निर्यात इसी दौरान दूसरे स्थान पर रहा तथा दोनों तरफ कोटिंग वाले पेपर एवं पेपर बोर्ड का स्थान तीसरे नम्बर पर रहा। पुनः भारत से पेपर एवं पेपर बोर्ड का सर्वाधिक निर्यात श्रीलंका को किया गया। इस दौरान श्रीलंका ने भारत से लगभग 25.4 करोड़ रुपये का कागज एवं गत्ता आयात किया। वर्ष 2000 में श्रीलंका भारत से सबसे अधिक पेपर तथा बोर्ड आयात करने वाला देश रहा। भारत से पेपर आयात करने वाले प्रमुख राष्ट्रों में श्रीलंका, नाइजीरिया, सऊदी अरब, मलेशिया, ईरान, सूडान, इजिप्ट, उक्रैन तथा म्यांमार आदि हैं। आई०टी०सी० भ्रदाचलम् भारत में पेपर एवं बोर्ड बनाने वाली कम्पनियों के शीर्ष पर है। भारत से पेपर एवं बोर्ड सबसे अधिक इसी कम्पनी द्वारा निर्यात किया जाता है। इस कम्पनी का नाम दक्षिण एशिया की प्रमुख पेपर उत्पादक कम्पनियों में से है। कम्पनी का व्यवसाय मलेशिया, श्रीलंका, आस्ट्रेलिया, सिंगापुर तथा सउदी अरब तक फैला है। इस कम्पनी के बाद टी०एन० न्यूजप्रिंट लि०, जे०के० का० लि०, आंध्र प्रदेश पेपर मिल्स, तथा बलारपुर इन्डस्ट्रीज लि० आदि है।

अखिल भारतीय हस्त निर्मित कागज उद्योग संघ, सांगानेर, जयपुर कागजियों को बाजारोन्मुख विपणन रणनीतियां सुझाता है। 1992 के न्यूयार्क पेपर स्टेशनरी शो ने कागजियों को हस्तनिर्मित कागज के निर्यात हेतु अर्न्तराष्ट्रीय फोरम प्रदान किया। इस

शो में भारत से लगभग आधा दर्जन औद्योगिक घरानों ने भाग लिया। इस शो से उत्साहित होकर खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों, ट्रेड फेयर (व्यापारिक मेलों) को लन्दन, घाना तथा सिंगापुर में आयोजित किये तथा इनमें भाग लेकर निर्यात संभावनाओं को बढ़ाया। आज हैण्ड मेड पेपर एण्ड बोर्ड इन्डस्ट्रीज, सांगानेर पूर्णतः निर्यातोन्मुख बन गया है। वर्ष 1993–94 में इसने 2.14 करोड़ रुपये का हस्तनिर्मित कागज तथा बोर्ड का निर्यात किया। 1993–94 में 6 करोड़ रुपये का हस्तनिर्मित कागज का निर्यात हुआ जबकि 1990–91 में मात्र 60 लाख रुपये का ही निर्यात हुआ था। शंकर ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, हापुड़ (उ०प्र०), ने सीधे हस्तनिर्मित कागज का निर्यात आरम्भ किया। यह खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा व्यवस्थित सिंगापुर मेले में सहभागिता का परिणाम है। इसी प्रकार कागज इन्डस्ट्रीज सांगानेर, ए०एल० पेपर हाउस, सांगानेर, पावन पत्रम, कालपी (उ०प्र०), स्वास्तिक एच०एम०पी० यूनिट, लदवा, शिवनी, आदि ने अपने उत्पादों का विविधीकरण आरम्भ किया। इन उद्योगों ने आकर इन्टरनेशनल इक्सपोर्ट इण्डिया दिल्ली, बम्बई तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संघों/उद्योग के माध्यम से निर्यात को प्रोत्साहन दिया। उदारीकरण के काल में भी हस्तनिर्मित कागज की मांग बढ़ी है। आज विश्व बाजार में भी भारतीय हस्तनिर्मित कागज की मांग लगातार बढ़ रही हैं। इसके लिए हमें गुणवत्तायुक्त उत्पादन, विपणन रणनीतियों के विकास तथा निर्यातोन्मुख रीतियों के गठन पर बल देना होगा।

तीन सौ साल पुराना हाथ कागज उद्योग- सांगानेर, राजस्थान

सांगानेर (राजस्थान), में चल रहा लगभग सौ साल पुराना हाथ से कागज बनाने का दुर्लभ कुटीर उद्योग और अधिक शासकीय सहायता की प्रतीक्षा में है।

देश में अत्याधुनिक तकनीक विकसित हो जाने के उपरान्त भी यहां अभी भी हाथ से कागज बनाया जा रहा है। हाथ से बने कागज से बनाये जाने वाले रेडियो माइक कोण (स्पीकर) की देश में ही नहीं, विदेशों में भी अत्यधिक मांग होने के बावजूद सरकार से अधिक प्रोत्साहन न मिलने के कारण इस उद्योग से जुड़े करीब आठ सौ लोगों का भविष्य अन्धकारमय हो गया है।

जयपुर रियासत की स्थापना के पहले ही हाथ से कागज बनाने वाले चार परिवार के सदस्यों ने सबसे पहले अलवर जिले के तिजारा कस्बे में अपना काम करना शुरू

किया था। इसके पश्चात अजमेर राज्य की स्थापना के समय पूर्व शासक ने अपने राज्य के कार्यों के लिए काम में आने वाले कागज की आवश्यकता को पूरी करने के लिए इन परिवारों को अजमेर के निकट लाकर बसा दिया।

इस क्षेत्र का भ्रमण कर हाथ से कागज बनाने और इस कागज से रेडियो कोण बनाने से जुड़े परिवारों से बातचीत करने पर यह तथ्य उभर कर सामने आया।

हाथ से बने कागज के रेडियो कोण (स्पीकर) बनाने का काम इस क्षेत्र के हर घर में चल रहा है। यहाँ बने रेडियो कोण जापान से आयात किए जाने वाले रेडियो कोणों से कहीं अधिक बेहतर साबित होने के कारण उनकी मांग अधिक है। जापान भी इस तकनीक को विकसित करने में असफल रहा, जबकि सांगानेर ने इस विधि को विकसित कर दिखाया।

देश भर में यह इकलौता स्थान है, जहां रेडियो कोण (स्पीकर कागजी ढांचा) हाथ से बनाए गए कागज द्वारा तैयार किया जाता है। यूं तो कोण का निर्माण हर स्थान पर होता है, परन्तु इन स्थानों पर जापान से आयातित कागज का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि यहां सांगानेर में स्वयं हाथ द्वारा बनाए गए कागज को रेडियो कोण बनाया जाता है।

हाथ से बनाए जाने वाले इस ऐतिहासिक कुटीर उद्योग से जुड़े लोगों ने बताया कि आमेर शासक द्वारा हाथ से कागज बनाने के काम में लगे चार परिवारों को आमेर के निकट लाकर बसा दिया गया। उस समय तक जयपुर रियासत नहीं बनी थी। उन्होंने बताया कि कुछ समय तक चारो परिवारों के सदस्यों ने आमेर शासक के काम आने वाला कागज बनाया, पर पानी की कमी के कारण थोड़े अंतराल के बाद इन्हें यहां सांगानेर लाकर बसा दिया गया।

कहा जाता है कि आमेर की घनी आबादी होने से पहले ही हाथ से कागज बनाने का कारखाना एवं इससे जुड़े कारीगरों को पहले ही यहां लाकर बसा दिया गया। लोगों ने बताया कि पूर्व शासक ईश्वर सिंह के नाम से ईश्वरशाही कागज बना। जयपुर रियासत की स्थापना होने के बाद राज्य के काम में आने वाला कागज यहां बनता था। नागरिकों ने बताया कि जयपुर के शासक माधो सिंह के शासन के दौरान उनके काम में आने वाला कागज यहां से बन कर जाता था। उन्होंने बताया कि इन

कागजों पर शासकी फोटो छापी जाती थी, जबकि उस समय फोटो छापने की तकनीक विकसित भी नहीं हुई थी। उन्होंने बताया कि आमेर में आज भी वह स्थान सुरक्षित है, जहाँ सबसे पहले हाथ से कागज बनाने का काम शुरू हुआ था।

राजस्थान राज्य का गठन होने के बाद अदालती कार्यों में काम आने वाला पाईपेपर हाथ से बनाया गया कागज ही था। केन्द्र से राज्य सरकार ने भी काफी वर्षों तक यहां बने कागज को खरीदा था।

कहा जाता है कि बेकार कागज के टुकड़ों को पानी के एक बड़े हौज में दो दिनों तक गलाया जाता है। इस पानी के हौजों में कास्टिक सोडा घुला होने के कारण कागज गल जाता है। चालीस किलोग्राम बेकार कागज के टुकड़ो को गलाने के लिए दस मटकी पानी में ढाई किलोग्राम कास्टिक घोल में दो दिनों तक गलाना पड़ता है।

दो दिनों तक पानी के हौज में गलाने के बाद उसे साफ पानी से धोया जाता है, जिससे उसमें से गंदगी कचरा निकल जाता है। इससे बेकार कागज की सदकी बन जाती है, जिसे इस उद्योग में लगे व्यक्ति अपने घर ले जाते हैं। सदकी को लकड़ी के बने सांचे पर जिनसे प्लास्टिक के तार बंधे होते हैं, पर फैला दिया जाता है। इसके बाद बारीक कपड़ा रखकर धूप में उसे सुखा दिया जाता है। इसके साथ ही कागज तैयार हो जाता है।

हाथ से बने कागज से निमंत्रण पत्रों के काम में आने वाली कार्डशीटस, फाइल कवर, ब्लेटिंग कागज, पाई पेपर तैयार किए जाते हैं। हाथ से कागज बनाने और इस कागज से रेडियो कोण बनाने में एक सौ पचास परिवार इस काम में लगे हुए हैं। यहां बारह वर्ष से लेकर अस्सी वर्ष की उम्र के व्यक्ति इस अनोखे कुटीर उद्योग को जिंदा रखने के लिए काम कर रहे हैं।

हाथ से बने कागज से रेडियो कोण बनाने का कार्य इस क़स्बे में विशेष रूप से कागजी मोहल्ले के हर एक मकाने में होता है। रेडियो कोण बनाने के कागज के लिए आम तौर पर जापान पर आश्रित रहना पड़ता है, पर यही एक मात्र ऐसा स्थान है, जहां स्वदेशी कागज से रेडियो कोण बनाए जाते हैं। रेडियो कोण बनाने के लिए कागज की सदकी को दबाव देकर पानी निकालने के बाद फैला कर हीटर पर रख दिया जाता है जिससे वह कागज बन जाता है। कागज बन जाने के बाद इस कागज की नाप के अनुसार

कटिंग की जाती है। कटिंग के बाद बारीक झालीनुमा प्लास्टिक कपड़े को इसके साथ रख कर दबा देने के बाद रेडियो कोण के नाप के अनुसार कटिंग कर दी जाती है।

रेडियो कोण बनाने में किसी भी प्रकार की मशीन उपयोग में नहीं आती है। यह स्थान निर्वात को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। (स्रोत-स्वतन्त्र भारत)

उत्तर प्रदेश के कोरोगेशन उद्योग की कठिनाई

हस्तनिर्मित कागज की तरह उ०प्र० में कारोगेटेड बाक्स के उत्पादन व व्यवसाय की पर्याप्त सम्भावनाएं हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कागज व्यवसाय पर चार प्रतिशत प्रवेश कर लगाने के कारण व्यवसाय से जुड़े उद्योगों के सामने संकट बढ़ता जा रहा है। इस कर के कारण पश्चिमी उ०प्र० के जिलों में चल रही कोरिगेटेड बाक्स कंपनियां काफी प्रभावित हुई हैं। दिल्ली और अन्य राज्यों में कागज पर चार प्रतिशत प्रवेश कर का प्रावधान नहीं है। प्रवेश कर न देने के कारण वहां की कारोगेटेड बाक्स बनाने वाली कंपनियों के सामने उत्तर प्रदेश कारोगेटेड बाक्स निर्माण करने वाली कंपनियों का प्रतिस्पर्धा में टिक पाना मुश्किल हो रहा है।

उत्तर प्रदेश में प्रयोग किए जाने वाले कागज का 40 प्रतिशत भाग बाहर से खरीदा जाता है। इसमें से अधिकतर कागज दिल्ली से खरीदा जाता है। गत नवम्बर माह में प्रवेश कर का प्रावधान चार प्रतिशत किया गया। यह कर राजस्व बढ़ाने के लिए लगाया गया लेकिन इसका बुरा प्रभाव कारोगेटेड बाक्स बनाने वाली कंपनियों और कागज का व्यापार करने वाले व्यापारियों पर पड़ा। कारोगेटेड बाक्स बनाने वाली कंपनियों को पहले उत्तर प्रदेश से फार्म 3 ख के विरुद्ध 2.5 प्रतिशत व्यापार कर तथा केन्द्र से फार्म सी के विरुद्ध चार प्रतिशत व्यापार कर देना पड़ता है। वर्ष 2001 से उत्तर प्रदेश के व्यापारियों को चार प्रतिशत कर, प्रवेश कर के रूप में और देना प्रस्तावित है। इस प्रवेश कर लगाने से लगभग 350 कारोगेटेड कंपनियां प्रभावित होंगी।

उ०प्र० के पड़ोसी राज्यों में दिल्ली में कागज़ का काफी बड़ा बाजार है। पूरे देश के व्यापारी यहाँ एकत्रित होते हैं। यहाँ आकर व्यापारी यहीं से कागज एस०टी० के विरुद्ध खरीदते हैं। उन्हें कोई व्यापार कर नहीं देना पड़ता है। हरियाणा में कंपनियां कागज की खरीद पर जो बिक्री कर विक्रेता को देती हैं, वे देय बिक्री कर में से घट

जाता है। पंजाब में कागज पर कर केवल एक प्रतिशत है। इसलिए इन राज्यों में बाक्स की उत्पादन लागत उत्तर प्रदेश के मुकाबले कम होती है। यही कारण हैं कि उत्तर प्रदेश की कारोगेटेड बाक्स बनाने वाली कंपनियां खराब स्थिति में पहुंचने लगी है। पश्चिमी उ०प्र० के साथ-साथ उ०प्र० के पिछड़े मिलों में विगत वर्षो में कई करोगेटेड बाक्स बनाने वाली कम्पनियों को प्रारम्भ किया गया किन्तु अधिक उत्पादन लागत, कम सरकारी सुविधाएं, अपर्याप्त बाजार की मांग तथा अकुशल श्रमिक ऐसे कारण हैं जो कि इस उद्योग के आगे बढ़ने और समृद्धशाली होने में बाधक बन रहे हैं।



अध्याय-IV

उद्योग का विकास

भारत में कागज उद्योग का वास्तविक विकास वर्ष 1955-60 के दौरान हुआ। इसी अवधि के दौरान कागज उद्योग की प्रतिस्थापित क्षमता में लगभग 115% की वृद्धि हुई और उत्पादन में लगभग 87% की वृद्धि हुई। वर्ष 1960-65 के दौरान प्रतिस्थापित क्षमता में लगभग 60% की और उत्पादन में लगभग 55% की वृद्धि हुई। इकाईयों की संख्या दुगुनी होकर 25 से 52 हो गई। इस अवधि के दौरान कृषि अपशिष्ट (Residue) और रद्दी कागज के इस्तेमाल पर आधारित छोटी कागज की मिलों का अत्यन्त महत्वपूर्ण विकास हुआ, सरकारी नीतियाँ इस आर्थिक विकास में सहायक हुई। फिर भी वर्ष 1965-1975 तक की 10 वर्षों की इस अवधि के दौरान कई कारणों से कागज उद्योग का विकास धीमा रहा और इसके परिणामस्वरूप क्षमता उपभोग का स्तर काफी नीचा रहा। वर्ष 1980 के दौरान विशेष रूप से 24000 टन प्रतिवर्ष से कम की क्षमता वाली छोटी कागज की मिलें विकसित होना प्रारंभ हुई। आज ये छोटी कागज की मिलें देश की कुल क्षमता और कागज उत्पादन का लगभग 50% हैं। पिछले 10 वर्षों में बड़ी मिलों ने उपभोग क्षमता के 85 से 90% भाग का परिचालन प्रारंभ कर दिया है। फिर भी उद्योग की कुल उपभोग क्षमता वर्ष 1990 में काफी कम रही। इस समय क्षमता उपभोग लगभग 64% रहा जो पुनः 1990-91 में कम होकर लगभग 60% रह गई। वर्ष 1999 में 25.5 लाख टन की कल क्षमता के विरुद्ध कुल उत्पादन लगभग 99.5 लाख टन रहा। छोटी और मध्यम कागज की इकाईयों से 50% उत्पादन होता है। 8 वीं पंचवर्षीय योजना अवधि (1992-1997) के अंत में यह मांग लगभग 25.5 लाख टन हो गई जो वर्ष 2000 में बढ़कर लगभग 34 लाख टन तक पहुँच गई। इन अनुमानों से यह प्रमाणित होता है कि वर्ष

2001 में यही स्थिति बनी रही तथा यह लगभग 36 लाख टन के बराबर हो गई। मांग की वार्षिक वृद्धि लगभग 5.5% है जो भविष्य में बढ़ना ही है। तदनुसार यह अनुमान है कि वर्ष 2010 तक कागज की वार्षिक मांग लगभग 61 लाख टन होगी।

इस तथ्य के बाबजूद कि छोटी कागज की मिलों को पूर्व में सरकार से सरकारी शुल्क और कर राहत के रूप में प्रोत्साहन मिलता रहा है तो भी इस उद्योग को बहुत सी समस्याओं (विशेष रूप से कच्चे माल के आयात की समस्या) का सामना करना पड़ता है जिनमें कमी किए जाने की आवश्यकता है। साथ ही उर्जा संरक्षण एवं कृषि आधारित कच्चे माल का प्रयोग भी इस समय की आवश्यकता है। वार्षिक उत्पादन और कागज की मांग के मध्य अब भी लगभग 1 लाख टन का अंतर है, साथ ही मिलें क्षमता का अधिक उपयोग नहीं कर पा रही हैं और कई मिलें ताला बंदी और बंदी का सामना कर रही हैं। वर्ष 1990-2000 तक के पिछले 10 वर्ष के दौरान भारतीय कागज उद्योग में निःसंदेह सुधार हुआ है और उत्पादन की गुणवत्ता व मात्रा में वृद्धि हुई है जिसके कारण कागज का निर्यात बढ़ा है। वर्ष 1999 की तुलना में वर्ष 2000 में इसके निर्यात में 18% की वृद्धि हुई है। वर्ष 1999 के 355 करोड़ के निर्यात की तुलना में वर्ष 2000 में रु० 418 करोड़ के कागज का निर्यात किया गया।

घरेलू बाजार में कागज के वर्तमान मूल्य का स्तर उपभोग की मांग की अपेक्षा अधिक संतोषजनक नहीं है परिणामस्वरूप विभिन्न प्रकार के कागज जैसेः औद्योगिक कागज, कागज बोर्ड, पैकेजिंग कागज आदि की मांग में धीमी वृद्धि प्रदर्शित हुई। यह भी कहा जा सकता है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान कागज की मांग लचीली नही रही है। मूल्य बढ़ने के कारण मांग में वृद्धि नही हुई। अशोक पेपर मिल्स (बिहार और आसाम), रोहतास इण्डस्ट्रीज (बिहार) बंगाल पेपर मिल्स और टीटागढ़ पेपर मिल्स (पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा) जैसी इकाइयाँ बंद हो गई। 2000 से 20,000 टन का उत्पादन करने वाली गैर पारम्परिक कच्चे माल पर आधारित इन कागज़ की मिलों का बीमार होना विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। 10,000 टन प्रतिवर्ष से अधिक की क्षमता वाली इकाईयाँ, जो रद्दी कागज को पुनः चक्रित (Recycle) करने, भूसा आदि पर आधरित है, भी समस्याग्रस्त हो रही हैं। इसमें से कुछ मिलें अपने कर्जे का भुगतान भी नही कर पा रही हैं और वित्तीय संस्थाओं द्वारा उनके विरुद्ध बार-बार कार्यवाही करना पड़ रहा है।

1975 के पूर्व कुछ बड़ी इकाइयों द्वारा उत्पादन के बहुत बड़े भाग को नियंत्रित किया जाता रहा है। फिर भी पिछले दो दशकों के दौरान छोटी और मध्यम आकार की कागज की मिलों की स्थापना के साथ बड़ी मात्रा में विकेन्द्रीकरण किया गया। कागज की इन इकाईयों की सामान्य समस्या पुनर्वास, विकास एवं आधुनिकीकरण के लिए वित्त की कमी है। इन समस्याओं के साथ-साथ कई मिलें सामान्य मूल्य ह्रास सामान्य रिपेयर और रिप्लेसमेंट भी नही कर सकी हैं। वास्तव में बेहतर वित्तीय प्रबंधन के रास्ते की खोज करने के लिए उद्योगों, सरकार, वित्तीय संस्थान और बैंक को एक साथ कार्य करने की आवश्यकता है। वर्तमान में कागज उद्योग की खस्ताहाल वित्तीय स्थिति के लिए निम्नलिखित कारण जिम्मेदार है:

1. कच्चे माल की अपर्याप्त उपलब्धता
2. कागज उद्योग, जो हानि की स्थिति में है, पर नियंत्रण का प्रभाव
3. मांग में गिरावट
4. कच्चे माल की ऊँची लागत
5. मूलभूत समर्थन की कमी
6. कराधान की बढ़ी दर
7. ब्याज भार और अतिरिक्त निवेश का मूल्य ह्रास
8. प्रबंधकीय कुशलता की कमी

ऊर्जा और विद्युत आपूर्ति कुछ ऐसी अन्य समस्याएं जिनका कागज उद्योग गंभीर रूप से सामना कर रहा है। ऊर्जा की कमी के कई कारण हैं जैसेः- सामान्य कोयले और अच्छे कोयले की खराब आपूर्ति, बिजली का बार-बार जाना और वोल्टेज का उतार-चढ़ाव (Fluctuation), आदि। अधिकतर उद्योगों के पास ईंधन, आग और रिकवरी ब्वायलर्स से भाप के इस्तेमाल द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने वाले निजी पावर जनरेटर प्लांट हैं। लेकिन कागज और कागज-बोर्ड उद्योग सरकार द्वारा आपूर्तित बिजली पर निर्भर है। ऊर्जा का संरक्षण भी समान रूप से आवश्यक है जो निम्नलिखित उपायों द्वारा ही संभव है:

(क) गैर पारम्परिक स्रोतों का प्रयोग

(ख) उपकरण और प्रक्रिया सुधार

(ग) इन प्लांट मेजर्स

ऊर्जा मंत्रालय, में जो संस्थाओं को वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों का विकास करने के लिए अनुसंधान करने हेतु प्रोत्साहित करता है, बार्क (Bark), फायर्ड ब्यायलर्स (Fired Boilers) को काफी किफायती पाया गया है जिसने बायोगैस (Biogas) का भी विकास किया है। सौर ऊर्जा का भी उपयोग किया जा रहा है और सोलर हिटर्स और संबधित उपकरण/प्रक्रिया ऊर्जा संरक्षण में सहायक हो सकती है। अतः सरकार को आगे आना चाहिए और इन्हें प्रोत्साहन उपलब्ध कराना चाहिए, साथ ही गैर पारम्परिक ऊर्जा/संसाधनों के सघन उपभोग के लिए आवश्यक उपाय करना चाहिए। उपयुक्त श्रम शक्ति प्रशिक्षण के माध्यम से बरबादी को रोककर किए गए योजनाबद्ध उपाय ऊर्जा संरक्षण में सहायता प्रदान करते हैं।

न्यूज़प्रिंट-उदगम् एवं विकास

समाचार पत्रों तथा पुस्तकों की छपाई में प्रयोग होने वाले एक खास प्रकार के पतले कागज को न्यूज़प्रिंट कहा जाता है। साधारण न्यूज़प्रिंट अधिकतर समाचार पत्र एवं मैगज़ीन छापने में तथा 'ग्लैज' न्यूज़प्रिंट, पत्रिकाओं एवं समाचार पत्रों के रंगीन हिस्सों को छापने में प्रयोग होता है। न्यूज़प्रिंट के कागज़ उद्योग का ही एक अंग होने के बावजूद ऐसे बहुत कम उत्पादनकर्ता हैं जो एक साथ उत्पादन करते हों। न्यूज़प्रिंट की उत्पादन प्रक्रिया आम कागज़ की उत्पादन प्रक्रिया से भिन्न है। न्यूज़प्रिंट को एक भिन्न प्रकार के 'पल्पिंग' की आवश्यकता होती है। इस खास पल्पिंग का कार्य होता है कि वह न्यूज़प्रिंट में कुछ विशेष गुण लाये जैसे-तेल को सोखने योग्य क्षमता, उत्तम छपाई योग्यता, कम ग्रामेज, अपारदर्शिता आदि। न्यूज़प्रिंट उत्पादन में मैकेनिकल तथा कैमिकल प्रक्रियाओं का समावेश किया जाता है। साधारणतः मैकेनिकल तथा कैमिकल पल्पिंग का अनुपात 80:20 रहता है। मैकेनिकल पल्प के कारण ऊर्जा की खपत बढ़ जाती है। परन्तु प्रति टन उत्पादन में कैमिकल की खपत काफी कम हो जाती है।

पेपर मार्ट 2001 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1995 तक भारत में न्यूज़प्रिंट की आपूर्ति पूर्णतः आयात से पूरी होती थी। अपना उत्पादन न के बराबर था। वर्ष 1955 में पहली भारतीय न्यूज़प्रिंट उत्पादन मिल की स्थापना हुई। 80,000 टन प्रतिवर्ष के उत्पादन की क्षमता वाली इस मिल का नाम था 'नेपा' (नेशनल न्यूज़प्रिंट एण्ड पेपर मिल्स)।

इसके बाद काफी वर्षों तक अखबारी कागज़ का उत्पादन करने वाली किसी भी मिल की स्थापना नहीं हुई। वर्ष 1979 में स्थापित "तमिलनाडु न्यूज़प्रिंट एण्ड पेपर लिमिटेड" ने वर्ष 1982 में न्यूज़प्रिंट उत्पादन शुरू किया। वर्ष 1980 में तीन अन्य मिलों ने भी उत्पादन शुरू कर प्रतिवर्ष न्यूज़प्रिंट उत्पादन को 3.5 लाख टन पर ला दिया। वर्ष 1989–90 में सरकार ने न्यूज़प्रिंट क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोल दिया। सरकार द्वारा कृषि आधारित मिलों की स्थापना को भी प्रोत्साहन तथा विशेष सुविधाएं प्रदान की जाने लगीं। सरकार की इस नीति से क्षेत्र में जैसे मिलों की बाढ़ ही आ गयी। वर्ष 1994–95 तक न्यूज़प्रिंट के क्षेत्र में लगभग पंद्रह मिलों ने प्रवेश किया, जिससे इस क्षेत्र की उत्पादन क्षमता 6 लाख टन प्रति वर्ष हो गयी।

मांग एवं आपूर्ति

न्यूज़प्रिंट की मांग सीधे तौर पर देश के साक्षरता स्तर समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं की संख्या, इनके साइज आदि पर निर्भर करती है। भारत में साक्षरता दर वर्ष 1971 में 34.45 प्रतिशत, वर्ष 1981 में 43.56 प्रतिशत तथा वर्ष 1991 में 52.21 प्रतिशत पर रही।

समाचार पत्रों तथा अन्य पत्रिकाओं की संख्या वर्ष 1980 में 500 से बढ़कर वर्ष 1995 में पत्रिकाओं आदि की संख्या 22500 तक जा पहुँची। पत्रकारिता में प्रतिस्पर्धा आने से प्रकाशक अपने पाठकों को अधिक सामग्री, रंगीन पृष्ठ, बेहतर छपाई आदि उपलब्ध कराने को बाध्य हो गये। इन सब कारणों से भारत में न्यूज़प्रिंट की मांग खूब बढ़ी। वित्तीय वर्ष 1998 में भारतीय न्यूज़प्रिंट बाज़ार में निम्नलिखित उत्पादन कर्ता थे।

कम्पनी	क्षमता
मैसूर पेपर	0.09
हिन्दुस्तान न्यूज प्रिंट	0.11
नेपा	0.088
टी०एन०पी०एल०	0.09
रामा न्यूज प्रिंट	0.06

न्यूजप्रिंट क्षेत्र में उत्पादन क्षमता के प्रयोग का स्तर समय-समय पर घटता-बढ़ता रहा है। वर्ष 1982–83 में जहाँ उत्पादन क्षमता का 42 प्रतिशत उपयोग हो सका वहीं वर्ष

1986-87 में कुल क्षमता के 97 प्रतिशत का प्रयोग होने लगा। 1986-87 के उपरान्त कुछ वर्षों तक कुल क्षमता के 80 से 90 प्रतिशत तक का उत्पादन होता रहा परन्तु 90 के दशक में उत्पादन घट कर क्षमता के 45 से 60 प्रतिशत तक ही हो सका।

आयात स्तर

वर्ष 1955 तक भारत में न्यूज़प्रिंट शत प्रतिशत आयात होता था। इसी वर्ष 'नेपा' की स्थापना से न्यूज़प्रिंट का आयात कुछ कम हुआ। आयातित अखबारी कागज़ मांग एवं आपूर्ति संतुलन बनाए रखने में अच्छा सहयोग करता रहा है। 1980 से 1995 के दौरान देश में आयातित न्यूज़प्रिंट की मात्रा दो से तीन लाख टन के बीच रही। परन्तु पिछले वर्ष आयात शुल्क कम हो जाने के कारण आयतित कागज़ भारतीय उत्पादन कर्त्ताओं के समक्ष एक चुनौती बन कर खड़ा हो गया है। वर्ष 1996 में भारत ने 3.4 लाख टन न्यूज़प्रिंट का उत्पादन किया। वर्ष 1998 में आयातित न्यूज़प्रिंट की मात्रा 5 लाख टन पर पहुँच गयी।

सरकार द्वारा न्यूज़प्रिंट के आयात की एक सीमा निर्धारित करने के कारण 90 के दशक की शुरूआत में बहुत से नकली समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं की स्थापना हुई। इन समाचार पत्रों को केवल न्यूज़प्रिंट आयात करने की अनुमति लेने के लिए स्थापित किया जाता था। यथार्थ में यह नकली पेपर कभी छपते ही नहीं थे। इनके द्वारा आयातित कागज़ बाज़ार में अवैध रूप से बेच दिया जाता था। इसके साथ कई छोटे समाचार पत्र भी अपने 'कोटे' का कागज़ खुले बाजार में बेच देते थे। इससे भारत में बने अखबारी कागज़ की मांग नाटकीय रूप से घट गयी।

यह सब देखते हुए सरकार ने 'कोटा' व्यवस्था या आयात की सीमा हटाने का निर्णय लिया। साथ ही 1998-99 के बजट में बेसिक आयात शुल्क 10 प्रतिशत से घटा कर 5 प्रतिशत कर दिया गया। न्यूज़प्रिंट को हर आयात पर लगने वाले अतिरिक्त आयात शुल्क से भी मुक्त कर दिया गया।

आयातित न्यूज़प्रिंट की मात्रा आने वाले वर्षों में 3 लाख टन के आस-पास ही रहेगी ऐसा अनुमान है।

न्यूज़प्रिंट की मात्रा एवं पूर्ति 1000 टन में					
वर्ष	**1996–97**	**1997–98**	**1998–99**	**1999–00**	**2000–01**
क्षमता	750	780	810	875	925
उपभोग %	41.33	51.92	54.94	55.71	59.32
उत्पादन	310	405	445	488	549
आयात	365	325	325	315	310
कुल पूर्ति	675	730	770	803	859
मांग	660	710	750	803	859
निर्यात	0	0	0	0	0
कुल माँग	**660**	**710**	**750**	**803**	**859**

(स्रोत- पेपर मार्ट, जनवरी 2001)

न्यूजप्रिंट क्षेत्र से संबंधित मांग में प्रतिवर्ष 6 से 8% की स्थिर वृद्धि प्रदर्शित हुई है। लेकिन कम क्षमता उपभोग के कारण यह मांग और गिरकर 60 से 50% हो गई, जिसका कारण आयतित न्यूज प्रिंट की सस्ती लागत भी रही है। अतः इस स्थिति में सुधार के लिए प्रभावी उपाय किए जाने की आवश्यकता है। न्यूज प्रिंट के आयात के साथ-साथ आर्ट पेपर, चेक पेपर, फोटो पेपर, हाई स्ट्रेगंथ क्राफ्ट पेपर, स्पेशल रैपिंग पेपर, फिल्टर पेपर, केवल और कन्डेन्सर पेपर, टिशू पेपर और विशेष प्रकार के बोर्ड जैसेः- इलेक्ट्रिकल इन्सुलेशन बोर्ड, मैट्रिक्स और मल्टीप्लेक्स बोर्ड आदि प्रकार के कागज और कागज बोर्ड का आयात किया जाता है। सामान्यतया आयातित कागज और कागज बोर्ड की कुल मात्रा 20,000 से 30,000 टन प्रतिवर्ष रही है।

घरेलू मांग को ध्यान में रखते हुए भारत के पास निर्यात के लिए कोई अतिरिक्त कागज नहीं है। कागज और कागज बोर्ड के निर्यात की कुल मात्रा केवल 2000 से 3000 टन रही है जो अधिकतर पड़ोसी देशों में भेजी गई। वर्ष 1982-83 तक लेखन और मुद्रक संबंधी कागज का निर्यात पूरी तरह रोक दिया गया था। इसके पश्चात कुल 10,000 टन तक के कागज के निर्यात की अनुमति प्रथम आवक प्रथम पावक आधार पर दी गई जिसका पूरा उपयोग नहीं हो पाया और अधिकतर निर्यात नेपाल जैसे पड़ोसी देशों में ही किया गया।

भारत के कागज उद्योग में प्राकृतिक वनों से प्राप्त मुख्य रूप से बांस और मिश्रित उष्ण कटिबंधीय हार्डवुड का इस्तेमाल कच्चे माल के रूप में किया जाता है। कागज, कागज बोर्ड और न्यूज प्रिंट की भविष्य की मांग को पूरा करने के लिए वन संबंधी कच्चे माल की आवश्यक मात्रा का आंकलन कुछ समय पूर्व डेवलपमेंट काउंसिल फार पेपर पल्प एंड एलायड इण्डस्ट्रीज द्वारा किया गया था, जिसका विवरण नीचे सारणी में दिया गया है। ये अनुमान इस आकलन पर आधारित है कि कुल आवश्यकता का 30% कृषि अपशिष्ट (Residue) और पुनः चक्रित रेशों पर आधारित उत्पादन से पूरा किया जायेगा और 70% भाग वन संबंधी कच्चे माल पर आधारित उत्पादन से पूरा किया जाएगा।

मिलियन ए०डी०टी०

वर्ष	कागज और कागज बोर्ड की	वन संबंधी कच्चे माल की आवश्यकता
	कुल आवश्यकता	2.8 ए०डी०टी० = 1 टन कागज
1991	2.24	4.40
1996	2.80	5.50
2000	3.40	6.70

वर्ष	न्यूज प्रिंट की कुल	वन संबंधी कच्चे माल की आवश्यकता
	आवश्यकता	2.0 ए०डी०टी० = 1 टन कागज
1991	0.62	0.87
1996	0.80	1.12
2000	1.03	1.45

वन संबंधी कच्चे माल की उपलब्धता, जिसकी आपूर्ति पहले से ही कम है और उत्पाद के वर्तमान स्तर पर भी अपर्याप्त है, और भी गंभीर होने की आशा है। वर्तमान में बांस का अधिकतर भाग (60% से 70%) कच्चे माल की सफाई (Furnish) में उपभोग किया जाता है। यदि मिश्रित उष्ण कटिबंधीय हार्डवूड का इस्तेमाल इसी प्रकार बढ़ता रहा तो सारिणी में दर्शाए गए अनुमान के अनुसार इसकी उपलब्धता में भी कमी आ जाएगी।

कागज और कागज बोर्ड संबंधी कच्चे माल की आवश्यकता

मिलियन ए०डी०टी०

वर्ष	आवश्यकता	उपलब्धता	कमी
1991	4.40	2.85	1.55
1996	5.50	2.85	2.65
2000	6.70	2.85	3.85

न्यूज प्रिंट के लिए कच्चे माल की आवश्यकता

मिलियन ए०डी०टी०

वर्ष	आवश्यकता	उपलब्धता	कमी
1991	0.87	0.36	0.51
1996	1.12	0.36	0.76
2000	1.45	0.36	1.09

ये अनुमान लाभदायक हैं।

कागज उद्योग दस बड़े उद्योगों में से एक है जिनका कच्चे माल के उपयोग के साथ-साथ बेकार उत्पाद के निपटान से पर्यावरण पर बहुत बड़ा अनुकूल प्रभाव पड़ता है। चूँकि भारत विकास के मोड़ से गुजर रहा है। अतः यह आवश्यक है कि पर्यावरणीय समस्याओं का हर स्तर पर उचित प्रबंधन किया जाए। कागज उद्योग वन आधारित कच्चे माल का उपयोग करते हैं क्योंकि ये सेलुलोज के मुख्य स्रोत हैं और कृषि अपशिष्ट (Residue) और घास आदि की कुछ किस्मों के रूप में गैर लकड़ी वाले रेशे (Non-Wood Fibers) की आपूर्ति करते हैं। ऐसे कच्चे माल से कागज बनाने में काफी मात्रा में पानी और ऊर्जा का इस्तेमाल होता है। इस प्रकार से कागज निर्माण में कई पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं जिन्हें मुख्य रूप से दो समूहों में बांटा जा सकता है:

(क) प्राकृतिक वनों का अवक्षय (Deplition)

(ख) पर्यावरण का प्रदूषण

वन संबंधी कच्चे माल पर अधिक निर्भरता से बचने और परिस्थितिजन्य संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ आवश्यक उपाय निम्नलिखित हैः

- दूसरे दर्जे के कच्चे माल जैसे कृषि अपशिष्ट (Residue) और गैर लकड़ी वाले रेशे (Non-Wood Fibers) का प्रयोग बढ़ाना।
- उपर्युक्त किस्मों के चुनाव सहित कागज उद्योग के लिए विशिष्ट रूप से आवश्यक पल्पवूड प्लांटेशन (लुगदी वाली लकड़ी वाले वृक्षारोपण) सहित डीग्रेडेडफारेस्ट्स/वेस्टलैण्ड्स (बेकार पड़ी भूमि) का पुनः वनीकरण (Reforestation)।
- वैज्ञानिक दृष्टि और प्रभावी वन प्रबंधन अपनाकर उपज बढ़ाने के **लिए वानिकी परिचालन** (Forestry Operation) में सुधार।
- संपूर्ण वृक्ष की संकल्पना और उच्चतर उपज तकनीकी दोनों को अपनाकर सेलुलोज युक्त कच्चे माल के उपयोग में सुधार।

वन संरक्षण

वन आधारित कच्चा माल ही लुगदी और कागज उद्योग के महत्वपूर्ण स्रोत है और इसलिए कागज उद्योग को जीवित रखने के लिए वानिकी (Forestry) का विकास बहुत जरूरी है। हालांकि पर्यावरण के प्रदूषण से बचने और परिस्थितिकी (Ecological) संतुलन बनाए रखने के लिए वनों का विकास अत्यंत आवश्यक है। सरकार भी वन अनुसंधान संस्थानों के माध्यम से इंडियन काउंसिल आफ फारेस्ट्री रिसर्च एंड एज्यूकेशन (आई०सी०एफ०आई०ई०) के तत्वाधान में वन के क्षेत्र संबंधी अनुसंधान एवं विकास की ओर निगाह रखे है। जबकि निजी क्षेत्र वन अनुसंधान के मामले में कोई रुचि नही लेते हैं। फिर भी वृक्षारोपण की उत्पादकता में सुधार करने और फार्म वानिकी का विकास करने की दृष्टि से आई०टी०सी० भद्राचलम् ने वर्ष 1989 से विकास अनुसंधान की बड़ी परियोजनाएं प्रारंभ की है। सरापहा (Sarapaha) स्थित आई०टी०सी० भद्राचलय काफी समय पूर्व वर्ष 1979 में स्थापित हुई थी और उनकी सघन लुगदी और कागज मिल की क्षमता 40,000 टन प्रतिवर्ष थी। वर्तमान समय में इसकी क्षमता प्रतिवर्ष 65,700 टन लुगदी और 2,10,000 टन के अच्छी गुणवत्ता कागज बोर्ड और अन्य कागज की है। कागज की इस इकाई की यह महान उपलब्धि है। दूसरी कागज की इकाईयों द्वारा भी ऐसे प्रयास किए जाने की आवश्यकता है, ताकि कागज उद्योग को आत्म निर्भर बनाकर उसे अपने पैरों पर खड़ा किया जा सके। लुगदी और कागज उद्योग की

पर्यावरण प्रदूषण संबंधी समस्या को मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकार विभाजित किया जा सकता है:

(क) लुगदी बनाने के स्तर पर कच्चे माल के कणों द्वारा टाक्सिक गैस और दुर्गंध द्वारा वायु प्रदूषण। लुगदी से कागज बनाने के दौरान भी अत्यधिक गर्मी होन के कारण भी वायु प्रदूषण होता है।

(ख) अपशिष्ट (Residue) रसायनों और टाक्सिक (Toxic) कंपाउंड्स युक्त पानी छोड़े जाने के कारण जल प्रदूषण।

(ग) चूना-कीचड़ (Sludge) आदि युक्त ठोस रद्दी द्वारा भूमि प्रदूषण।

उ०प्र० के कागज और कागज बोर्ड

हमारे देश में कागज उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण स्थान है। वर्ष 1980 में पूरे देश की कुल 121 इकाईयों की तुलना में उ०प्र० में कुल 17 इकाईयाँ थी और इनकी क्षमता कुल प्रतिस्थापित क्षमता की लगभग 6.56% थी। पिछले दो दशकों के दौरान उ०प्र० का यह हिस्सा लगभग यही रहा है। उ०प्र० में कागज को पिकअप (पी०आई०सी०यू०पी०) और यू०पी०एफ०सी० से विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता मिली हैं और यह कहना अतिथ्योक्तिपूर्ण नहीं होगा कि पिकअप (पी०आई०सी०यू०पी०) और यू०पी०एफ०सी० दोनों ने उ०प्र० में कागज की इन इकाईयों को मजबूत आर्थिक आधार प्रदान किया है। पिकअप ने लगभग 100 से ज्यादा इकाईयों को वित्तीय सहायता प्रदान किया है और यू०पी०एफ०सी० लगभग 150 इकाईयों को उ०प्र० में वित्त प्रदान किया हैं।

हस्तनिर्मित कागज के विकास में उ०प्र० का महत्वपूर्ण स्थान है। इस उद्योग को मुख्य रूप से तीन समूहों में बाटा जा सकता है:

(क) प्रत्यक्ष इकाईयाँ

(ख) अप्रत्यक्ष इकाईयाँ

(ग) मान्यता प्राप्त इकाईयाँ

खादी ग्रामोद्योग आयेाग (के०बी०आई०सी०) प्रत्यक्ष इकाईयों को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराता है।

ऐसा अनुमान है कि लगभग 65% कागज की इकाईयाँ उ०प्र० के नोयडा क्षेत्र में हैं और शेष 35% लखनऊ क्षेत्र में स्थित हैं। साथ ही 55% से अधिक इकाईयाँ उ०प्र० के चार जिलों (मुजफ्फर नगर, गाजियाबाद, नैनीताल और मेरठ) में केंद्रित हैं।

उ०प्र० की छोटी कागज की मिलें कच्चे माल के रूप में या तो रद्दी कागज का इस्तेमाल करती हैं अथवा वे कृषि पर आधारित हैं। इन छोटी इकाईयों को बड़ी कागज की मिलों के साथ भयंकर प्रतियोगिता का सामाना करना पड़ता है। वर्ष 1993 में एक समय ऐसा अनुमान था कि रद्दी कागज पर आधारित 220 कागज की मिलों में से लगभग 70 मिले बंद थी। बाद में रद्दी कागज आधारित उनमें से कई मिलें कृषि-लुगदी संयंत्र लगवाकर कृषि आधारित मिलों के रूप में परिवर्तित हो गई। छोटी कागज की मिलें रद्दी कागज के न मिलने से संबंधी गंभीर समस्या से पीड़ित हैं क्यों कि यह अन्य प्रकार से भी इस्तेमाल कर लिया जाता है। वनों के समाप्त होते जाने से लकड़ी की कमी के कारण आयातित रद्दी कागज की लागत बहुत अधिक हो जाती है। कुछ बड़ी और मध्यम आकार वाली कागज की मिलों ने भी रद्दी कागज का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया है जिससे छोटी कागज की मिलों को अधिकमूल्य देना पड़ता है।

छोटी कागज की मिलों के पास मानक, गुणवत्ता और नवीन उपकरणों की कमी है। इसी प्रकार सड़क मार्ग द्वारा कोयले मंगाने के कारण भाप (Steam) की ऊँची लागत के साथ-साथ उपयुक्त रासायनिक रिकवरी प्रणाली (केमिकल रिकवरी सिस्टम) की कमी भी है। ब्यायलर्स की कम ताप क्षमता भी उत्पादन की लागत को बढ़ाता है। साथ ही ये मिलें निम्न समस्याओं का और सामना कर रही हैं:

(क) कार्यशील पूंजी की कमी
(ख) विद्युत आपूर्ति में कमी
(ग) तकनीकी जानकारी की कमी
(घ) घटिया किस्म के कागज का उत्पादन
(ड.) आधुनिक तकनीकी/प्रबंधन तकनीकी के ज्ञान और उसे लागू करने संबंधी कमी।

वर्ष 1994-95 में कार्य संबंधी ढांचे को तर्कसंगत बनाने के लिए पारित वित्त बिल ने इन छोटी कागज की मिलों को बुरी तरह प्रभावित किया है। कृषि आधारित इकाईयों

के लिए उत्पाद शुल्क में छूट को समाप्त कर दिया गया और कागज की विभिन्न किस्मों पर मूल्यानुसार 20% का एक समान शुल्क लगाया गया। इसने छोटी कागज की मिलों के लिए समस्याएं उत्पन्न की। निम्नलिखित उपायों द्वारा छोटी कागज की मिलें अपने उत्पादन की लागत को कम कर सकती हैं और कागज की गुणवत्ता में सुधार कर सकती है:

(क) अधिक मूल्य वाले उत्पाद में परिवर्तित करके
(ख) ऊर्जा बचाने वाले उपकरण लगाकर लागत में कमी करके
(ग) बेहतर तकनीकी का प्रयोग तथा ताप क्षमता में सुधार करके
(घ) एफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर
(ङ) विभिन्न रद्दी कागज की मिलों के लिए कृषि से लुगदी बनाने की सुविधा का प्रावधान करके ताकि, उन्हें कृषि आधारित कच्चे माल के इस्तेमाल लायक बनाया जा सके।

नीचे दर्शाए गए विवरण के अनुसार कागज उद्योग की प्रतिस्थापित क्षमता 1950–51 में 1.37 लाख टन प्रतिवर्ष थी। जो 1970-71 में बढ़कर 7.68 लाख टन प्रतिवर्ष हो गई और 1990–91 में पुनः यह बढ़कर 33-05 लाख टन प्रतिवर्ष हो गई।

कागज और कागज बोर्ड की क्षमता और उत्पादन

वर्ष	इकाईयों की संख्या	क्षमता	उत्पादन	क्षमता उपभोग % में
		(लाख टन में)		
1950-51	17	1.37	1.16	85
1955-56	21	1.86	1.85	99
1960-61	25	4.00	3.45	86
1965-66	52	6.44	5.39	84
1970-71	57	7.68	7.59	99
1975-76	74	10.42	8.29	80
1980-81	135	16.50	11.45	67
1985-86	271	26.55	15.00	57
1989-90	317	32.31	18.75	58
1990-91	325	33.05	20.60	62

पिछले एक दशक के दौरान बंद मिलों को पुनर्जीवित करने और परियोजनाओं की अतिरिक्त क्षमता बढ़ाने/वर्तमान इकाईयों का विस्तार करने और वर्तमान प्रतिस्थापित क्षमता का उपभोग करने के कारण छोटी कागज की मिलों में सुधार प्रदर्शित हुआ है।



अध्याय-V

सार्वजनिक क्षेत्र

भारत में कागज उद्योग का विकास असमान और अनियोजित रहा है। अतः यह आवश्यक हो गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र इसकी जिम्मेदारी स्वीकार करे और कागज उद्योग के विकास की चुनौती स्वीकार करे। कई वर्षों से कई परियोजनाएं प्रारम्भ की गई फिर भी अभी काफी कुछ करना शेष है। साठवें दशक के दौरान निम्नलिखित कारणों से कागज उद्योग के वृद्धि की गति धीमी रही है:

(क) 1961-68 के मध्य मूल्य नियंत्रण का स्थिर रहना

(ख) निवेश लागत में वृद्धि और

(ग) वन आधारित कच्चे माल की कमी

साथ ही पर्याप्त कच्चे माल के क्षेत्र सुदूरवर्ती क्षेत्र नहीं थे जैसेः- उत्तर पूर्वी क्षेत्र में यह उपलब्ध था। विशेष रूप से बस्तर और हिमालयी वनों में मूलभूत समर्थन की कमी थी। निजी क्षेत्र अपेक्षित मात्रा में निवेश करने के लिए अनिच्छुक था। जबकि इसके साथ ही औद्योगिक उद्यमों को बढ़ावा दिया जाना आवश्यक था क्योंकि इससे पिछड़े क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलता। न्यूजप्रिंट के सम्बन्ध में निजी क्षेत्र निवेश करने का इच्छुक नहीं था और काफी लम्बे समय तक एन०ई०पी०ए० मिल्स न्यूजप्रिन्ट निर्माण की एकमात्र इकाई रही थी। घरेलू न्यूज प्रिंट मूल्य निर्धारण नीति गैर लाभकारी रही और इससे सम्बन्धित निवेश कम फायदेमंद था साथ ही उपर्युक्त कच्चे माल के लिए नई उच्च्व लागत वाली तकनीक अपेक्षित थी। इसी पृष्ठभूमि में भारत

सरकार ने कागज और न्यूजप्रिंट की परिष्कृत किस्मों की संभावित कमी को पूरा करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में क्षमता उत्पादन का निर्णय लिया। देश के सरकारी क्षेत्र में नई लुगदी/कागज न्यूजप्रिंट मिल स्थापित करने के उद्देश्य से 29 मई 1970 को भारत सरकार के उद्यम् के रूप में "दि हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड" (एच०पी०सी०) की स्थापना की गई। इस कारपोरेशन की प्राधिकृत पूँजी 500 करोड़ रुपये थी और मार्च 1986 को कुल चुकता पूँजी 466 करोड़ रु० थी। आज 'हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन' (एच०पी०सी०) पेपर एवं न्यूजप्रिंट के बाजार में अग्रणी संस्था है। यह दक्षिण पूर्वी एशिया के गिने चुने बड़े उत्पादकों में से एक है। एच०पी०सी० की पांच मिलों ने इसे शीर्ष पर ला दिया है। कार्पोरेशन सीधे तौर पर लगभग 7,000 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किये हुए है। इसके अतिरिक्त 35,000 अन्य व्यक्ति अप्रत्यक्ष रूप से इसके साथ जुड़े हुये हैं।

हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिखाई एवं छपाई योग्य कागज उत्पादन में बांस को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। न्यूजप्रिंट बनाने के लिए 25 प्रतिशत 'केमिकल पल्प' बांस से तथा 75 प्रतिशत मैकेनिकल पल्प लकड़ी से प्राप्त होता है। असम में लगी दोनों पेपर मिलों के पास दो-दो पेपर मशीन हैं। एच०एन०एल० केरल में लगी न्यूजप्रिंट मशीन जर्मनी की है तथा पल्प मिल स्वीडन की है।

एच०पी०सी० ने अन्तिम उपभोक्ता तक माल भिजवाने के लिए सम्पूर्ण भारत में स्टाकिस्ट एवं अपने सेल आफिस बना रखे हैं। एच०पी०सी० का कारोबार केवल देश तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसके द्वारा इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, बांग्लादेश एवं नेपाल आदि को माल निर्यात किया जाता है। देश के प्रत्येक प्रमुख बंदरगाह के निकट कार्यालय होने से कार्पोरेशन सुनिश्चित करती हैं कि माल सही समय पर तथा ठीक प्रकार से निर्यात हो सके।

व्यापार के साथ-साथ एच०पी०सी० का पर्यावरण संरक्षण एवं साक्षरता बढ़ाने में भी हाथ है। यहां इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि उत्पादन बढ़ाने के साथ पर्यावरण संरक्षण के प्रति भी सजग रहा जाए। एच०पी०सी० की प्रत्येक मिल में

अत्याधुनिक संयत्र लगे हैं जो कि यह नजर रखते हैं कि मिलों से निकलने वाला कचरा पर्यावरण संरक्षण के लिए निर्धारित मापदंडों के भीतर ही रहे।

एच०पी०सी० लिखाई एवं छपाई योग्य कागज विभिन्न 'ग्रामेज' और उत्तम 'क्वालिटी' में बनाती हैं क्रीमवौव मैपोलिथो, आफसेट प्रिंटिंग, रंगीन प्रिंटिंग आदि श्रेणियों के पेपर हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन की विशेषता है। यदि पेपरमार्ट, में छपी रिपोर्ट का विश्लेषण करें तो हम यह पाते हैं कि भारत में पेपर उद्योग को उत्पादन से जुड़ी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है कच्चे माल की समस्या उन्हीं में से एक है। यहाँ वनों की कटाई पर रोक एवं पर्यावरण संरक्षण नियमों के कारण कागज बनाने वाली कई मिलों को रोजाना कठिनाई झेलनी पड़ती है। हिन्दुस्तान पेपर कोर्पोरेशन भी इसी समस्या का सामना कर रही है। कच्चे माल की कमी के कारण कार्पोरेशन की कचार (असम) स्थित मिल में दो महीने के लिए उत्पादन रोकना पड़ा था। इस कारण यह मिल अपनी एक लाख टन की उत्पादन क्षमता का दोहन नहीं कर पा रही हैं। मिल अपने उत्पादन क्षमता का लगभग 75 से 80 प्रतिशत ही उत्पादन करने में सफल हो पा रहीं है, वहीं दूसरी ओर असम के नाउगांग स्थित मिल में उत्पादन क्षमता का सौ प्रतिशत उत्पादन दर्ज किया गया। अभी इस मिल का कच्चे माल की समस्या से सामना नहीं हुआ है। यदि पिछले उत्पादन क्षमता का विश्लेषण किया जाये तो एच०पी०सी० ने लिखाई एवं छपाई पेपर के क्षेत्र में वर्ष 2000–2001 के लिए मुनाफे में 26.3 प्रतिशत की बढ़त हासिल की है। कागज के उत्पादन में कम्पनी ने इस दौरान 12.87 करोड़ रुपये का लाभ कमाया। कम्पनी की कुल बिक्री 527 करोड़ रुपये की रही। यह पिछले वर्ष के मुकाबले 21.3 प्रतिशत अधिक है।

एच०पी०सी० की सहायक कंपनियों के रूप में परिचालित इकाइयों में निम्नलिखित इकाइयाँ सम्मिलित थींः

- हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड, मेवेल्लूर, कोट्टायम, केरल (एचएनएल)
- मांड्या नेशनल पेपर मिल्स लिमिटेड, बेलगोला, कर्नाटक (एमएनपीएमएल)
- नागालैंड पल्प एण्ड पेपर कम्पनी लिमिटेड, तुली, मोकोक्चुंग, नागालैंड (एनपीपीसी)

- नाउगांग पेपर प्रोजेक्ट, नाउगांग आसाम (एनपीपी)
- कचार पेपर प्रोजेक्ट, कचार, आसाम (सीपीपी)

न्यूजप्रिंट के आयात को कम करते जाने के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से एच०पी०सी० ने पश्चिमी उ०प्र० और बिहार में खोई (बैगास) आधारित न्यूजप्रिंट/पेपर मिलें स्थापित किया और बांस तथा हार्डबुड आधारित कागज मिल अरुणांचल प्रदेश में स्थापित किया।

परिचालनगत इकाईयां

1. हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड

एचपीसी द्वारा सबसे पहले हाथ में ली गई परियोजनाओं में केरल न्यूजप्रिंट प्रोजेक्ट थी जिसकी न्यूजप्रिंट की क्षमता 80,000 टन प्रतिवर्ष थी और यह मोवेल्लूर, जिला कोट्टायम, केरल में स्थित था। यह परियोजना चूंकि इसका लिप्ट्स ओर रीड्स पर आधारित थी और इसमें केमि- मेकेनिकल और केमिकल पल्प के संयोजन वाली प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता था। यह परियोजना 1,578 करोड़ रु० की पूँजी लागत से पूरी की गई थी और फरवरी 1982 में प्रारम्भ हुई थी। हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड के नाम वाली सहायक कम्पनी जून 1983 में प्रारम्भ की गई थी। जो एचपीसी के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी थी, इसे देरेला न्यूजप्रिंट प्रोजेक्ट तथा उसके व्यवसाय को अपने हाथ में लेना था।

हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन की इकाई हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड (एच०एन०एल०) का कारोबार काफी प्रभावशाली रहा। भारत में न्यूजप्रिंट की बढ़ती मांग का लाभ (एच०एन०एल०) का मिला है। एच०एन०एल० की वार्षिक उत्पादन क्षमता एक लाख टन है। पूरे देश में बढ़ती मांग को पहचानते हुए कम्पनी ने अपनी उत्पादन क्षमता का 104 प्रतिशत उत्पादन किया। 253 करोड़ रुपये की बिक्री में कम्पनी को लगभग 27.95 करोड़ रुपये का लाभ हुआ।

भारत में न्यूजप्रिंट की वार्षिक मांग लगभग नौ लाख टन हो चुकी है जबकि हमारी उत्पादन क्षमता केवल 3.5 लाख टन प्रति वर्ष है। मांग एवं आपूर्त्ति के इस अंतर को

आयातित न्यूजप्रिंट के द्वारा पूरा किया जाता है। इस समय भारतीय न्यूजप्रिंट उत्पादन कम्पनियों के पास सुनहरा अवसर है। हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड समय को पहचान, अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकती है। यह प्रतीत होता है कि कम्पनी ऐसी योजना बना रही है। जिससे सरकार उसकी देनदारी माफ कर दे तथा कम्पनी अपनी पूरी ताकत से उत्पादन कर सके। कच्चे माल की समस्या से निपटने के लिए भी कार्य योजना बनाई जा रही है।

संभव है कि आने वाले समय में हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन पेपर 'डि-लिंक' करने का एक प्लांट लगाए जिससे कच्चा माल मिलने में आसानी हो सके।

दूसरी महत्त्वपूर्ण परियोजना नागालैंड परियोजना के रूप में स्थापित की गई थी जिसकी कागज की क्षमता 33,000 टन प्रतिवर्ष थी और यह तुली, डी०टी० मोलोलचुंग नागालैंड में स्थित थी तथा यह बांस और रीड्स के इस्तेमाल पर आधारित थी। इस परियोजना ने जुलाई 1982 में व्यापारिक उत्पादन प्रारम्भ कर दिया था। इसकी पूँजी लागत 837.3 करोड़ रुपये थी। एन०पी०पी०सी० एच०पी०सी० की सहायक कम्पनी है, उसमें नागालैंड सरकार का कुल अंश का 12½% प्रारम्भिक शेयर है। अवस्थापना सम्बन्धी हानियों और अस्थिर उत्पादन के कारण यह इकाई गंभीर परिचालनगत समस्याओं से जूझ रही थी।

कर्नाटक के बेलगोला में स्थित मांड्या नेशनल पेपर मिल्स लिमिटेड वर्ष 1957 में प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के रूप में प्रारम्भ की गई थी और इसने जुलाई 1962 में व्यापारिक उत्पादन प्रारम्भ किया था। शुरुआत से ही इस मिल का कार्यनिष्पादन असंतोषजनक था और इससे इसे काफी हानि हुई। मिल की सम्भावित बंदी से बचने के लिए यह निर्णय लिया गया था कि इसका प्रबंधन एच०पी०सी० को सौंप दिया जाए। कर्नाटक सरकार, एचपीसी और एमएनपीएम के मध्य हुए त्रिपक्षीय समझौते के परिणाम स्वरूप एमएनपीएम का प्रबन्धन एच०पी०सी० के अधीन हो गया। एच०पी०सी० के पास इक्विटी शेयर पूँजी का 92.6% भाग है। प्रारम्भ में एम०एन०पी०एम० की क्षमता 10,000 टन प्रतिवर्ष थी परन्तु सीमित विस्तार योजना के अंतर्गत वर्ष 1977-78 में इसकी क्षमता बढ़कर 16500 टन प्रतिवर्ष हो गई। यह मिल मुख्य रूप से खोई (बैगास) के उपभोग

पर आधारित थी। खोई (बैगास) की कमी के साथ-साथ भयंकर बिजली कटौती और उपकरणों के अकुशलपरिचालन के कारण उत्पादन में कमी आई और हानि उठानी पड़ी।

मांडया नेशनल पेपर मिल को सरकार ने बन्द कर दिया है। 'हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन' की इस इकाई के लगभग 650 कर्मचारी 'स्वैछिक सेवानिर्विती' योजना के अन्तर्गत सेवानिर्वित होने को तैयार हो गये थे।

मांडया नेशनल पेपर मिल के बन्द होने का मुख्य कारण इसे कोई भागीदार न मिल पाना ही माना जा रहा है। वर्ष 1974 में ही मांडया पेपर, हिन्दुस्तान पेपर तथा कर्नाटर सरकार में समझौता हुआ जिसके अन्तर्गत हिन्दुस्तान पेपर को मांडया पेपर की लगभग सारी इक्विटी शेयर पूँजी का अधिकार मिल गया। इस मिल के खराब प्रदर्शन के कारण इसे बी०एफ०आई०आर० को सौंप दिया गया था। इसे पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से हिन्दुस्तान पेपर ने तीन-चार बड़ी कंपनियों से बात-चीत भी चलाई परन्तु संतोषजनक उत्तर न मिल पाने के कारण इसे बन्द करने का निर्णय ले लिया गया। हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन के अन्तर्गत तीन कागज बनाने वाली इकाईयां आती हैं केरल की हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड, नागालैंड पल्प एवं पेपर कम्पनी लिमिटेड तथा अब बन्द हो चुकी मांडया नेशनल पेपर मिल। इन तीनों में हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड का कारोबार सबसे अच्छा है।

एच०पी०सी० आसाम राज्य की दो परियोजनाओं के क्रियान्वयन में लगी थी। जागी रोड, डी०टी० नाउगांग स्थित, "नाउगांग प्रोजेक्ट" की लेखन और मुद्रण सम्बन्धी कागज उत्पादन की क्षमता 1,00,000 टन प्रतिवर्ष थी और बांस के उपभोग पर आधारित उत्पादन था। यह परियोजना मार्च 1977 में अनुमोदित की गई थी, इसकी पूँजी लागत 1,142 करोड़ रु० थी (1982 में संशोधित होकर 2,284 करोड़ रु० हो गई) और यह 1980 के अंत तक प्रारम्भ होने के लिए अनुसूचित की गई थी। इसकी अंतिम अनुमानित पूँजी लागत लगभग 2,785 करोड़ रुपये है और अक्टूबर 1985 में इस परियोजना को परीक्षण के तौर पर चलाया गया था। इस मिल ने पेपर मशीन- I से 1985-86 के दौरान 5,504 मीट्रिक टन लेखन और मुद्रण सम्बन्धी कागज का उत्पादन

किया। अप्रैल 1986 में पेपर मशीन II लगा दी गई थी और परीक्षण उत्पादन प्रारम्भ कर दिया गया था। संयंत्र और उपकरणों के विभिन्न खंडों का सुधार करने और उन्हें स्थापित करने के बाद वर्ष 1986-87 के दौरान मिल ने 27,212 मीट्रिक टन कागज का उत्पादन किया।

नाउगांग प्रोजेक्ट की ही तरह कचार पेपर प्रोजेक्ट भी बांस के उपभोग पर आधारित लिखाई और छपाई वाले कागज का उत्पादन करने वाला प्रोजेक्ट था जिसकी क्षमता 1,00,000 टन प्रतिवर्ष थी। यह प्रोजेक्ट कचार जिले के पंचग्राम में स्थित है। मार्च 1977 में प्रोजेक्ट के लिए पूँजी लागत 1,140 करोड़ रुपये अनुमोदित की गई थी जिसे संशोधित करके वर्ष 1982 में 2,263 करोड़ रु० और वर्ष 1986 में 3,053 करोड़ रु० कर दिया गया था। यह प्रोजेक्ट नाउगांग प्रोजेक्ट की अपेक्षा एक वर्ष बाद वर्ष 1981 के अंत तक पूरा किया जाना था। प्रोजेक्ट की लागत 3,849 करोड़ रुपये हो गई और इसकी कागज की पहली मशीन का ट्रायल वर्ष 1987 में प्रारम्भ हुआ। इसमें व्यापारिक उत्पादन अप्रैल 1988 में प्रारम्भ हुआ। नाउगांग और कचार प्रोजेक्ट विभिन्न समस्याओं से घिर गये जैसे- अपर्याप्त मूलभूत सुविधाएं, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में रेलवे की सीमित वाहन क्षमता, क्षेत्र की अशांति ने भी इस प्रोजेक्ट के निष्पादन पर सीधा प्रभाव डाला।

वर्ष 1985-86 से प्रारम्भ सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एच०पी०सी० ने एक अथवा कई नए परियोजनाओं की व्यावहारिकता की जाँच की। इसमें निम्नलिखित प्रोजेक्ट सम्मिलित थे:

(क) उत्तर प्रदेश : एच०पी०सी० ने उत्तर प्रदेश की 'खोई' पर आधारित कागज/न्यूजप्रिंट वाली मिलों की व्यावहारिक रिपोर्ट तैयार की थी। रेल परिवहन सुविधा एवं 9,000 टन प्रतिदिन की कुल पेराई क्षमता वाली तीन चीनी की मिलों की सन्निकटता को ध्यान में रखते हुए नैनीताल जिले के काशीपुर में अस्थाई स्थान की तलाश की गई थी। चीनी मिलों के साथ करार किया जाना प्रस्तावित था, जिसके अंतर्गत एच०पी०सी० को कोयला और उसकी संसाधन प्रणाली तथा अन्य सहायक सामग्री सहित कोयले की आग से चलने वाले अतिरिक्त ब्रायलर स्थापित करने के साथ-साथ और कोयले की आपूर्ति की व्यवस्था भी करनी थी। यह खोई चीनी मिल को आपूर्ति की गई भाप (स्टीम)

की मात्रा पर आधारित थी। 'खोई' के अनुपूरक के रूप में राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए हार्डबुड का प्रयोग भी आवश्यक था।

(ख) बिहार : सातवीं योजना अवधि के दौरान एच०पी०सी० ने उत्तर बिहार में खोई आधारित कागज/न्यूजप्रिंट की मिल स्थापित करने की व्यावहारिकता की जाँच की। प्रारम्भिक अन्वेषणों से यह ज्ञात हुआ कि सभी व्यायलरों को कोयले की आग के प्रयोग से परिवर्तित करने के बाद पश्चिम चंपारन के विट्टयाह के पास स्थित 12 चीनी मिलों को प्रतिवर्ष 0.5 मिलियन टन गीली खोई उपलब्ध कराना था। खोई की इस मात्रा से न्यूजप्रिंट के लिए 85,000 टन रासायनिक लुगदी अथवा 1,00,000 टन अर्ध रासायनिक लुगदी का उत्पादन हो सकता था। यदि इसमें लम्बे रेशे वाली लुगदी की कुछ मात्रा और मिला दी जाए तो इससे 250 टन प्रतिदिन की क्षमता वाली, लिखने व छपाई वाले कागज अथवा 300 टन प्रतिदिन की क्षमता वाली न्यूजप्रिंट की मिल स्थापित किए जाने पर विचार किया जा सकता था।

(ग) अरुणांचल प्रदेश : एचपीसी ने वर्ष 1979-80 में उत्तर पूर्वी क्षेत्र की विभिन्न प्रभावी परियोजनाओं के बारे में प्रारम्भिक अध्ययन किया था। इस अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर यह पाया गया कि अरुणांचल प्रदेश में लिखने व छपाई वाले कागज का निर्माण करने वाली परियोजना स्थापित की जा सकती है। और एच०पी०सी० ने व्यावहारिक रिपोर्ट तेयार करने के लिए वर्ष 1982 में पुनः जाँच की। कोयला, चूनापत्थर, कच्चामाल और रसायनों की आपूर्ति हेतु परिवहन अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अरुणांचल प्रदेश के तिराप (Tirap) जिले के मियो (Miao) के पास एक स्थान की पहचान की गई जहाँ 33,000 टन प्रतिवर्ष की क्षमता वाले लिखने व छपाई वाले कागज के निर्माण वाली मिल स्थापित करने की क्षमता थी। मुख्य रूप से बांस और हार्डवुड की पर्याप्त उपलब्धता कोयला, तेल और चूनापत्थर का पास में ही मिलना और पानी की आपूर्ति व बहिष्प्रवाही (एफ्लूएंट) निपटान के लिए बारहमासी नदी जैसे अन्य लाभ भी यहाँ उपलब्ध थे।

कापियर कागज

हाल ही में घरेलू उपभोग हेतु बेहतर क्वालिटी के कापियर कागज उपलब्ध कराने के लिए भारत की विभिन्न कागज की इकाइयों द्वारा कई प्रयास किए गए हैं। यहाँ

बाजार में तगड़ी प्रतियोगिता चल रही है इससे भविष्य में कागज उद्योग की बड़ी आपूर्ति सुनिश्चित होगी। सरकारी क्षेत्र का उद्यम अर्थात हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड (एच०पी०सी०) जिसकी लिखने, छपाई व अन्य प्रचलित किस्मों के कागज की उत्पादन क्षमता 2,00,000 टन प्रतिवर्ष है, ने भी बाजार में कापियर कागज की बिक्री करना प्रारम्भ कर दी है। एच०पी०सी० कापियर पेपर, जो अधिकतम मूल्यवान वस्तुओं का उत्पादन करता है, अन्य कापियर कागज कागज बाजार का अत्यंत महत्त्वपूर्ण भाग हैं। एच०पी०सी० का दावा है कि उनका कापियर कागज बाजार में सबसे ऊँचीदर का है और उपभोक्ताओं द्वारा इसे सर्वोत्तम माना जाता है। एच०पी०सी० ने देश में एच०पी०सी० कापियर की प्रोजेक्ट ब्रांड इक्विटी (Project Brand equity) की मुहिम प्रारम्भ कर दी है। कारपोरेशन एच०पी०सी० डिपो-नेटवर्क का इस्तेमाल करके पूरे देश में यह कागज उपलब्ध कराएगा। इस उद्योग का यह स्वस्थ विकास है क्योंकि एच०पी०सी०, जो इन भारतीय उद्यमों को नियंत्रित करता है, भारत में कागज उद्योग को मजबूती प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

II- दि नेशनल न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड (नेपा)

दि नेशनल न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड, मध्य प्रदेश में वर्ष 1947 में लिमिटेड कम्पनी के रूप में इस उद्देश्य से स्थापित किया गया था कि वह कागज और स्ट्राबोर्ड (Straw-Board) का निर्माण करेगी। फिर भी बाद में यह महसूस किया गया कि स्थानीय हार्डवुड, सलाई (बांसवेलिया सिरेटी) ग्राउंड-बुड मेकेनिकल्स, पल्प का उत्पादन करने में सक्षम है। अतः एन०एन०पी०एम० (नेपा) को न्यूजप्रिंट मिल के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। शेयर पूंजी में हिस्सेदारी करके और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाकर मध्यप्रदेश में प्रारम्भ से ही इस मिल को स्थापित करने में व्यावहारिक रूप से राज्य सरकार तैयार थी। वर्ष 1949 तक यह प्रमाणित हो गया था कि मिल को पूरा करने और उसकी स्थापना करने के लिए लम्बे व्यावसायिक आधार पर इसके परिचालन के लिए आवश्यक वित्त और प्रबंधकीय संसाधनों जैसे प्रबंधन सम्बन्धी तत्त्वों की कमी थी। राज्य सरकार ने इन प्रबंधन सम्बन्धी तत्त्वों की कमी को पूरा कर दिया और मिल का प्रबंधन अपने हाथों में ले लिया। तथापि इस परियोजना को पूरा करने की लागंत लगभग रु० 9.6 अरब हो गई। चूँकि यह कम्पनी कर्ज और बकाया ब्याज

का भुगतान करने की स्थिति में नहीं थी अतः यह निर्णय लिया गया कि कर्ज के बड़े भाग को शेयर के रूप में परिवर्तित करके इसकी शेयर पूँजी का पुनः निर्माण किया जाय और व्याज के बकाये की राशि को ब्याजमुक्त ऋण के रूप में स्वीकार कर लिया जाए। वर्ष 1958 में पूँजी के पुनर्निर्माण का कार्य पूरा किया गया परिणामस्वरूप केंद्र सरकार ने सबसे अधिक शेयर अपने पास रखा और इस प्रकार यह पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग संस्थान हो गया। कम्पनी की प्राधिकृत पूँजी 300 करोड़ रु० थी और (31.3.86 को) चुकता पूँजी लगभग 280 करोड़ रु० थी। शेयर धारिता का प्रारम्भिक स्वरूप प्रतिशत में निम्नवत था:

केन्द्र सरकार - 94%

मध्य प्रदेश की सरकार - 4%

प्राइवेट शेयर होल्डर्स और अन्य- 2%

सार्वजनिक क्षेत्र ने हमारी अर्थव्यवस्था में कागज उद्योग के मामले में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है। आशा है कि भविष्य में भी यह क्षेत्र कागज उद्योग में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करता रहेगा।



अध्याय- VI

कच्चा माल और संसाधन/प्रक्रिया

किसी भी उद्योग के लिये कच्चे माल की अनवरत आपूर्ति महत्त्वपूर्ण होती है। लुगदी और कागज, उत्पादन में लकड़ी और बाँस की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। तथापि बिना लकड़ी वाले पौधों तथा रेशों का कागज और लुगदी उत्पादन में बहुतायत से प्रयोग हो रहा है। इसके अन्तर्गत निम्नलिखित कृषि अपशिष्ट (रेज्यूड्स) सम्मिलित हैः

(क) खोई (बैगास)

(ख) भूसा (स्ट्रा), प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले पौधे जैसे- सपाई ग्रास, इलीफेन्ट ग्रास आदि।

(ग) रेशे वाले पौधे जैसे- कीनफ क्रोटालारिया, जूट, हैम्प, अबाका, सिसल, रूई (काटन) आदि।

(घ) रद्दी कागज।

भारत में कृषि आधारित कागज की मिलों का प्रारम्भ वर्ष 1880 से कुछ पूर्व हुआ। जब घास और जूट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करने वाली कुछ छोटी मिलें स्थापित की गई। तीव्र औद्योगीकरण की शुरुआत से कागज बनाने की विधियों मे परिवर्तन हुए। परिस्थितिजन्य संतुलन की ओर कम ध्यान देते हुए औपनिवेशिक शासन द्वारा वन संसाधनों के प्रयोग वाली मिलें स्थापित की गई। इसके साथ ही कृषि अवशिष्टों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए मशीनों द्वारा उनका उपयोग परिवर्तित किया जाने लगा कृषि प्रकृति के सहारे थी और बहुत ही कम भूमि पर खेती की जाती थी। यदि पिछले

आंकड़ो का सन्दर्भ लें तो, कोई वन लगाए बिना व्यापारिक प्रयोजनों से पेड़ों की अधाधुंध कटाई के कारण देश के कुल 33% हरे भाग में 11% कमी आई। वन संसाधनों में कमी चेतावनी के स्तर पर पहुँच जाने के कारण लकड़ी आधारित कागज की मिलों द्वारा कागज की मांग पूरी न की जा सकी इसके कारण वर्ष 1970 के अंत में कागज की आसन्न कमी चिन्ताजनक स्तर पर पहुँच गई।

इसका श्रेय भारत सरकार को जाता है। जब उन्होंने गैर पारंपरिक कच्चे माल, विशेष रूप से कृषि अपशिष्टि (रेज्यूड्स) जैसे गेहूँ और चावल की भूसी, खोई, घास, रूई, कम्बल और जूट की औद्योगिक रद्दी जो भारत में बहुतायत से उपलब्ध थी, पर आधारित कागज की मिलें स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। सरकार के एक महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय यह के अधीन मिलों की क्षमता में वृद्धि करने और पूँजी लागत कम करने की दृष्टि से कागज की पुरानी मशीनें आयात करने की अनुमति प्रदान की गई। इसके कारण कृषि अवशिष्ट एवं अन्य दूसरे दर्जे के कच्चेमाल के उपभोग में वृद्धि हुई जिसने कागज उद्योग में सेलुलोज रेशों की मांग को पूरा करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। दूसरे दर्जे के कच्चे माल के उपभोग के बारे में हम आगे विचार करेंगें।

अनाज का भूसा

चावल और गेहूँ का भूसा महत्त्वपूर्ण फसलों का वार्षिक उपोत्पाद (Byproduct) हैं, इन फसलों से ही भारत के प्रमुख खाद्य पदार्थ तैयार किए जाते हैं। इस प्रकार इस भूसे में भविष्य की एक बड़ी शक्ति छिपी है। भारत, चीन और ताइवान कागज निर्माण के लिए चावल और गेहूँ के भूसे के प्रमुख उपभोक्ता हैं। गेहूँ और चावल के मामले में अनाज से भूसा निकलने का अनुपात क्रमशः 1 : 0.67 और 1: 1.25 पाया गया है। योजना आयोग का अनुमान हैं कि प्रमुख खाद्य फसलों के उत्पादन में 4 से 5% की वृद्धि होगी। वर्ष 2000 तक गेहूँ और चावल के भूसे की उपलब्धता क्रमशः 1 : 3.8 के अनुपात से कुल लगभग 86.4 मिलियन टन हो गयी।

डेवलपमेंट काउंसिल फार पेपर, पल्प एण्ड एलायड इण्डस्ट्रीज द्वारा गठित कागज

उद्योग हेतु कृषि अवशिष्ट और अन्य गैर पारम्परिक कच्चे माल की उपलब्धता संबंधी उपसमिति की रिपोर्ट के अनुसार उपभोग की वर्तमान प्रवृत्ति की दृष्टि से कागज और कागज बोर्ड के निर्माण के लिए लगभग 25% भूसा ही उपलब्ध होगा। इस आधार पर शताब्दी के अंत तक कागज के लिए कच्चेमाल के रूप में लगभग 50 मिलियन टन उपलब्ध होगा जिससे कागज बनाने की क्षमता 1.5 से 2 मिलियन टन बनी रहेगी।

भूसे के उपभोग में आने वाली समस्याएँ

भूसे के उपभोग से संबंधित मुख्य समस्याओं में उसके रख रखाव, परिवहन और भंडारण की है क्योंकि इसके लिए बहुत बड़े स्थान की आवश्यकता होती है। चूँकि चावल और गेहूँ का उत्पादन पूरे देश में लगभग बराबर होता है, अतः छोटी कागज की मिलों को ऐसी जगह स्थापित करना चाहिए जहाँ पर वे आवश्यक मात्रा में भूसा उचित दूरी पर प्राप्त कर सकें, जिससे उसकी परिवहन लागत कम हो सके। यह भी सुनिश्चित करना आवश्यक है कि खाद्यान्न का भूसा इस्तेमाल करने वाली मिलें इस प्रकार सीमित की जाएं जिससे इनमें खतरनाक प्रतियोगी मूल्यों में तीव्र वृद्धि को रोका जा सके और कच्चेमाल को प्राप्त करने में होने वाली समस्याओं का सामना किया जा सके।

भूसे का इस्तेमाल प्रमुख रूप से पशुओं के चारे और घर के छप्पर के रूप में होता है और सामान्यतया इससे अधिक होने पर इसे छोटी कागज की मिलों द्वारा कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। तथापि यदि भूसे की मांग में अनुचित रूप से वृद्धि होती है तो किसानों द्वारा इसके मूल्य में अत्यधिक वृद्धि की संभावना है, जिससे छोटी कागज की मिलों द्वारा भूसे का उपभोग किफायती नहीं रह जाएगा। एक अन्य तथ्य, जिसके कारण भूसे की उपलब्धता में कमी आने की संभावना है, यह है कि अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों का विकास हो रहा है जो सामान्यतया छोटे तने वाली है। फसल बरबाद होने के कारण आपूर्ति की अनिश्चितता और अपेक्षाकृत अन्य इस्तेमाल के कारण प्रमुख रूप से भूसे पर आधारित कागज की मिलों की कठिनाइयाँ काफी बढ़ती जाती हैं। वर्तमान में भूसे के प्रयोग पर आधारित भारत की सबसे बड़ी

कागज की मिलों में रोहित पल्प एण्ड पेपर मिल्स, यूनिटी पल्प एण्ड पेपर और जेनिक पेपर है। इसमें से सभी की क्षमता 24,000 टन प्रतिवर्ष से कम है।

कृषि अवशिष्ट आधारित कागज की मिलें इस प्रयोजन से मुख्य रूप से रद्दी कागज अथवा घरेलू बाजार में लुग्दी का प्रयोग कर रही थी। सीमा शुल्क समाप्त कर दिए जाने के कारण आयातित लकड़ी की लुगदी और रद्दी कागज अब कम लागत पर उपलब्ध होने लगा जिससे छोटी कागज की मिलों ने अपने कच्चे माल के अनुपूरक के रूप में इसका प्रयोग किया और उत्पादन क्षमता उपभोग एवं गुणवत्ता में सुधार किया।

घास

घास की कुछ विभिन्न किस्में हैं जिनसे लुगदी बनाना अपेक्षाकृत आसान होता है और कागज बनाने में इसका प्रयोग होता है। इनमें साबई घास (यूला लियानिस विनाटा) सामान्य रूप से नेपाल, हिमालय की निचली पहाड़ियों और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में उपलब्ध है। बिहार की "ठाकुर कागज की मिल" मुख्य रूप से साबई घास के उपभोग पर आधारित है कुछ बड़ी कागज की मिलों में से एक बलारपुर इंडस्ट्रीज लि० (श्रीगोपाल यूनिट) बड़ी मात्रा में साबई घास का प्रयोग करती है। हाथी घास (टायफा इलीफैन्टीना) कर्नाटक की "काबीनी पेपर मिल" हाथी घास के उपभोग पर आधारित है। यद्यपि इस घास से पर्याप्त रूप से काफी मात्रा में लुगदी प्राप्त की जा सकती है परन्तु इसकी फसल काटना मुश्किल है और इसके संकलन के लिए प्रयोग की जाने वाली अकार्य कुशल प्रक्रिया उसकी उपलब्धता को सीमित कर देती है।

ऊपर उल्लेखित है घास के साथ-साथ कच्चे माल के अन्य महत्वपूर्ण स्रोत भी हैं। केनफ (KENAF) एक उष्णकटिबंधीय पौधा है जिसकी फसल वर्ष में दो बार होती है और रस्सी बनाने एवं सन तैयार करने के उद्देश्य से रेशे वाली फसल के रूप में इसकी खेती की जाती है। हाल के वर्षों में केनफ के उपभोग के प्रति रुचि में वृद्धि हुई है और यू०एस० डिपार्टमेंट आफ एग्रीकल्चर का मानना है कि इसकी खेती और कागज के कच्चे माल के रूप में प्रयोग के संबंध में गहराई से अध्ययन किया गया है। इसमें

केवल छाल ही नहीं बल्कि पूरा पौधा इस्तेमाल किया जाता है। बल्लारपुर पेपर इंडस्ट्रीज ने थाइलैण्ड के बांगपा स्थित "फोनिक्स पल्प एण्ड पेपर मिल्स" (पी०पी०पी०एम०) के साथ संयुक्त उद्यम लगाकर 15,000 से 20,000 छोटे किसानों का प्रवर्तन किया है। यह उत्पाद अत्यधिक लागत वाला है अतः इसका सीमित प्रयोग ही किया जा सकता है। केनफ से मशीनी लुगदी की कई किस्में विकसित की गई हैं और न्यूजप्रिंट के उत्पादन हेतु "जूट टेक्नीकल रिसर्च इंस्टीट्यूट" (जे०आर०टी०एल०) कलकत्ता द्वारा इस संबंध में गहन अनुसंधान किए गए हैं।

जे०आर०टी०एल० अनुसंधान किए जाने के मामले में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है जिससे कागज और न्यूजप्रिंट के मिर्नाण के लिए अपेक्षित कच्चे माल के मामले में सहायता मिलने की आशा है। 1960 की शुरुआत में "दि इंडियन पेपर पल्प कम्पनी", नईहटी, पश्चिमी बंगाल ने लुगदी निर्माण के लिए जूट स्टिक्स का उपयोग करने का प्रयास किया था। उस समय जूट स्टिक्स काफी उपर्युक्त पाई गई। तथापि कागज उद्योग के प्रतियोगी बाजार में इसके संकलन, भंडारण और परिवहन की लागत को भी ध्यान में रखा गया।

लकड़ी रहित (नान वुड) रेशे और रद्दी का भी कागज निर्माण में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया गया। रूई के धागे वाली लुगदी, फिल्टर पेपर बनाने वाली पल्प-वुड की वे किस्में हैं जो वाटर आइस्लैंड पर जमती है और इसका प्रयोग कागज बनाने में भी किया जाता है। इसी प्रकार मूंगफली के छिल्के, संसाधनों के संरक्षण में सहायता प्रदान करते हैं। अतः सरकार को कच्चे माल के रूप में इस स्रोत के विस्तार का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार कृषि आधारित कागज की मिलों को निम्नलिखित अन्य लाभ प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है।

यहाँ कच्चे माल की उपलब्धता की नितांत कमी है जबकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। कच्चे माल के आयात में कोई विदेशी मुद्रा बाहर नहीं प्रेषित करनी होती है। इससे पारिस्थितिकी संतुलन (Ecological Balance) पर कोई दबाव नहीं पड़ता क्योंकि ये प्रतिवर्ष नए उत्पन्न होने वाले कच्चेमाल पर आधारित है। कृषि अवशिष्ट पहले से

ही कम होते जा रहे यह वन संसाधनों पर दबाव में कमी करते हैं। कागज की क्षेत्रीय आवश्यकताएं पूरे देश में नजदीक में स्थित मिलों द्वारा पूरी की जाती हैं अतः इसके लिए जटिल परिवहन व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। इसमें गाँव के गरीब लोगों को रोजगार प्रदान किया जाता है।

कृषि अवशिष्ट किसानों को अतिरिक्त आय प्रदान करते हैं और बेकार/रद्दी वस्तुओं की कीमत प्राप्त करते हैं। जिससे किसानों की समृद्धता बढ़ती है।

खोई (बैगास)

भारत विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है तथा गन्ने का रस निकालने के लिए उसकी पेराई के बाद बचा अवशेष रेशेदार पदार्थ ही खोई है। अतः यह गन्ना उद्योग का उप उत्पाद है। खोई गन्ने की मिलों से प्राप्त होती है जिसे मिल की गीली खोई के रूप में जानते हैं और इसमें लगभग 50% नमी रहती है। मिल की गीली खोई का उत्पादन पेराई में लगे कुल गन्ने का लगभग एक तिहाई हिस्सा होता है और खोई से कागज तैयार होने की मात्रा लगभग 1/6 वाँ भाग ही होता है और इस प्रकार इसे खोई के प्रतिस्थापित प्रयोग के रूप में जाना जाता है। ऐसा भी संभव है कि कागज बनाने हेतु खोई की लुगदी बनाने में रासायनिक अथवा अर्धरासायनिक प्रक्रिया अपनाई जाए। न्यूज प्रिंट निर्माण के प्रयोजन से खोई का उपयोग विशेष रूप से बढ़ता जा रहा है। वर्ष 1950 की शुरूआत से ही अमेरिका में न्यूजप्रिंट बनाने के लिए खोई का उपयोग करने की संभावना पर अनुसंधान किए जा रहे थे। इस प्रकार जिस प्रक्रिया का विकास हुआ उसने कच्चे माल के रूप में खोई के गहन प्रयोग में सहायता प्रदान की। लैटिन अमेरिका खोई की न्यूजप्रिंट वाली बड़ी मिलें स्थापित करने में आगे रहा। मैक्सिको स्थित "दि मैक्सिकाना डी पेपर पीरिमाडिको मिल" वर्ष 1979 की शुरुआत में ही स्थापित हो गई थी, जो कच्चे माल के रूप में खोई के प्रयोग पर आधारित थी और इसकी न्यूजप्रिंट की क्षमता 1,00,000 टन प्रतिवर्ष थी। भारत में कई छोटी कागज की मिलें कच्चे माल के रूप में खोई का प्रयोग करती थी। प्रारंभ में कागज के परिष्कृत उत्पाद के लिए 75% खोई का प्रयोग करने वाली मिलों को उत्पाद शुल्क से छूट प्रदान करने के कारण इनकी

वृद्धि में सहायता मिली। वास्तव में छोटी कागज की मिलों का विकास उन्हें प्रदान की गई विशेष सुविधा के कारण हुआ। कागज बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाले वन संबंधी कच्चे माल के स्थान पर खोई काफी बड़ी मात्रा में प्रयोग किया गया। इस प्रकार कागज की कई इकाइयाँ लगाई गईं जो खोई पर आधारित थीं और जिन्हें विभिन्न वित्तीय संस्थाओं छोटा वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

कागज उद्योग द्वारा खोई का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने वर्ष 1979 में एक नीति घोषित की जिसमें खोई के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए कई उपाय सुझाए गए थे। उनमें कुछ की सूची निम्नलिखित है:

वित्तीय संस्थाएं ऐसी योजनाओं के अंतर्गत सहायता प्रदान करने को प्राथमिकता प्रदान करेंगी जिनमें डेप्ट इक्विटी राशन (Dept Equity Ration) अनुकूल हो और जो इस प्रकार के निवेश के लिए उपलब्ध हो।

चीनी फैक्ट्रियों के समूह को चीनी मिल के पास ही कागज और न्यूज प्रिंट की मिल लगाने को प्रोत्साहित किया जाएगा। निम्नलिखित विधियों में से किसी भी माध्यम से वर्तमान ब्वायलरों द्वारा खोई को निकालना:

(क) वर्तमान ब्वायलरों में स्टीम इकोनामी डिवाइस लगवाना।
(ख) वर्तमान ब्वायलरों को कोयले की आग वाले ब्वायलरों से बदलना और
(ग) नए कोयले की आग वाले ब्वायलरों का प्रावधान करना।

ये सुधार, परिवर्तन/परिवर्द्धन (Additions) अथवा ब्वायलरों का बदलाव कागज की मिलों की पूँजी लागत को प्रभावित कर सकते थे। चूँकि चीनी फैक्ट्रियों को पेराई के मौसम में अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोयले का भंडार बनाना होता है अतः चीनी फैक्ट्रियों द्वारा कोयले के भंडारण, परिवहन और वित्त की लागत कागज की मिलों को भेजी जाने वाली खोई की लागत में शामिल हो जाती है। ब्वायलरों के बदलने और चीनी फैक्ट्रियों के ब्वायलरों में कोयले के स्थान पर खोई का प्रयोग करने से आने वाली अधिक लागत को ध्यान में रखते हुए लिखने और छपाई के कागज

बनाने के लिए जिस मिल ने प्रारंभ से तीन वर्षो की अवधि तक न्यूनतम 75% खोई का प्रयोग किया है, उस मिल को उत्पाद शुल्क से छूट प्रदान की जाती है और इसके पश्चात् स्थिति की पुनः समीक्षा का प्रावधान है। रेलवे, चीनी फैक्ट्रियों को कोयला ले जाने में प्राथमिकता प्रदान करेगी यह निर्णय भारत सरकार ने उक्त नीतिगत उपायों के कार्यान्वयन के लिए औद्योगिक विकास विभाग के अंतर्गत अंतर मंत्रालय समिति गठित करके लिया है।

भारत में गन्ना पेराई का मौसम लगभग 4 से 5 माह तक रहता है। इसलिए पूरे वर्ष की आवश्यकतानुसार खोई का भंडारण इस प्रकार किया जाना होता है ताकि इसे मौसम/रोगों की मार से बचाया जा सके।

हाल ही में "द इंडियन एग्रो एण्ड रीसाइकिल्ड पेपर मिल्स एशोसिएशन" (आई०ए०आर०पी०एम०ए०) ने गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के मंत्रालय द्वारा लिए गए इस निर्णय को गंभीरता से लिया है कि खोई से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करने वाली इकाइयों को आसान कर्ज देने और अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करने की अनुमति है। इस निर्णय से भारत में स्थित बिना लकड़ी वाली मिलों के लिए समस्या पैदा हो रही है। उससे खोई का मूल्य बढ़ गया है, जो कागज उद्योग के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल है। अतः यह आवश्यक है कि सरकार अपनी नीति घोषित करे कि वह खोई से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन चाहती है या कृषि आधारित कागज द्वारा कच्चे माल के रूप में इसका उपयोग।



अध्याय-VII

सरकारी प्रोत्साहन और उत्पाद शुल्क

भारतीय संविधान के तहत अन्तर्निहित शक्तियों के अधीन केन्द्र सरकार को अधिकार है कि वह कागज उद्योग के प्रति उत्पाद एवं सीमा शुल्क लगाए, कम करे अथवा मुक्ति प्रदान करे। सामान्य सरकारी छूट जैसे कर राहत और पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने के साथ-साथ केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर कागज उद्योग को विशेष राहत प्रदान की गयी है।

कागज उद्योग के मामले में मूल उत्पाद शुल्क कागज और कागज बोर्ड, सभी प्रकार के उत्पाद पर लगाया जाता है। उत्पाद शुल्क का आधार मूल्यानुसार विशिष्ट करों पर परिवर्तित होता रहता था परन्तु वर्ष 1983-84 में कर के आधिक्य से बचने के प्रयास के क्रम में कागज और कागज़ बोर्ड की अधिकतर किस्मों के लिए एक समान कर प्रणाली अपनाई गई।

लिखने, छपाई के कागज और क्राफ्ट कागज पर मूल उत्पाद शुल्क रु० 425 प्रति टन कम कर दिया गया था। वर्ष 1985-86 और 1986-87 में मूल उत्पाद शुल्क पुनः बढ़ाया गया। कागज उद्योग उत्पाद शुल्क में कमी करने की मांग करता रहा है।

छोटी कागज की मिलें जो न्यूनतम 50% की सीमा तक दूसरे दर्जे के कच्चे माल (बाँस, हार्डवुड, साफ्टवुड, रीड्स और रैग्स के अतिरिक्त) का प्रयोग करती हैं और जिनके पास बाँस अथवा वुड पल्प के लिए लुगदी बनाने वाले संयंत्र नही हैं, उन्हें पहले उत्पाद शुल्क की रियायती दरों के लिए पात्र होना चाहिए। तथापि शुल्क की ये रियायतें अधिक मूल्क के विशिष्टता वाले कागज जैसेः- सिगरेट टिश्यू, ग्लासाइन, ग्रीन-प्रूफ कागज, कोटेड कागज (बैक्सड काग सहित) आदि के लिए लागू नही थी।

वर्ष 1986 में केंद्रीय उत्पाद शुल्क की अधिसूचना के अनुसार गैर पारम्परिक कच्चे माल का प्रयोग करने वाली मिलों के लिए उत्पाद शुल्क से मिलने वाली मुक्ति को 1 अपैल 1986 से संशोधित कर दिया गया ताकि उन्हें मूल्यानुसार 10% और 700 रुपये प्रति टन की दर से उत्पाद शुल्क में एक समान छूट प्रदान की जा सके। अब यह मुक्ति केवल उन बड़ी सघनपल्प एण्ड पेपर मिलों को उपलब्ध है जिनके पास अपने निजी बाँस/लकड़ी की लुगदी बनाने वाले संयंत्र हैं और इसमें 24,000 टन से कम का उत्पादन करने वाली छोटी कागज की मिलें शामिल नहीं हैं।

आयात-निर्यात नीति 2001

पेपर तथा गत्ता उद्योग पर कोई विशेष प्रभाव नहीं

कागज उद्योग के प्रति केन्द्र सरकार की नीतियों का उल्लेख करते हुए, पेपर मार्ट ने 2001 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के विचारों का उल्लेख किया है जिसमें कहा गया है कि आयात-निर्यात नीति 2001 (एक्जिम पॉलिसी) के अनुसार डब्ल्यु०टी०ओ० की व्यवस्था के अनुरूप बाकी बचे 715 उत्पादों के आयात पर से मात्रात्मक प्रतिबंध हटा लिये जायेंगे। वाणिज्य मंत्री ने वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) को यह विश्वास व्यक्त किया है कि मात्रात्मक प्रतिबंध हटाए जाने से वस्तुओं के आयात की तस्कारी रुक जायेगी और इससे राज्य और केन्द्र सरकारों की आय में वृद्धि का अनुमान है।

नयी एक्जिम पॉलिसी के तहत भारतीय कपड़ा उद्योग को सर्वाधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। कागज एवं कागज उत्पाद क्षेत्र में भी बहुत सी वस्तुओं पर मात्रात्मक प्रतिबंध हटा लिये गये हैं। इस क्षेत्र की जिन वस्तुओं के आयात से

प्रतिबंध हटाए गये हैं उनमें ग्रीटिंग कार्ड, फोल्डर, सादा पोस्टकार्ड, लिफाफे, लैटर पैड, फाइल कवर, पैकिंग पेपर, रजिस्टर आदि मुख्य हैं। इन वस्तुओं पर पहले 25 से 35 प्रतिशत की दर से आयात शुल्क लगता था।

पेपर उद्योग को शुल्क समाप्ति एवं मात्रात्मक प्रतिबंध हटाए जाने से सचेत होने की आवश्यकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि पेपर तथा गत्ता उद्योग पर एक्जिम पॉलिसी 2001 का कोई विशेष प्रभाव नहीं पढ़ने वाला फिर भी घरेलू उत्पादकों को संभावित खतरे से तैयार रहना चाहिए। भारत में कागज एवं गत्ता उत्पादन ऐसी स्थिति में पहुँच चुका है जहां आपूर्ति-मांग से अधिक होने लगी है। ऐसी स्थिति में विदेशी उत्पादनकर्ता अपना माल भारत में बेचने की चेष्टा नहीं करेंगें। मात्रात्मक प्रतिबन्ध हटाए जाने से विदेशी कागज की तस्कारी भी बन्द हो सकती है।

भारतीय कागज उद्योग में आयातित कागज का योगदान

व्यापार संतुलन पक्ष में करने के लिए पिछले कई वर्षों से भारतीय सरकार लाइसेंस प्रथा तथा इंस्पेक्टर राज समाप्त करने हेतु कदम उठाती रही है। सरकार की नीति रही है कि निर्यात को बढ़ावा दिया जाए तथा आयात को प्रोत्साहन न मिले। इससे देश में विदेशी मुद्रा संतुलन की सेहत तो सुधरती ही है साथ ही घरेलू उत्पादकों को भी संरक्षण मिलता है। हाल ही में जारी आयात-निर्यात नीति से यह स्थिति कुछ हर तक पलट भी सकती है। आयात को प्रोत्साहन न दिए जाने का लाभ देश में गत्ता एवं कागज बनाने वाली छोटी-बड़ी मिलों को भी मिला है।

पिछले तीन वर्षों में कागज की मांग प्रतिवर्ष 5.5 प्रतिशत की दर से बढ़ती रही है। अनुमान है कि आगामी पाँच वर्षों में कागज की मांग 6–7 प्रतिशत वार्षिक की दर से बढ़ेंगी। पेपर मार्ट की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2010 तक भारत में कागज की वार्षिक मांग 60.9 लाख टन तक जा सकती है। आज भारत में प्रति व्यक्ति कागज की खपत लगभग 3 से 5 किलो है। जनसंख्या में वृद्धि एवं मांग में बढ़ोत्तरी से संभव है कि वर्ष 2010 के लिए कागज की मांग का अनुमान बहुत हद तक सही साबित हो। आज भारत में घरेलू उत्पादनकर्ता कागज की मांग को पूरा करने में समर्थ नहीं हैं। इसलिए मांग और आपूर्ति का यह अंतर आयातित कागज के द्वारा पूरा किया जाता है। भारत में

कागज के उत्पादन को बढ़ावा न मिल सकने के कारण पिछले कुछ वर्षो से इसके आयात में काफी वृद्धि हुई है।

वर्ष 1996–97 में हमने 1.02 लाख टन कागज आयात किया था। वहीं वर्ष 1997-98 में आयातित कागज की मात्रा 3 लाख टन तक पहुँच गयी। इससे भारतीय कागज उत्पादकों पर बहुत बुरा असर पड़ा। भारतीय कागज उत्पादक पहले से ही कच्चे माल एवं बिजली जैसी मुश्किलों का सामना कर रहे थे। भारत में कागज उत्पादन की परिस्थियां किसी भी सूरत में विदेशी माल का मुकाबला करने के अनुकूल नहीं रही। इस वजह से भारतीय कागज बाजार में विदेशी घुसपैठ तेजी से बढ़ी है।

भारत में न्यूजप्रिंट की मांग अधिक है एवं आपूर्ति कम। न्यूजप्रिंट को समाचार पत्रों, पत्रिकाओं आदि को छापने में उपयोग किया जाता है। न्यूजप्रिंट या अखबारी कागज को बमाने का तरीका अन्य कागजों को बनाने से भिन्न है। इसलिए भारत में आरम्भ से ही दोनों प्रकार के कागज बनाने वाली मिलों की संख्या बहुत कम रही है। अखबारी कागज में सोखने की क्षमता अधिक होती हैं। इसमें ग्रामेज को भी कम से कम रखा जाता है तथा खास ध्यान रखना होता है कि इस पर छपाई अच्छे प्रकार से हो सके। इस समय भारत में न्यूजप्रिंट बनाने वाली लगभग 39 मिलें हैं। इनमें से 33 मिलें निजी क्षेत्र के अधीन हैं। 39 किलों की कुल उत्पादन क्षमता 8.36 लाख टन प्रतिवर्ष है भारत में बनने वाले न्यूजप्रिंट की मात्रा में भी कुछ हद तक बढ़ोत्तरी हुई है। वर्ष 1990 के दौरान भारत में न्यूजप्रिंट का कुल उत्पादन तीन लाख टन के आस-पास था। वर्ष 2000 आते यह बढ़कर आठ लाख टन के करीब पहुँच गया।

न्यूजप्रिंट की मांग सीधे तौर पर देश की साक्षरता दर से प्रभावित होती है। साक्षरता दर बढ़ने से देश में पत्र-पत्रिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है तथा इनका प्रति अंक प्रकाशन भी बढ़ता है। संख्या तथा मात्रा में वृद्धि का सीधा असर न्यूजप्रिंट की मांग बढ़ाता है। पिछले कुछ वर्षों से सरकार द्वारा विभिन्न साक्षरता अभियान चलाए जा रहे हैं। इनके चलते आशा है कि न्यूजप्रिंट की मांग तेजी से बढ़ेंगी। अनुमान है कि वर्ष 2002 तक न्यूजप्रिंट की मांग प्रतिवर्ष 6 प्रतिशत की दर से बढ़ते हुए 9.5 लाख टन तक हो गई है।

जिन देशों से भारत ने आयात किया वह इस प्रकार है:

	(करोड़ में)
रूस	109.70
जर्मनी	89.69
फ्रांस	53.39
अमेरिका	47.93

केंद्रीय बजट 2001-2002

यद्यपि वर्ष 2001-2002 के केंद्रीय बजट में भारतीय कागज उद्योग की अत्यंत पुरानी मांग को पूरी तरह नजरंदाज कर दिया गया है। फिर भी कागज उद्योग द्वारा पहले दिए गए सुझाव निम्न प्रकार हैं:

1. कर अपवंचन से बचने के लिए 3500 एम०टी०के० निर्माताओं के लिए उपलब्ध उत्पाद शुल्क की छूट को समाप्त किया जाय।
2. कृषि अपशिष्ट और रद्दी कागज से तैयार न्यूनतम 75% तक की लुगदी के कागज तैयार करने वालों का अलग वर्गीकृत किया जाए
3. रद्दी कागज को सीमा शुल्क से छूट प्रदान किया जाए।
4. कागज और न्यूज प्रिंट के शुल्क की दर को डब्लू०टी०ओ० की दर के अनुसार कागज के लिए 40% और न्यूज प्रिंट के लिए 25% की दर से किया जाय।
5. अंतिम उपयोगकर्ता को लाभ के लिए कारोगेटेड कार्टून पर उत्पाद शुल्क लगाया जाय।

वित्त मंत्रालय ने इन सुझाव को नजरंदाज कर दिया है। इसके विपरीत न्यूज प्रिंट सेक्टर में कागज के आयात को रोकने के लिए कोई विशिष्ट प्रस्ताव नही किया गया है और नालीदार (कारोगेटेड) कागज बनाने वाली इकाईयों को उत्पाद शुल्क के दायरे में लाया गया।

इसका अनुमान नीचे दी गई सारिणी से लगाया जा सकता है:

सीमा शुल्क प्रतिशत

मद	1999-2000	2000-2001	2001-2002
कागज और कागज बोर्ड	35	35	35
न्यूजप्रिंट	5	5	5
रद्दी कागज	5	5	5
वूड पल्प	5	5	5

उत्पाद शुल्क (प्रतिशत में)

मद	1999-2000	2000-2001	2001-2002
कागज और इसकी वस्तुए (पारम्परिक कच्चा माल का प्रयोग वाली)	16	16	16
कागज और इसकी वस्तुएं (गैर पारम्परिक कच्चा माल का प्रयोग वाली)	8	16	16
वुड पल्प और रद्दी कागज	16	16	16

यह उद्योग लकड़ी आधारित और बिना लकड़ी पर आधारित कागज की मिलों के लिए शुल्क की विभेदक दर को और इन दोनों भागो को एक करने की मांग करता रहा है। जबकि 16% की दर से शुल्क लगाने से 'रद्दी से कमाई आने' का लक्ष्य समाप्त हो जायेगा जिसके लिए सरकार पिछले कई वर्षो से प्रचार कर रही है। बजट कागज उद्योग को इसके चक्रीय प्रकृति से बचाने में कोई सहायता प्रदान नहीं कर रहा है और न ही कागज की मांग बढ़ाने का कोई उपाय किया जा रहा है। एक ऐसे देश में जहाँ लकड़ी के कच्चे माल की कमी है और कृषि संबंधी कच्चे माल का बहुतायत है, अतः वित्त मंत्री को देश में बिना लकड़ी पर आधारित कागज की मिलों को प्रोत्साहित करने के लिए पूर्व की भाँति शुल्क की विभेदक दरें लगानी चाहिए। ऐसा उक्त बजट का विश्लेषण करने से प्रतीत होता है। वर्ष 2002–03 में भी कागज उद्योग के लिए कुछ नया प्रावधान नहीं किया गया है।

उत्पाद शुल्क

- न्यूज प्रिंट को छोड़कर सभी प्रकार के कागज पर 16% की दर से उत्पाद शुल्क लगाना चाहिए।
- न्यूज प्रिंट पर कोई उत्पाद शुल्क न लगाया जाए।
- लुगदी से बनाए गए कागज और कागज बोर्ड में से घरेलू उपभोग हेतु निकाले गए 35,000 एम०टी०के० कागज और कागज बोर्ड की सही निकासी के लिए उत्पाद शुल्क से छूट प्रदान की जाए परंतु इसमें लुगदी की मात्रा इसके कुल वजन का 75% से कम न हो और इसे बाँस, हार्ड वुड, साफ्टवुड-रीड्स (सरकंडा के अतिरिक्त) अथवा रैग्स के अतिरिक्त अन्य दूसरे कच्चे माल से बना होना चाहिए।
- नालीदार (कारोगेटेड) बक्सों पर मूल उत्पाद शुल्क 16% लगाया जाए।
- हाई स्पीड डीजल (एच०एस०डी०) पर उत्पाद शुल्क 12% किया जाय।
- मोटर स्पीड पर विशेष उत्पाद शुल्क (एस०ई०डी०) लगाया जाए।

सीमा शुल्क

- कागज के कुछ वर्गों को छोड़कर अन्य सभी वर्गों के कागज पर 35% का मूल सीमा शुल्क लगाया जाए।
- न्यूज प्रिंट, व हल्के कोटेड कागज पर 5% का मूल सीमा शुल्क लगाया जाए।
- रद्दी कागज पर मूल सीमा शुल्क 5% इस शर्त के साथ होगा कि आयातक को यह वचन पत्र भरकर देना होगा कि आयातित माल का विशिष्ट प्रयोजन से प्रयोग किया जाएगा और शर्तों का अनुपालन न कर पाने की स्थिति में वह लगाए गए शुल्क को अदा करने में जिम्मेदार होगा।



अध्याय-VIII

समकालीन अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियाँ

कागज उद्योग का विश्व के प्रत्येक देश और उसकी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। प्रति व्यक्ति कागज का उपभोग आर्थिक विकास और रहन सहन के स्तर को प्रदर्शित करता है। उच्चतर उपभोग लोगों के बेहतर जीवनस्तर का प्रतीक है। यह शिक्षा के ऊँचे स्तर और लिखने-पढ़ने के प्रति लोगों की प्रवृत्ति का प्रतीक भी है। कई देशों में प्रति व्यक्ति हो रहा कम उपभोग भी भविष्य की मांग में होने वाली वृद्धि का संकेत है साथ ही कागज उद्योग के विकास के अवसर होने का भी संकेत है। कुछ चुने हुए देशों में कागज का प्रति व्यक्ति उपभोग का नमूना नीचे आंकड़ों में प्रदर्शित है:

राष्ट्रवार प्रति व्यक्ति कागज उपभोग

देश	(कि० ग्रा० में)
अमेरिका	333
फिनलैण्ड	266
हांग कांग	233
जापान	230

राष्ट्रवार प्रति व्यक्ति कागज उपभोग

देश	(कि० ग्रा० में)
सिंगापुर	230
नीदरलैण्ड	227
ताइवान	225
कनाडा	220
जर्मनी	200
स्वीडन	195
इंग्लैण्ड	192
न्यूजीलैण्ड	184
आस्ट्रेलिया	167
दक्षिण कोरिया	134
मलेशिया	82
पुर्तगाल	75
थाईलैंड	34
ब्राजील	27
चिली	27
चीन	20
इण्डोनेशिया	13
उत्तर कोरिया	3
वियतनाम	1
लाओस	1

स्त्रोत- पी०पी०आई० 1995 ए: 22-2, क्रिसलैंग (आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय) से

प्रति व्यक्ति उपभोग एशिया में औसतन 18-25, किग्रा० विकसित देशों में

150-250 किग्रा० और विश्व के अत्यधिक उन्नत राष्ट्रों में 250-350 किग्रा० के विरुद्ध भारत में पूर्व में उल्लिखित लगभग 3 किग्रा० होने का अनुमान है।

विश्व के कुछ देशों में कागज उद्योग की स्थिति का विवरण आगे दिया जा रहा है।

चीन में विकास

चीन ने वर्ष 2015 तक इस उद्योग विस्तार करने और इसे आधुनिक बनाने के लिए कागज के क्षेत्र से संबंधित एक कार्यक्रम प्रारंभ किया है। वर्ष 2015 तक चीन में कागज और कागज बोर्ड की मांग 80 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुँच जाने की आशा है। कागज उद्योग में यह एक बड़ा प्रयास है। कागज का प्रति व्यक्ति उपभोग, जो वर्ष 1993 में लगभग 20 कि० ग्रा० था, उसे 55 कि० ग्रा० के स्तर को भी पार कर जाने की आशा है। ऐसा अनुमान है कि चीन में कागज के प्रति व्यक्ति उपभोग का वर्तमान स्तर 30 कि० ग्रा० है। चीन का अनुमान है कि वहाँ अगले 15 वर्षों में 40 मिलियन टन की नई उत्पादन क्षमता की आवश्यकता होगी। जिसके लिए 48 बिलियन डालर की आवश्यकता होगी। हाल ही में चीन ने इस प्रयोजन से अपनी अर्थव्यवस्था के द्वार खोल दिए है। वर्ष 1992 से 2000 के दौरान उत्पादन 9% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ा था और वर्ष 2001 के दौरान चीन में कागज और कागज बोर्ड का उत्पादन 35 मिलियन टन के रिकार्ड स्तर पर पहुँच गया। चीन में विश्व की लगभग 20% आबादी है। जबकि वन क्षेत्र पूरे विश्व के वन क्षेत्र का केवल 4% है। कागज बनाने के लिए रेशे (फाइबर) की आपूर्ति मजबूत बनाने की दृष्टि से चीन ने अपने वन संसाधनों के विकास और उसमें निवेश के लिए राशि का अलग से प्रावधान कर लिया है।

चीन में कागज उद्योग की वर्तमान स्थिति की बानगी नीचे सारिणी से प्राप्त की जा सकती है।

चीन में कागज उद्योग

(1000 टन)

	उत्पादन		आयात		निर्यात	
	1999	2000	1999	2000	1999	2000
कागज और बोर्ड	998	1,450	248	211	2	2
न्यूज प्रिंट	6,530	6,970	1,426	1,331	98	450
छपाई/लिखने का कागज	6,080	6,320	348	239	84	340
इसमें से अनकोटेड कागज	450	650	1,078	1,092	15	109
कोटेड कागज	8,040	8,240	2,414	2155	24	59
अन्य रैपिंग कागज	3,640	3,520	699	714	8	7
टिशु	2,270	2,295	37	34	73	98
अन्य कागज	3,430	3,465	53	45	31	48
बोर्ड	4,880	4,690	1,645	1,482	34	54
कुल कागज और बोर्ड	29,608	30,900	6,522	5,972	270	718

स्रोतः पेपर मार्ट खण्ड 03 सं० 09 पृष्ठ-12

इंगलैंड

इंगलैंड में कागज का प्रति व्यक्ति उपभोग 200 कि० ग्रा० से अधिक है। लुगदी और कागज उद्योग के सार्वभौमीकरण (ग्लोबलाइजेशन) विषय पर "क्रिस लैंग एन" द्वारा किया गया अध्ययन कई रहस्य से पर्दा उठाता है। इंगलैंड में कागज की मांग बढ़ने की आशा है और आपूर्ति में वृद्धि से कागज के उत्पादों की मांग को पूरा करने में सहायता मिलेगी। अध्ययन से ज्ञात होता है कि यहाँ कागज निर्माण से संबंधित वस्तुओं के साथ-साथ स्वयं कागज के विभिन्न उत्पादों का उन्नत बाजार है। कच्चे माल का व्यापार प्रारंभ में तने (लाग), इसके बाद वुडचिप्स और इसके पश्चात् सूखी लुगदी के रुप में विश्व व्यापार का एक अंग है। यह व्यापार वर्ष 1960 के प्रारंभ में तेजी से विकसित हुआ जब अंतर्राष्ट्रीय वुड फाइबर ट्रेड अमेरिका और कनाडा एवं यूरोप और स्कैंडिनेबिया के मध्य होता था।

के क्षेत्र में कर्ज देना पूरी तरह इसके औद्योगिक उपभोग पर निर्भर था और सामान्यतया शीघ्र बढ़ने वाले तुरंत बाजार विदेशी मसाले संबंधी नए पौधे लगाने के लिए ही निवेश उपलब्ध था (विश्व बैंक 1994:33)। वर्ष 1978 में बैंक ने वानिकी क्षेत्र की नीति संबंधी नियम तैयार किए और तबसे बैंक ने गांवों की गरीबी दूर करने के लिए वानिकी की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करना शुरु किया। वर्ष 1991 में इस नीति का फिर से अध्ययन किया गया जिसके अंतर्गत विकासशील देशों में गांवों के गरीबों के लिए वन और वृक्ष उपलब्ध करा सकने वाले उत्पादों और सेवाओं की शीघ्र बढ़ने वाली मांग को पूरा करने हेतु वर्तमान वृक्ष संसाधनों का प्रबंधन और नए वृक्षों का पर्याप्त वृक्षारोपण जैसे विषय पर ज्यादा ध्यान देना प्रारंभ किया गया (विश्व बैंक 1991: 10) यद्यपि औद्योगिक वानिकी परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान करने का हिस्सा कुल वानिकी क्षेत्र के लिए प्रदत्त ऋण के 20% से भी कम हो गया फिर भी कर्ज की वास्तविक राशि 12% बढ़कर औसतन यू०एस० डालर 100 मिलियन प्रतिवर्ष से भी अधिक हो गई, साथ ही चालू वर्ष में लगभग यू०एस० डालर 240 मिलियन का प्रावधान किया गया है (विश्व बैंक 1994:13)। वर्ष 1991 की नीतियों के अंतर्गत बैंक ने प्राथमिक नये उष्ण कटिबंधीय वनों के व्यापारिक इस्तेमाल के लिए कोई राशि प्रदान नहीं की गई जिससे यह प्रकट होता है कि बैंक द्वारा केवल औद्योगिक वृक्षारोपण संबंधी परियोजनाओं की ओर ज्यादा ध्यान दिया गया और उन्हें निधियाँ प्रदान की गई (देखे पूर्व उद्धहरण)।

केवल खाद्य एवं कृषि संस्थान (एफ०ए०ओ०) ने उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में वानिकी की उन्नति के लिए कदम उठाए और इससे संबंधित अनुसंधान किए जिससे कई देशों में लुगदी और कागज उद्योग में निवेश और उत्पादन के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने में सहायता मिली।

"दि कामनवेल्थ साइंटिफिक एण्ड इंडस्ट्रियल रिसर्च आर्गनाइजेशन" (सी०एस० आई०आर०ओ०) वन संबंधी अनुसंधान का विवरण अनुरक्षित करता है और वर्ष 1921 के प्रारंभ से आस्ट्रेलिया सरकार के "कामन वेल्थ फारेस्ट्री ब्यूरो" के लिए कार्य कर रहा है और इसे वर्ष 1955 में सी०एस०आई०आर०ओ० के साथ निर्गमित किया गया था। उक्त अनुसंधान अध्ययनों के बारे में लैग द्वारा विस्तार से बताया गया है। लैंग

सेंटर फार इंटरनेशनल फारेस्ट्री रिसर्च (सी०आई०एफ०ओ०आर०) के बारे में भी वर्णन करता है। (देखेः- ग्लोबलाइजेशन आफ दि पल्प एण्ड पेपर इंडस्ट्रीज, क्रिस लैंग, आक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी)।

वर्ष 1991 में सी आई०एफ०ओ०आर० के स्थापना की भूमिका तैयार करने हेतु कन्सलटेटिव ग्रुप आन इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च (सी०जी०आई०ए०आर०) द्वारा ए० सी० आई० ए० आर० की स्थापना की गई। इसके पश्चात् सी०आई०एफ०ओ०आर० की कानूनन स्थापना को आस्ट्रेलिया, स्वीडन, स्विटजरलैंड और अमेरिका द्वारा 1993 में प्रायोजित किया गया और 17 अंतर्राष्ट्रीय दानदाताओं द्वारा इसके लिए निधि इकट्ठा की गई (सेयर 1994:33)।

उष्ण कटिबंधीय वानिकी कार्य योजना (टी०एफ०ए०पी०) के संबंध में हुई बैठकों की श्रृंखला के माध्यम से विशेष रूप से वानिकी अनुसंधान जैसे प्रमुख विंदु पर ध्यान केंद्रित किया गया। जुलाई 1987 में वेलागियो, इटली में रॉकफेलर फाउंडेशन, एफ० ए० ओ०, विश्व बैंक, यू० एन० डी० पी० और वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (डब्लू०आर०आई०) द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रणनीति संबंधी बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में टी०एफ०ए०पी० के कार्यान्वयन की प्रमुख बाधा के रूप में उष्ण कटिबंधीय वानिकी अनुसंधान की कमियाँ सामने आई और वर्ष 1988 में "राकफेलर फाउंडेशन", विश्व बैंक, यू०एन०डी०पी० और एफ०ए०ओ० ने "इंटरनेशनल टास्क फोर्स आन फारेस्ट्री रिसर्च" (आई०टी०एफ० एफ०आर०) को प्रायोजित किया जिसने सी०जी०आई०ए०आर० के अधिदेश को आगे बढ़ाने का सुझाव दिया ताकि वानिकी अनुसंधान को समर्थन मिले और कोआर्डिनेट ट्रापिकल फारेस्ट्री रिसर्च के केंद्र की स्थापना की जा सके (सेयर 1994:32-33)।

जापान

एफ०ए०ओ० की कागज और लकड़ी के उत्पादों संबंधी परामर्शदात्री समिति ने वर्ष 1998 में अपनी रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया है कि वर्ष 1997 में कागज और कागज बोर्ड के उत्पादन में वर्ष 1996 के 3,10,23,000 टन के मुकाबले 3.4% की वृद्धि

हुई और लदान का स्तर 3.1% से बढ़कर 3,08,12,000 टन के स्तर पर पहुँच गया। यह भी अनुमान था कि वर्ष 1997-98 में स्थापित अतिरिक्त नई क्षमता के कारण छपाई/संचार (कम्यूनिकेशन) कागज 1.51 मिलियन टन, न्यूजप्रिंट 6,00,000 टन और कंटेनर्स बोर्ड 1,50,000 टन होने की आशा थी। वर्ष 1997 में कागज की मशीनों की परिचालन दर 94.3% थी और कागज बोर्ड की मशीनों की परिचालन दर 93.3% थी। इसी प्रकार कागज और कागज बोर्ड दोनों की मशीनों की संयुक्त दर लगभग 93.9% रही। एफ० ए०ओ० की रिपोर्ट के अनुसार जापान के कागज उद्योग की स्थिति का जायजा निम्नलिखित सारिणी से लिया जा सकता है।

वर्ष 1996 में कागज और कागज बोर्ड के उत्पादन और लदान का विवरण

(हजार टन में)

	वर्ष 97/96 का उत्पादन	%	वर्ष 97/96 का लादान	%
न्यूजप्रिंट	3192	1.7	3,187	1.7
छपाई और संचार संबंधी	11115	2.8	11,039	2.9
रैपिंग	1108	2.0	1101	2.2
हाइजेनिक	1721	4.4	1710	4.5
अन्य	1141	5.4	1139	4.6
कुल कागज	18277	2.9	18176	2.9
कंटेनर बोर्ड	9426	4.2	9341	3.5
फोल्डिंग कार्टन	2,235	4.0	2,219	2.8
अन्य	1087	3.7	1076	3.1
कुल कागज बोर्ड	12,478	4.1	12,636	3.4
कुल कागज और कागज बोर्ड	31,024	3.4	30,812	3.1

वर्ष 1997 में निर्यात वर्ष 1996 के मुकाबले 36.4% अधिक वृद्धि थी जबकि मुख्य रुप से यू०एस० डालर के मुकाबले येन कमजोर पड़ जाने के कारण आयात में 15.5% की गिरावट आई। वास्तव में जून 1997 में विनिमय दर डालर के बदले 111 येन थी जो इस वर्ष के अंत में गिरकर 130 येन हो गई।

वर्ष 1997 में कागज और कागज बोर्ड के आयात-निर्यात का विवरण

(जनवरी से नवम्बर) (1000 टन में)

	आयात		निर्यात	
	टन भार	% परिवर्तन	टन भार	% परिवर्तन
कागज	992	–19.5	611	41.0
कागज बोर्ड	238	6.1	269	26.9
कुल	1230	–15.5	880	36.4

कच्चा माल

क- रद्दी कागज- जनवरी से नवंबर की अवधि के दौरान रद्दी कागज के उपभोग की दर 5.4% पहुँच गयी। जापान पेपर ऐशोसिएशन ने रद्दी कागज का उपभोग बढ़ाने की दृष्टि से वर्ष 2000 में इसका लक्ष्य 56% रखा है। इसी समय रद्दी कागज की अत्यधिक आपूर्ति की गई जो देशभर में चलाए गए एक अभियान का परिणाम थी ताकि पुनः चक्रित उन्मुख सोसाइटी की स्थापना की जा सके।

वर्ष 1997 में रद्दी कागज का उपभोग (जनवरी से नवम्बर 1000 टन में)

	टन भार	% परिवर्तन
कागज के लिये	4175	1.8
कागज बोर्ड के लिये	10970	4.7
कागज और कागज बोर्ड दोनों के लिए कुल	15146	3.8

(ख) वुडपल्प

वर्ष 1997 में वुडपल्प का उत्पादन (1000 टन में)

	टन भार	% परिवर्तन
साफ्टवुड ब्लीच्ड क्राफ्ट	1318	- 0.2
हार्डवुड ब्लीच्ड क्राफ्ट	6534	5.3
अनब्लीच्ड क्राफ्ट	1623	0.5
कुल (अन्य सहित)	11364	2.7

वर्ष 1997 में वुडपल्प का आयात (जन० से नव० 1000 टन में)

	टन भार	% परिवर्तन
साफ्टवुड ब्लीच्ड क्राफ्ट	1226	0.6
हार्डवुड ब्लीच्ड क्राफ्ट	1144	1.5
अनब्लीच्ड क्राफ्ट	112	4.8
कुल (अन्य सहित)	3016	1.1

(ग) वर्ष 1997 में पल्पवुड का उपभोग (1000 एम^3)

	टन भार	% परिवर्तन
साफ्टवुड, घरेलू	8726	-3.1
आयात	7394	3.3
कुल	16119	0.3
हार्डवुड, घरेलू	4002	-2.4
आयात	18177	5.4
कुल	22178	3.9
कुल साफ्टवुड और हार्डवुड	38298	2.1

कागज और लकड़ी उत्पादों से संबंधित वर्ष 1999 की एफ०ए०ओ० रिपोर्ट में यह उल्लिखित है कि एक दशक की स्थिरता के बाद जापान के आर्थिक संभावनाओं में सुधार हो रहा है। राजकोषीय वर्ष 12000 (जो 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है) के लिए सरकार को 1% की वृद्धि की आशा है। इसी प्रकार राजकोषीय वर्ष 1997 में 0.6% की वृद्धि का अनुमान किया गया था। यहाँ अर्थव्यवस्था में प्रोत्साहन प्रदान करने वाले चिह्न मौजूद हैं। बैंकिंग का संकट समाप्त हो गया है। कमजोर बैंकों में भी जमा जनता के धन की भारी तरावट से कारपोरेट संबंधी लाभ वर्ष 1999 में बढ़ने लगा। पहले तीन वर्षों में लाभ कमाने के बाद स्टाक के मूल्यों में वृद्धि हो रही है, विदेशी अर्थव्यवस्था फलफूल रही है जिसका अर्थ है जापानी निर्यात भविष्य में मजबूत होगा।

जापान की अर्थव्यवस्था तेजी से सामान्य की ओर आ रही है। फिर भी अपर्याप्त पूँजी व्यय कमजोर उपभोक्ता व्यय, कच्चे तेल के मूल्य में वृद्धि, लगभग शून्य ब्याज दर नीति, निलंबित आर्थिक पुनर्संरचना और पानी के बुलबुले जैसे अशोध्य ऋण आदि के रुप में अनिश्चितताएं अभी भी बनी हैं। स्वयं पोषण योग्य बनत्ता और स्थायी पूर्नोत्थान के लिए कुछ संरचनागत सुधार आवश्यक है। उत्पादन एवं लदान की बानगी नीचे दिए आंकड़ों से मिल सकती है:

सारिणी- 1 : वर्ष 1999 में कागज और कागज बोर्ड का उत्पादन एवं लदान

(हजार टन में)

	उत्पादन	% परिवर्तन	लदान	%परिवर्तन
न्यूजप्रिंट	3,295	0.9	3,307	1.0
छपाई और	11,350	4.1	11,480	5.6
संचार संबंधी	1,019	-2.3	1,031	-0.9
रैपिंग	1,704	2.7	1,699	1.9
हाइजेनिक	1,030	4.6	1,040	6.1
अन्य	18,397	3.0	18,556	4.1
कंटेनर बोर्ड	9,181	2.5	9,228	2.6
फोल्डिंग बाक्स बोर्ड	20,86	-0.2	2,103	1.2
अन्य	973	-0.8	986	2.0
कुल कागज बोर्ड	12,239	1.7	12,317	2.3
कुल कागज और कागज बोर्ड	30,637	2.5	30,873	3.4

सारिणी- 2 : वर्ष 1999 में कागज और कागज बोर्ड का आयात एवं निर्यात

हजार टन में

	आयात	% परिवर्तन	निर्यात	% परिवर्तन
कागज	843	10.7	999	26.5
कागज बोर्ड	231	3.4	404	27.8
कुल	1,074	-8.0	1,403	26.8

राजकोषीय वर्ष 1999 के 30 सितंबर की पहली छमाही में सूचीबद्ध 18 निर्माताओं का आवर्ती लाभ 8.9 बिलियन था अथवा यह पिछले वर्ष के मुकाबले 34.6% कम था। पूरे राजकोषीय वर्ष 1997 , जो 31 मार्च 2000 को समाप्त हुआ, के दौरान आवर्ती लाभ 44.8 बिलियन अनुमानित किया गया था अथवा यह पिछले वर्ष के मुकाबले 52.9 बिलियन अधिक था।

वर्ष 1999 का कुल उत्पादन वर्ष 1997 के बाद दूसरे स्थान का उच्चतम रहा था और लदान का स्तर वर्ष 1997 के बाद बढ़ते हुए रिकार्ड स्तर तक बढ़ा जिसके लिए आर्थिक वसूली और वाई 2 के संबंधी विशिष्ट मांग को धन्यवाद देना चाहिए। वर्ष 1999 में पहली बार निर्यात 1 मिलियन टन से अधिक रहा। कोटेड पेपर की मांग 1998 वर्ष के मुकाबले विशेष रुप से 9.6% बढ़ा।

इस उद्योग की आशानुसार कागज और कागज बोर्ड के लिए घरेलू बाजार में मांग वर्ष 2000 में बढ़कर 31.51मिलियन टन हो गयी यह वर्ष 1999 के मुकबले 1.5% अधिक थी। कागज की मांग 1.6% बढ़कर 19 मिलियन टन और कागज बोर्ड की मांग 1.2% बढ़कर 12.5% मिलियन टन हो गयी। इस उद्योग को कागज के पुनर्निमाण और कागज निर्माण के पोषणीय प्रबंधन के लिए अधिक लाभ की आवश्यकता है। (देखे पूर्व उद्धहरण)

"दि जापान पेपर ऐशोसिएशन" ने वर्ष 1997 में मौजूद वातावरण के अन्तर्गत स्वैच्छिक कार्य योजना पर आधारित अपना परिचालन जारी रखा है साथ ही यह वातावरण ऊर्जा की बचत, पुनः प्राप्त कागज को पुनः चक्रित करने और समुद्र पारीय वृक्षारोपण द्वारा तैयार किया गया था ये सभी कार्य ग्लोबल वार्मिंग को रोकने से संबंधित हैं।

वनों में वृक्षारोपण के संबंध में कागज उद्योग अन्य उद्योगों जैसे ऊर्जा कंपनियाँ, आटोमोटिव कंपनियाँ, प्रकाशक और अन्य व्यापारिक फर्मों के साथ-साथ कार्य कर रहा है। वर्ष 2010 तक लिए निर्धारित कुल लक्ष्य 550000 एच०ए० के मुकाबले 38000 एच०ए० भूमि पर पहले ही वनारोपण किया जा चुका है (230000 एच०ए० समुद्रपारीय

घरेलु मांग की अपेक्षा व्यापार अधिक तेजी से बढ़ा। उद्योगों का ट्रेड एक्सपोजर रेसियो (कागज और कागजबोर्ड की घरेलू खरीद के प्रतिशत के रूप में आयात व निर्यात का योग) वर्ष 1980 में 21.0% बढ़ा था वर्ष 1990 में यह 23.3% और पिछले वर्ष यह 29.5% के स्तर पर पहुँच गया।

पूर्व के तीन वर्षों से प्रत्येक में नीचा रूख होने के पश्चात् वर्ष 1997 में न्यूजप्रिंट का लदान 4.7 % की वृद्धि के साथ 6.6 मिलियन टन तक पहुँच गया जो एक नया रिकार्ड था। जबकि पिछले वर्षों में अमेरिकी मिलों से न्यूजप्रिंट के लदान की मात्रा गिरकर वर्ष 1992 में 6.5 मिलियन टन और 1996 में 6.3 मिलियनटन रह गई थी। अमेरिका से घरेलू बाजारों में न्यूजप्रिंट की लदान वर्ष 1997 में 6.0% बढ़ी जबकि निर्यात की मात्रा 2.9% कम हुई। घरेलू न्यूजपिंट की मांग की तीव्र वृद्धि से यह ज्ञात होता है कि पिछले वर्षों में मजबूत एडवरटाइजिंग का माहौल रहा था जिसने दैनिक समाचारपत्रों द्वारा न्यूज प्रिंट के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए प्रेरित किया और यह वृद्धि 4.1% अनुमानित की गई थी। वर्ष 1996 के बाद और पिछले वर्ष की समाप्ति मध्य अमेरिकी मिलों की न्यूजप्रिंट की इन्वेंटरीज में 36 % की कमी आई।

वर्ष 1997 में लिखाई-पढ़ाई कागज के क्षेत्र को मजबूत मांग वृद्धि के रूप में पहचाना गया जिसमें घरेलू लदान की मात्रा 7.9% बढ़कर 24.3 मिलियनटन हो गई। इस अभिवृद्धि से अनुकूल इन्वेंटरी पैटर्न के साथ-साथ कार्यालय में काम करने वाले मजदूरों के रोजगार में वृद्धि और मुद्रण आधारित एडवरटाइजिंग गतिविधि का पता चलता है। पत्रिकाओं के विज्ञापन संबंधी पृष्ठों में वर्ष 1997 के दौरान 4.8% की वृद्धि हुई जबकि वर्ष 1996 में इसके विपरीत 2% की कमी आई थी। सीधी डाक द्वारा विज्ञापन (डाइरेक्ट मेल एडवरटाइजिंग) की अनुपस्थिति में तृतीय श्रेणी के डाक की मात्रा पिछले वर्ष उल्लेखनीय रूप से बढ़ी।

पिछले वर्ष लदान की वृद्धि छपाई-लिखाई के विभिन्न वर्गों के अंतर्गत ही घूमता रहा जो कोटेड ग्राउण्डबुड और कोटेडफ्री शीट के लिए क्रमशः 18.5% और 10.1% के मुकाबले अनकोटेड फ्री शीट के लिए 5.3% और अनकोटेड ग्राउण्डबुड के लिए

2.0% रहा। कनाडा और अन्य आपूर्तिकत्ताओं से आयातों में हुई अधिक वृद्धि ने वर्ष 1997 में अनकोटेड ग्राउण्डवुड की कुल घरेलू खरीद में 9.0% की वृद्धि की। (देखें-पूर्व उद्धहरण)

एफ ए ओ की रिपोर्ट में इसका उल्लेख है कि टिश्यू पेपर का उत्पादन वर्ष 1997 में 2.2% बढ़कर 5.8 मिलियन टन हो गया जो वर्ष 1996 में केवल 0.9% ही बढ़ा था। वर्ष 1999 से वर्ष 1997 तक इसकी औसत वृद्धि की प्रवृत्ति 1.4% वार्षिक रही।

मजबूत घरेलू और निर्यात मांग के कारण कन्टेनर बोर्ड का उत्पादन वर्ष 1997 में 5.5% बढ़कर 32 मिलियन टन हो गया। घरेलू कंटेनर बोर्ड के उपभोग पर प्रमुख रुप से जोर देने के कारण बाक्स के लदान में पिछले वर्ष 3.3% की वृद्धि हुई जबकि वर्ष 1995 में 0.6% की कमी आई और वर्ष 1996 में केवल 1.6% की वृद्धि हुई थी। वर्ष 1996 में 35% अग्रिम के बाद भी कंटेनर बोर्ड के निर्यात में वर्ष 1997 में 18% की और वृद्धि हुई। वर्ष 1997 में मिलों में कंटेनर बोर्ड की इंवेन्ट्रीज और बाक्स प्लाण्ट्स में उत्पादन 1,61,000 टन के हिसाब से दुरुस्त कर दिया गया जिसके कारण आपूर्ति में लगने वाला सप्ताह, वर्ष 1996 की समाप्ति पर 5.1% से कम होकर 4.8% ही रह गया।

पुनः चक्रित (रीसाइकिल्ड) अनब्लीच्ड और "ब्लीच्ड क्राफ्ट एण्ड एनडैश" सहित बाक्स बोर्ड का उत्पादन और एनडैश वर्ष 1997 में 3.8% बढ़कर 13.56 मिलियन टन हो गया जो वर्ष 1996 में आए 0.9% की कमी की तुलना में अधिक था। पिछले वर्ष में बाक्सबोर्ड के उत्पादन से संबंधित निर्यात में 23% की वृद्धि हुई। ब्लीच्ड और अनब्लीच्ड क्राफ्ट बाक्स बोर्ड से संबंधित निर्यात की मांग विशेश रुप से बलवती हुई।

घरेलू प्रयोग के फोल्डिंग बाक्सबोर्ड का उत्पादन वर्ष 1996 की तुलना में लगभग बराबर रहते हुए 5.8 मिलियन रहा । जबकि घरेलू इस्तेमाल वाले मिल्क कार्टन और फूड सर्विस बोर्ड का उत्पादन 'अन्य बाक्स बोर्ड' की तुलना में 12.9% अधिक रहा जिसके अंतर्गत ट्यूब, वैन, और ड्रम सम्मिलित हैं। इसी प्रकार जिप्सम बाल बोर्ड पिछले वर्ष की तुलना में 3.8% बढ़ा।

"केमिकल पेपर ग्रेड मार्केट" पल्प का अमेरिकी लदान वर्ष 1997 में 3.8% बढ़कर 7.9 मिलियन टन पहुँच गया। घरेलू उपभोक्ताओं से संबंधित लदान में हुई 18.7% की वृद्धि कुल अग्रिम के रुप में प्रदर्शित हुई और निर्यात में 2.2% की कमी आई। लैटिन अमेरिका ओर यूरोप को केमिकल पेपर ग्रेड मार्केट पल्प का निर्यात वर्ष 1997 में बढ़ा जबकि एशिया के लिए होने वाले निर्यात में कमी आई।

अबाध लाभ की लंबी श्रंखला को जारी रखते हुए कागज और कागज बोर्ड की रिकवरी वर्ष 1997 में 5.1% बढ़कर 40.8 मिलियन टन हो गई। अमेरिकी मिलों द्वारा उपभोग किए गए कागज की पुनः प्राप्ति (रिकवरी) और निर्यात से संबंधित निष्पादन के रुप में कुल अग्रिम में 7.3% की वृद्धि परिलक्षित हुई।

जबकि पिछले वर्ष की रिकवरी में तीव्र वृद्धि हुई जिससे कागज और कागज बोर्ड का प्रकट रुप में उपभोग हुआ। जबकि रिकवरी दर में वास्तविक वृद्धि न होकर यह 4.5% से थोड़ा अधिक रही, तथापि कागज और कागज बोर्ड के उत्पादन प्रतिशत के रुप में अमेरिकी मिलों के पुनः प्राप्त कागज के उपभोग सम्बंधी दर वर्ष 1996 के 39.6% की तुलना में बढ़कर वर्ष 1997 में 37.6% हो गई।

दिसंबर 1997 में जारी ए०एफ० एण्ड पी०ए० के 38 वें वार्षिक क्षमता सर्वेक्षण के अनुसार अगले तीन वर्षों के दौरान अधिकतर वर्ग के कागज ओर कागज बोर्ड की क्षमता वृद्धि एतिहासिक मानदंडों के विपरीत काफी कम रहेगी। इस सर्वेक्षण में यह भी उल्लिखित है कि कागज और कागज बोर्ड की कुल क्षमता वर्ष 1998 से वर्ष 2000 तक 12% के औसत वार्षिक दर से बढ़ेगी जो पिछले दस वर्षों के दौरान आई 2.5% की वृद्धि की आधी से भी कम है। केमिकल पेपर ग्रेड मार्केट वुडपल्प क्षमता वर्ष 1998-2000 की अवधि के दौरान अत्यंत धीमी अर्थात् 0.5% की औसत दर से बढ़ी।

अमेरिकी कागज उद्योग की इन्वेटरी से रिकवरी, जो वर्ष 1995-96 में कम रहने की प्रवृत्ति दर्शाती है, वर्ष 1998 में भी बने रहने की आशा है। तथापि अग्रिम की यह गति वर्ष 1997 की तुलना में अपरिहार्य रुप से कम रहेगी जिसे वृद्धि प्राप्त करने वाले वर्ष के रुप में माना गया था।

वर्ष 1998 में अमेरिकी कागज और कागज बोर्ड के उपभोग में अमेरिकी अर्थव्यवस्था लगभग 2.5% बढ़ने की आशा है। उत्पादन वृद्धि व्यापार और एनडैश अर्थात् लुगदी, कागज और कागज बोर्ड के निर्यात और आयात से गंभीर रुप से प्रभावित होती है। यह देखना शेष है कि क्या एशियाई अस्थिरता अमेरिकी कागज उद्योग के व्यापार संतुलन को गंभीर रुप से प्रभावित करती है।

वर्ष 1999 में अमेरिकी अर्थव्यवस्था में 4.0% की वृद्धि हुई। कागज और कागज बोर्ड का अमेरिकी उत्पादन वर्ष 1998 में 0.5% कम होने के पश्चात् वर्ष 1999 में 2.2% की वृद्धि हुई। तथापि उत्पादन में यह वृद्धि कागज और कागज बोर्ड के प्रकट उपभोग में हुई 4.1% की वृद्धि का लगभग आधा ही है (घरेलू उत्पादन और आयात में से निर्यात घटाना) जो शुद्ध आयात में पुनः वृद्धि प्रदर्शित करता है। वास्तव में कागज और कागज बोर्ड का अमेरिकी आयात वर्ष 1999 में 9.2% होकर 16.5 मिलियन टन होने का अनुमान है जबकि निर्यात 3.5% कम होकर 10.7 मिलियन टन हो गया। कुछ विशिष्ट किस्मों, में छपाई व लिखाई वाले कागज में निर्यात की मात्रा में वर्ष 1998 में सार्थक कमी आने के बाद वर्ष 1999 में उसे बढ़ाने के प्रयास किए गए।

छपाई-लिखाई के कागज में स्पष्ट रुप में अमेरिकी उपभोग में वर्ष 1999 में 2.7% की वृद्धि हुई लेकिन लदान की मात्रा में 1.5% की वृद्धि हुई क्योंकि कागज की वृद्धि संबंधी बिक्री का महत्वपूर्ण भाग आयात के मद में जाना जारी रहा। फिर भी वर्ष 1998 में जब छपाई और लिखाई के कागज के अमेरिकी निर्यात में कमी आई, तो विपरीत वर्ष 1999 में निर्यात में कुछ हद तक सार्थक वृद्धि हुई।

वर्ष 1999 में न्यूजप्रिंट के अमेरिकी उपभोग में 1.9% की वृद्धि के साथ यह 11.85 मिलियन टन रहा। जबकि लदान में 0.4% की कमी आई जो प्रमुख रुप से आयात में 5.0% की वृद्धि के साथ कुल आयात 284000 टन होने के कारण रहा। कनाडा से आयात 355000 टन बढ़ा जबकि समुद्रपारीय आयात में 71000 टन की कमी आई।

क्राफ्ट कागज का कुल लदान वर्ष 1995 से 1998 तक के चार वर्ष की अवधि के दौरान लगातार वार्षिक कमी दर्ज करने के बाद वर्ष 1999 में 2.6% बढ़कर 2.02

मिलियन टन हो गया। यह वृद्धि प्रमुख रुप से अनब्लीच्ड वर्ग में अर्थात् अनब्लीच्ड क्राफ्ट बैग और सेक और मल्टीवाल एडवासिंग दोनों पर केंद्रित रही। सुझाव यह है कि इसके स्थानापत्र के रुप में प्लास्टिक का प्रयोग आसान है। ब्लीच्ड क्राफ्ट कागज का लंदान 1998 की तुलना में वर्ष 1999 में विशिष्ट रुप से सामान्य रहा।

समृद्ध हो रही अर्थव्यवस्था टिश्यू पेपर की मांग को बढ़ाने वाली प्रतीत होती है। टिश्यू पेपर का अमेरिकी उत्पादन वर्ष 1999 में लगभग 4% की वृद्धि के साथ 6.2% मिलियन टन रहा। यह वृद्धि टिश्यू पेपर के उत्पादन के दीर्घकालीन विस्तार की दर के अतिरिक्त थी। जबकि वर्ष 1989 से 1998 तक इस विस्तार की औसत वृद्धि दर 1.9% रही थी।

वर्ष 1998 में कमी होने के बाद कंटेनर बोर्ड का उत्पादन वर्ष 1999 में 1.8% बढ़कर 32.1 मिलियन टन हो गया। घरेलू इस्तेमाल के कंटेनर बोर्ड के उत्पादन के कुल कार्य निष्पादन में 4% की वृद्धि हुई जबकि इसके निर्यात संबंधी उत्पादन में आंशिक रुप से 15% की कमी हुई। वर्ष 1998 में निर्यात से संबंधित उत्पादन में पिछली कमी 17% रही थी।

एफ०ए०ओ० रिपोर्ट में इसका उल्लेख है कि वर्ष 1998 में कार्य निष्पादन प्रभावी रुप से सामान्य रहने के बाद बाक्स बोर्ड का उत्पादन वर्ष 1999 में 4.2% बढ़कर 6.3 मिलियन टन के स्तर पर पहुँच गया। अनब्लीच्ड क्राफ्ट फोल्डिंग में 9.0% ब्लीच्ड फोल्डिंग में 4.1% की वृद्धि हुई और पुनः चक्रित (रीसाइकिल्ड) फोल्डिंग में 1.6% की वृद्धि हुई। निर्यात से संबंधित बाक्सबोर्ड के उत्पादन में वर्ष 1999 में 6.2% की कमी के साथ कुल 1.45 मिलियन टन की कमी रही।

केमिकल पेपर ग्रेड मार्केट पल्प के अमेरिकी लदान में वर्ष 1999 में 3.3% की वृद्धि के साथ 7.6 मिलियन टन की वृद्धि हुई। घरेलू बाजार के लदान में वृद्धि 10.9% की वृद्धि के साथ 3.0 मिलियन टन रही। जानकारी में आई अधिकतर कमी पश्चिमी यूरोप में हुई जहाँ वर्ष 1999 में निर्यात 11.9% की कमी के साथ कुल 1.59 मिलियन टन की कमी हुई। एशिया/अफ्रीका के लिए केमिकल पेपर ग्रेड मार्केट पल्प का अमेरिकी निर्यात वर्ष 1998 में अत्यधिक कमी के बाद पिछले वर्ष 5.6% की वृद्धि हुई।

अमेरिकी लुगदी और कागज उद्योग का वित्तीय निष्पादन वर्ष 1999 में सुधर गया जो वर्ष 1998 गिरावट के स्तर के बाद 30% की बढ़ी हुई कमाई के साथ सुधरा। इस वृद्धि के बावजूद कमजोर शुरुआत और कुछ वर्ग (ग्रेड्स) के निष्पादन में नरमी रहने के कारण इस वर्ष के लाभ को साधारण दर्जे का बताया गया।

यद्यपि स्थिर मूल्य और ठोस मांग के चलते लाभ में वृद्धि हुई फिर भी लागत की क्षमता भी एक प्रमुख कारक है। विलयन और अर्जन के परिणामस्वरुप विशेष रुप से कंटेनर बोर्ड के क्षेत्र में अधिक लागत क्षमता समाप्त होने और अन्य आर्थिक उपाय करने के कारण अमेरिकी कागज उद्योग अपनी लागत संरचना में कमी लाने में सक्षम हुआ और बाजार की स्थिति कमजोर होते हुए भी पिछले वर्षो के मुकाबले अधिक लाभ प्राप्त कर सका।

अमेरिकी कागज उद्योग अब बहुत धीमी क्षमता वृद्धि वाली अवधि के दौर से गुजर रहा है, विशेष रुप से अमेरिकी कागज और कागज बोर्ड की उत्पादन क्षमता वर्ष 1998 में केवल 0.6% मापी गई और इसके पश्चात् वर्ष 1999 में 0.5% की कमी के साथ 91.9 मिलियन टन की कमी आई। वृद्धि न हो पाने की स्थिति से यह पता चलता है कि परियोजनाओं के विस्तार के साथ-साथ मिलों और मशीनों के बंद होने के प्रभाव के प्रति काफी सतर्कता बरती जा रही है। दिसंबर 1999 के ए०एफ० एण्ड पी०ए० क्षमता सर्वेक्षण के आधार पर वर्ष 2000-2002 की अवधि के दौरान कागज और कागज बोर्ड की क्षमता में औसतन 0.7% वार्षिक की दर से इजाफा हुआ। (देखें-पूर्व उद्धरण)

एफ०ए०ओ० की यह रिपोर्ट स्पष्ट रुप से यह प्रदर्शित करती है कि अमेरिका में कागज उद्योग में क्षमता वृद्धि काफी कम है और प्रति व्यक्ति कागज का उपभोग अधिक है। वर्ष 1999 के दौरान वुड प्राडक्ट उद्योग का निष्पादन उत्साहजनक था और मांग के साथ-साथ लगातार जोरदार कार्य निष्पादन इसका गवाह था। लुंबर और पैनल की मांग बढ़ती जा रही है और इस प्रकार इसका भी भविष्य उज्जवल है।

इण्डोनेशिया

इण्डोनेशिया में पल्प एण्ड पेपर एशोसिएशन ने वर्ष 1991 से ध्यान दिया। वहाँ

की जनसंख्या 207 मिलियन थी और बेरोजगारी की दर 3.6% थी। गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या 37.5 मिलियन थी। सकल घरेलू उत्पाद (जी०डी० पी०) की वृद्धि वर्ष 1998 में 13.2% थी और वर्ष 1999 में इसका 0.23% हो गई और मुद्रा प्रसार की दर वर्ष 1998 के 77.63% की अपेक्षा वर्ष 1999 में 2% कम रही। वर्ष 1999 में यहाँ 81 लुगदी और कागज की कंपनियाँ थीं, जिसमें से 10 सघन लुगदी और कागज की इकाइयाँ और 65 केवल कागज और लुगदी वाली इकाइयाँ थी। कुल लुगदी की क्षमता 4.9 मिलियन टन प्रतिवर्ष और कागज और बोर्ड की क्षमता 8.3 मिलियन टन प्रतिवर्ष थी। वर्ष 1998-99 के लिए एफ०ए०ओ० रिपोर्ट के मुताबिक लुगदी और कागज उद्योग के कार्य निष्पादन की बानगी नीचे लिखे आंकड़ों से प्राप्त की जा सकती है।

लुगदी, रद्दी कागज और कागज उत्पादन, आयात, निर्यात और उपभोग (मिलियन टन में) 1998

मद	उत्पादन	आयात	निर्यात	उपभोग
I. लुगदी	3,430000	839510	1656740	2612770
II. रद्दी कागज	1355000	2033620	0	3388620
III. कागज	5487260	130130	2833960	2783430
1. न्यूजप्रिंट	477740	3690	351120	130310
2. लिखाई और छपाई	1855080	30080	1516700	368460
3. सैक क्राफ्ट	92210	18790	13700	97290
4. लाइनर एण्ड फ्लूटिंग	1585170	19190	531350	1073130
5. बोर्ड	1205880	12770	378520	840130
6. सिगरेट कागज	21360	4270	1280	24350
7. रैपिंग पेपर	39590	11860	1790	49660
8. घरेलू कागज	111420	680	29340	82760
9. अन्य कागज	98810	28800	10150	117460

कागज उत्पादन, आयात, निर्यात एवं उपभोग वर्ष-1999

मद	उत्पादन	आयात	निर्यात	उपभोग
I. लुगदी	3800000	1381000	1000000	4181000
II. रद्दी कागज	1200000	2200000	0	3400000
III. कागज	6977300	128000	4000000	3105300
1. न्यूजप्रिंट	531600	2700	345100	189200
2. लिखाई और छपाई	2733200	22600	2203100	552700
3. सैक क्राफ्ट	109200	13000	12400	109800
4. लाइनर एण्ड फ्लूटिंग	1775600	15400	738000	1053000
5. बोर्ड	1487900	13600	601100	900400
6. सिगरेट कागज	23100	3900	1800	25200
7. रैपिंग पेपर	44500	19800	2100	62200
8. घरेलू कागज	161500	900	78800	83600
9. अन्य कागज	110700	36100	17600	129200

वर्ष 1999 में स्थानीय उपभोग पर्याप्त रुप से बढ़ा और वर्ष 2000 में 16.5 कि० ग्रा० प्रति कैपुट (Caput) के उपभोग कापिछला संकट समाप्त हुआ। वर्ष 1998 में निर्यात मूल्य यू०एस० डालर 3.5 बिलियन रहा था जो वर्ष 1999 में बढ़कर यू०एस० डालर 4 बिलियन हो गया। वर्ष 1999 में मूल्य वृद्धि (वर्ष 2000 में भी) के कारण कंपनियों का लाभ हुआ और वर्ष 1998 की तुलना में वर्ष 1999 में अधिक रहा। आर्थिक संकट ने इन कंपनियों को 'प्रतिक्षा करो और देखो' की स्थिति में ला दिया। वर्ष 1999 की समाप्ति पर अंतर्राष्ट्रीय वसूली ने कंपनियों को अपनी स्थिति मजबूत बनाने का कार्य किया। वर्ष 2000 में क्षमता में बहुत कम वृद्धि हुई। वर्ष 2001 में भी इस उद्योग में वृद्धि एवं विस्तार हुआ। इस उद्योग का भविष्य बहुत उज्जवल है और विश्व आपूर्ति का लगभग 80% भाग नारस्कैन (Norscan) से आता है जो वन संसाधनों का इष्टतम उपयोग करता है। फिर भी इण्डोनेशिया लुगदी और कागज उत्पादक उन्नत देशों की अपेक्षा

अपनी अधिकतर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वाधीन है। इससे संबंधित क्षेत्र निम्नलिखित है:

(क) उच्च्य तकनीक विशेषज्ञता

(ख) संसोधित करना और तकनीकी ज्ञान

(ग) मशीनरी और उपकरणों की आपूर्ति और

(घ) वित्तीय समर्थन

इण्डोनेशिया के यहाँ वन वृक्षारोपण (एच०टी०आई०) होता है जो प्राकृतिक वन की खेती करने से (एच०पी०एच०) कहीं ज्यादा बेहतर है। रिपोर्ट के निम्नलिखित उन बिन्दुओं पर पुनः ध्यान दिलाना बेहतर है जो प्राकृतिक वन की खेती करने की अपेक्षा वन वृक्षारोपण का पक्ष लेते हैं। इसके प्रमुख संसाधन निम्नवत् हैं:

➢ एच०पी०एच० के अंतर्गत पहले प्राकृतिक वनों में वृक्षों की कटाई की जाती है इसके बाद सरकार को पुनः वनारोपण (रीफारेस्टेशन) निधि-भरा करके उस स्थान को वैसे ही छोड़ दिया जाता है। सरकार द्वारा रीफारेस्टेशन में बहुत सी बाधाएं आती है। जबकि एच०टी०आई० के अंतर्गत वृक्ष को काटकर वहाँ पर नए वृक्ष लगा दिए जाते हैं जिससे वनों का पोषणीय (सस्टेनेबिल्टी) बनी रहती है। इसके अतिरिक्त हम उस नीति का समर्थन करते है। जहाँ प्रत्येक लुगदी वाली मिल को अपने वृक्षारोपण से प्राप्त लकड़ी के लट्ठों का इस्तेमाल करना होता है। एच०टी०आई० के माध्यम से हम न केवल वनों का संरक्षण कर सकते हैं, बल्कि वन क्षेत्र में वृद्धि भी कर सकते हैं।

➢ 100000 एच०ए० पर अधिकतम एच०टी०आई० क्षेत्र प्रदान करने संबंधी नया विनिमय प्रत्येक लुगदी मिल के लिए पर्याप्त नहीं है, हमें इस प्रयोजनार्थ 200000 एच० ए० से 300000 एच०ए० की आवश्यकता है। इस विनिमय की समीक्षा करने के लिए सरकार अब तैयार है।

➢ हम 'लोगों के लिए वन' वाली नीति का समर्थन सभी करते हैं। यह नीति लोगों के निजी अथवा सहकारी वनों की स्थापना में सहायक होगी। यह नीति सफल

है, इससे लट्ठों की अवैध कटाई न्यूनतम होगी और उनकी आपूर्ति भी बढ़ेगी। फिर भी उस नीति को बुद्धिमानी और सतर्कता पूर्वक कार्यान्वित करना है क्योंकि इसके लिए वन/वृक्ष लगाने का तकनीकी ज्ञान, अनुभवी प्रशासन, वित्तीय योग्यता और 7 से 8 वर्षों तक लोगों के धैर्य रखने (छोटे रेशे वाले उष्ण कटिबंधीय वृक्षों पूर्ण विकसित होने की आयु) की आवश्यकता है। शासन वृक्षारोपण के लिए बेहल उपलब्ध कराने के माध्यम से तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान कर इस नीति को सहायक बनने को तैयार है। (देखें- पूर्व उद्धहरण)

इण्डोनेशिया की लुगदी मिले अत्याधुनिक हैं और उनके पास प्रदूषण रोधी प्रणाली उपलब्ध है। जंगलो में लगने वाली आग और अवैध लट्ठों की कटाई के कारण लुगदी उद्योग कुछ समस्याओं का सामना कर रहा है। "अवैध लट्ठों" की तस्करी पड़ोसी देशों को की जाती है, वह भी कोई शुल्क अभिदान या कर दिए बिना और उन्हें घरेलू दरों से कम दर पर इण्डोनेशिया को पुनः निर्यात किया जाता है। लुगदी और कागज उद्योग का भविष्य इण्डोनेशिया जैसे छोटे देश में उज्जवल है। अतः इस प्रकार एफ०ए०ओ० कागज उद्योग के क्षेत्र में मुख्य भूमिका अदा कर रहा है। ऊपर दिए गए इसकी विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार इसके प्रशंसनीय प्रयास के लिए हम इसकी प्रशंसा करेंगे।



अध्याय-IX

भारत में कागज उद्योग के विकास के लिए एक राष्ट्रीय नीति की आवश्यकता

भारत का कागज उद्योग कठिनाई के दौर से गुजर रहा है और इसका पूर्ण कार्य निष्पादन संतोषजनक नहीं माना जा सकता। क्योंकि हम इसके लगातार खराब क्षमता उपभोग और कमजोर वित्तीय निष्पादन को देख रहे हैं। पुरानी मशीनरी और तकनीकी के प्रयोग ने भी उद्योग की इस स्थिति में वृद्धि की है। वर्ष 1975 से 1985 की अवधि के दौरान क्षमता उपभोग की मात्रा 80% से गिरकर लगभग 60% ही रह गई। इसके पश्चात् यद्यपि इस स्थिति में कुछ सुधार हुआ परंतु कई कारणों से अधिक क्षमता का उपयोग नही किया जा सका। इससे संबंधित कुछ कारण निम्नलिखित है:

(क) खराब मूलभूत सुविधाएं (संरचनागत सुविधाएं)

(ख) आयातित माल की ऊँची लागत

(ग) सेल्यूलोजिक कच्चे माल की कमी

(घ) अप्रचलित तकनीक

(ङ) उत्पादन की ऊँची लागत

(च) बाजार की सुस्त मांग

(छ) आधुनिक तकनीक और प्रबंधकीय तकनीक आदि अपनाए जाने की कमी।

कागज उद्योग की चुनौतियाँ एवं समाधान

कागज उद्योग राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख क्षेत्र है इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए इसका स्वस्थ विकास आवश्यक है। इकाईयों की बीमारी/बंदी की समस्या से इस उद्योग की बुरी स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है और यह केन्द्र और राज्य सरकार के स्तर पर बड़ी गंभीरता से विचार करने की बात है। एक बहुमुखी और स्थाई नीति द्वारा उद्योग की समस्याओं को सुधारा जा सकता है और प्रोत्साहन प्रदान करने वाला वातावरण तैयार किया जा सकता है।

संयंत्र और मशीनरी की कार्य क्षमता के साथ-साथ श्रम शक्ति की कार्य क्षमता भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। रूढ़िवादी प्रबंधन के कारण प्रबंधकीय पक्ष पर भी बहुत कम ध्यान दिया गया है। खराब कार्य करने संबंधी परिस्थितियों और मानव पहुँच (ह्यूमन एप्रोच) की मूलभूत कमी के साथ-साथ अधिकतर मिलों के शीत और गैर स्वास्थ्यकारी (हायजनिक) वातावरण का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करने की आवश्यकता है। अधिकतम की स्थिति प्राप्त करने के लिए इस उद्योग द्वारा सामना की जा रही कई चुनौतियों के साथ-साथ श्रम और मानव संसाधन के उचित प्रबंधन की आवश्यकता है। ये चुनौतियाँ निम्नलिखित हैः

- सूचना/संचार प्रणाली में परिवर्तन
- कम्प्यूटर तकनीक का विकास
- अंकीय प्रणाली (डिजिटलाइजेशन)
- आटोमेशन
- नई समय बचाने वाली मशीनें, तकनीकी आदि

वास्तव में उक्त तत्व हमारे पूरे दैनिक जीवन को प्रभावित कर रहे हैं साथ ही

यह कागज उद्योग की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित कर रहे हैं। अन्य तत्व, जो इस उद्योग की वृद्धि से समान रूप से संबंधित है और जो इस उद्योग को सीधे-सीधे प्रभावित कर रहे हैं, निम्नलिखित है:

- इंटरनेट का प्रयोग
- आन लाइन पत्रकारिता
- ई-कामर्स आदि

इन गतिविधियों ने अमेरिका में कागज उद्योग को पहले से ही प्रभावित कर रखा है और इन्हें देर-सबेर हमारी अर्थव्यवस्था में लागू करना ही है। यद्यपि अमेरिका में कागज की कुल बिक्री वर्ष 1990 के दौरान रिकार्ड स्तर पर रही। कुल बिक्री 86.8 मिलियन टन रही और वर्ष 1995 में इस बिक्री में 10 मिलियन टन की अतिरिक्त वृद्धि हुई। लगभग इस अवधि के दौरान वर्ष 1989 में वर्ल्ड वाइड 'वेब' का जन्म हुआ, इस कारण इसमें बहुमुखी विस्तार हुआ और रिसीव, सेंड, डिस्प्ले आदि सूचनाओं में इंटरनेट का प्रयोग किया जा सका। बेब ने विश्व तकनीकी में अग्रणी स्थान अर्जित किया है जहाँ व्यावसायिक लेनदेन की दैनिक सूचना दी जाती है। इससे भविष्य में कागज आधारित सूचना संचार प्रणाली अवश्य प्रभावित होगी। यह उद्योग इन चुनौतियों को नजरंदाज नही कर सकता क्योंकि इलेक्ट्रानिक मीडिया आज नहीं तो कल समचार पत्रों, पत्रिकाओं, पुस्तकों, डाक आदि को बदलकर रख देगा। विकासशील देशों की तुलना में विकसित देशों में स्थिति अधिक विस्फोटक होगी। साथ ही भारत इसका मूक दर्शक नहीं रह सकता और इस उद्योग को इन गतिविधियों पर ध्यान देना ही होगा क्योंकि वे मांग के इस स्वरूप से प्रभावित होने के लिए बाध्य हैं और वे इसे आसानी से नजरंदाज नहीं कर सकते।

अतः भारत के कागज उद्योग को निम्नलिखित प्रवृत्तियों पर ध्यान देना है:

1. नई तकनीकी अपनाने के. लिए कामगारों को प्रशिक्षित करना
2. नए कौशल की पहचान

3. आधुनिक तकनीक/प्रबंधकीय संसाधनों का अधिकतम उपभोग
4. सतर्क वित्तीय आयोजना अंगीकार करना

इन मसलों से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक स्पष्ट नीति निर्णय अपनाने की आवश्यकता है। कुछ नई गतिविधियाँ जिन पर ध्यान दिया जाना है वे विस्तार/आधुनिकीकरण के कार्यक्रमों से संबंधित हैं और उन पर कुछ कागज संबंधी इकाइयाँ ध्यान दे भी रही हैं। वे हैं बिल्ट (BILT) का विकास। इसके लिए आई०सी०आई०सी०/आई०एफ०सी० से कई प्रकार से वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। हाल ही में आई०सी०आई०सी०आई० थापर समूह के बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड (बिल्ट BILT) के 200 करोड़ रु० के कर्जे की शर्तों को पुर्ननिर्धारित किया है जिसके तहत कर्जे पर ब्याज को समाप्त कर दिया गया और कर्ज के भुगतान को दो से सात वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया गया। बिल्ट ने हाल ही में इंटरनेशनल फाइनेंस कारपोरेशन (आई०एफ०सी०) के साथ 30 मिलियन डालर (लगभग रु० 150 करोड़) के कर्ज के लिए समझौता किया है। यह ऋण घरेलू बाजार से रुपये में ऋण की राशि बढ़ाने के लिए मूल रुप से बिल्ट की जमानत (गारंटी) में वृद्धि करने के लिए होगा। यह बिल्ट द्वारा विस्तार कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है।

हाल के वर्षों में बल्लारपुर इण्डस्ट्रीज ने शुद्ध लाभ में 70% की वृद्धि दर्ज की है। मार्च 2001 को समाप्त नौ माह की अवधि के दौरान पिछले वर्ष में इसी अवधि के दौरान हुए रु० 38 करोड़ के लाभ की तुलना में लगभग रु० 75 करोड़ हो गया। वर्ष 2000 में कुल टर्न ओवर पिछली इसी अवधि के दौरान हुए रु० 317 करोड़ की तुलना में लगभग 378 करोड होने का अनुमान था। यह स्वयं में प्रोत्साहित करने वाला है और इसी समय यह भी संकेत देता है कि भविष्य में यहाँ घरेलू बाजार में और अधिक प्रतियोगिता होगी।

आई०पी०एम०ए० ने सरकार से युक्तिसंगत सीमा शुल्क व उत्पाद शुल्क संबंधी नीति का निरूपण करने का अनुरोध किया है। विश्व और घरेलू बाजार में लुगदी के मूल्य नीचे आ गए हैं। साफ्ट वुड पल्प के मूल्य जो 750 डालर प्रतिटन हो गए थे।

हाल ही में 550 डालर प्रति टन पर स्थिर हो गए हैं। न्यूजप्रिंट, ग्लेज्ड न्यूजप्रिंट और लाइट वेज कोटेड (एल०डब्लू०सी०) कागज को प्रशुल्क लागू करने के प्रयोजन से अलग-अलग वर्गीकृत किया गया है। "द इंडियन पेपर मैन्यू फैक्चर्स एशोसिएशन" ने सुझाव दिया है कि प्रशुल्क का ढांचा इस प्रकार बनाया जाए ताकि यथासंभव न्यूजप्रिंट के लिए एकल दर पर शुल्क लिया जाए, जबकि एल०डब्लू०सी० सहित अन्य प्रकार के कागज और कागज बोर्ड के लिए शुल्क की अन्य दर ली जाए। जबकि सरकार एल०डब्लू०सी० को कोटेड कागज की एक अन्य किस्म के रूप में मानती है न कि न्यूजप्रिंट के रूप में। सबसे बड़ी समस्या यह है कि आयातित एल०डब्लू०सी० भी घरेलू उत्पाद के बराबर नहीं है।

यह उद्योग प्रमुख कच्चे माल के रूप में लकड़ी प्राप्त करने की समस्या का सामना कर रहा है। यह क्षेत्र कच्चे माल के रूप में लकड़ी के प्रयोग पर आधारित है और यह सरकार पर जोर दे रहा है कि वह कागज उद्योग के लिए विशेष रूप से देश वन क्षेत्र अवक्रमित (degraded) वन क्षेत्र का न्यूनतम 10% भाग प्रदान करे। यदि ऐसा किया जाता है तो संभव है कि कागज उद्योग की कुछ हद तक कच्चे माल की समस्या हल हो जाए। वर्ष 2000-2001 के दौरान 225 कागज इकाइयों के वित्तीय परिणाम यह प्रदर्शित करते हैं कि वर्ष 1999-2000 की तुलना में उन्हें लगभग 11% की अधिक आय हुई अर्थात् रु० 2261 करोड़ से बढ़कर रु० 2508 करोड़ आय हो गई। परिचालन के क्षेत्र में लगभग 25 फर्मों ने 25% की वृद्धि दर्ज की अर्थात् वर्ष 1999-2000 के रु० 19391 करोड़ की तुलना में वर्ष 2000-01 में रु० 24,339 करोड़। इस अवधि के दौरान सकल लाभ में भी 29% की वृद्धि हुई। बिक्री की अपेक्षा पी०ए०टी० (PAT) का अनुपात वर्ष 1999-2000 में लगभग 10% की तुलना में वर्ष 2000-01 में बढ़कर लगभग 12.5% हो गया। इन फर्मों का ई०पी०एस० 1999-2000 में रु० 10 से बढ़कर वर्ष 2000-01 में रु० 14.25 हो गया। मैसूर पेपर मिल इसकी गवाह है कि उनके लाभ में शत प्रतिशत की वृद्धि हुई। "श्री राजेश्वरानन्द पेपर" ने अपने सकल लाभ में लगभग दो गुनी वृद्धि दर्ज की। कुछ चुने हुए उद्योगों के कार्य निष्पादन से, जिसका विवरण नीचे सारिणी में दिया गया है, इस विचार की पुष्टि होती है:

चुने हुए उद्योगो के परिचालन पर एक दृष्टि

(रुपये लाख में)

उद्योग	बिक्री 2001		अन्य आय 2001		ओ०पी० 2001		जी०पी० 2001		पी०बी०टी० 2001		पी०ए०टी० 2001		बिक्री की अपेक्षा पी०ए०टी० का % (2001)	ई०पी०एस०(रु०) 2000	ई०पी०एस०(रु०) 2001	
	अप्रैल-मार्च	% परिवर्तन	अप्रैल-मार्च	% परिवर्तन	अप्रैल-मार्च	% परिवर्तन	अप्रैल-मार्च	% परिवर्तन	अप्रैल-मार्च	% परिवर्तन	अप्रैल-मार्च	% परिवर्तन	अप्रैल-मार्च	अप्रैल-मार्च	अप्रैल-मार्च	% परिवर्तन
एशिया पैक	1444	7.0	–	–	–76	–	–347	–	–470	–	–470	–	–	–	–	–
एशियन ब्राउन बोवेरी	79328	2.3	1357	–277	9118	21.4	8727	26.5	7051	32.5	5401	45.2	6.81	4.80	13.04	45.2
कैमालिन	16371	8.1	64	–5.9	1041	5.2	487	11.7	227	6.1	208	5.6	1.24	1.27	.67	5.6
कॉस्मोफिल्म्स	11810	21.5	146	15.9	2294	33.9	1791	83.5	1188	211.8	1109	236.1	9.39	3.39	13.46	236.1
मैसूर पेपर	36191	33.8	2288	–54.4	47.9	183.3	2629	138.3	1204	621.0	1174	603.0	3.24	0.62	1.00	603.0
श्री अंबेश्वर पेपर	3249	12.8	2	–71.4	85	–72.3	–22	-	–120	–	–120	–	–	4.34	–	–
श्री कृष्ण पेपर	6927	33.4	18	100.0	308	13.7	290	18.4	202	27.7	127	–8.6	1.83	2.68	1.88	8.6
सियरा आप्टिया	3665	80.5	66	214.3	1400	65.9	1397	66.9	1126	102.5	1081	96.2	29.50	27.14	32.76	96.2

स्रोत: देखे-पेपर मार्ट खण्ड 2 सं० 2

उक्त कुछ चुनी हुई इकाइयों के कार्य निष्पादन के आधार पर, जैसा ऊपर दर्शाया गया है, आसानी से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ये इकाइयाँ भारत के कागज उद्योग के लिए एक गंभीर प्रतियोगी वातावरण तैयार करने जा रही है जिसे स्वस्थ विकास के रूप में लिया जाना चाहिए। इसी प्रकार यहाँ भविष्य में अत्यंत सतर्क आयोजना की आवश्यकता है क्योंकि ये इकाइयाँ न केवल ऐसी स्थिति ला सकती हैं जहाँ अन्य इकाइयाँ जो आधुनिकीकरण और विस्तार कार्यक्रम में पीछे रहती हैं जल्द ही बीमार इकाइयाँ बन सकती हैं।

उक्त विचार विमर्श से यह स्पष्ट होता है कि कागज उद्योग की बड़ी इकाइयों को हानिकारक प्रतियोगिता के चंगुल से बचाया जाना चाहिए और इनमें उचित वृद्धि को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यह इसकी सख्त आवश्यकता है कि लुगदी, कागज और कागज बोर्ड उद्योग के बारे में एक राष्ट्रीय नीति तैयार की जाए जो हमारी अर्थव्यवस्था के 15-20 वर्षों की आवश्यकता को पूरा करे। अतः इस विस्तृत आधार युक्त नीति का सुझाव दिया जाता है और आगे दो भागों में इस पर विचार किया जा सकता है।

भाग-I

वे महत्वपूर्ण क्षेत्र जिनमें नीति संबंधी घोषणा/वार्ता की जानी है निम्नलिखित हैं:

1. कागज की आवश्यकता का वार्षिक आधार पर आकलन किया जाए और यह कागज उद्योग की विभिन्न प्रकार की अगले 15-20 वर्षों की आवश्यकताओं के लिए प्रस्तुत आधार पर होना चाहिए और निम्नलिखित दोनों मामलों में क्षेत्रीय आधार पर इसका निष्पक्ष वितरण किया जाना चाहिए।

   (क) बड़ी इकाइयाँ और

   (ख) छोटी इकाइयाँ

इसी समय यह भी सुनिश्चित किया जाना है कि लघुतर इकाइयाँ बाजार में बनी रह सकें और एक निष्पक्ष प्रतियोगी वातावरण इन्हें कार्य करने की अनुमति प्रदान करें, साथ ही उत्तरवर्ती वर्षों में इसके अनुपालन हेतु इन पर उचित ढंग से नियंत्रण रखा

जाए ताकि संसाधनों की बरबादी न हो और क्षेत्रीय वृद्धि को भी आश्वस्त किया जा सके।

2. नई इकाइयों को ऊपर उठाने के लिए विनियमित करने के उद्देश्य से समय-समय पर कुल प्रतिस्थापित क्षमता और क्षमता उपभोग पर नजर रखी जाए।
3. विरले क्षेत्रों के लिए लुगदी को चिह्नित करना
4. प्रचलित और औद्योगिक वर्ग दोनों के लिए कागज और कागज बोर्ड होने चाहिए।
5. न्यूजप्रिंट और पत्रिका संबंधी कागज
6. विशेष प्रकार के कागज की अन्य किस्में
7. कागज बोर्ड

यहाँ प्रत्येक क्षेत्र की समीक्षात्मक मांग की पहचान भी करना है। यदि आवश्यक हो तो निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों में सघन वन वाली कागज की बड़ी मिलों की भूमिका और गैर-सघन क्षेत्र की छोटी और मध्यम आकार की कागज और कागज बोर्ड उद्योग की भूमिका को नीतियों द्वारा स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाए। पेपर ऐशोसियेशनों द्वारा किए गए विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि आज लुगदी, कागज और कागज बोर्ड, न्यूजप्रिंट और पत्रिका संबंधी कागज की वर्तमान कुल मांग लगभग 2 मिलियन टन होने जा रही है। जबकि न्यूजप्रिंट सहित कुल उत्पादन केवल लगभग 1.7 मिलियन टन ही है। लगभग रु० 200 करोड़ की काफी बड़ी राशि प्रत्येक वर्ष 3,00,000 टन न्यूजप्रिंट आयात करने में खर्च की जाती है। इसके अतिरिक्त हमारा देश कागज/कागज बोर्ड उद्योग के लिए लगभग 1,50,000 टन लुगदी के आयात पर लगभग रु० 60 करोड़ का व्यय करेगा। अतः यह सुझाव है कि आयात का स्थानापन्न (Substitute) तलाश करने के लिए और वर्तमान प्रतिस्थापित क्षमता के बेहतर उपभोग के माध्यम से सभी प्रकार की लुगदी, कागज बोर्ड, न्यूजप्रिंट आदि की राष्ट्रीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रभावी कदम उठाने के उद्देश्य से पूरे उद्योग के पुनरावलोकन की आवश्यकता है। यह कुछ सरकारी नीतियों के पूरीतरह पुर्नमूल्यांकन की मांग है और निम्नलिखित को सुनिश्चित करने के लिए इस उद्योग के उत्पादन और प्रयोगकर्त्ता दोनों से बातचीत शुरु करने की आवश्यकता हैं:

1. 3,00,000 टन अतिरिक्त न्यूजप्रिंट के उत्पादन हेतु बड़ी, मध्यम और छोटे पैमाने के क्षेत्र वाली इकाइयों की वर्तमान क्षमता का पूरा-पूरा उपभोग किया जाए। ऐसा निम्न प्रकार से किया जा सकता है:

   (क) न्यूजप्रिंट के निर्माण हेतु आवश्यक सामग्री की अबाध आपूर्ति सुनिश्चित करना।

   (ख) इन सभी क्षेत्रों में न्यूजप्रिंट निर्माण की लागत के हिसाब से इसके लिए पर्याप्त समर्थन मूल्य होना।

   (ग) पर्याप्त ऋण स्थगन और कर ब्याज दर के साथ अन्य प्रकार के कागज के स्थान पर न्यूजप्रिंट के निर्माण हेतु छोटी और बड़ी दोनों मिलों के लिए अतिरिक्त उपकरणों को परिवर्तित करने हेतु पर्याप्त निधियाँ उपलब्ध कराना।

   (घ) मिलों से आपूर्ति के आश्वासन सहित इन इकाइयों द्वारा उत्पादित न्यूज़प्रिंट के उठान की गारंटी।

2. पत्रिका ग्रेड के कागज (ग्लेज्ड न्यूजप्रिंट/लाइट वेज कोटेड कागज) की मांग बढ़ती जा रही है। मध्यम और छोटी इकाइयाँ सभी प्रकार के कागज के निर्माण के लिए उपयुक्त आदर्श है। यदि मांग का उपयुक्त रूप से आँकलन किया जाए तो इसमें से कुछ इकाइयों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है ताकि उन सभी प्रकार के कागज के निर्माण हेतु वर्तमान संयंत्र को परिवर्तित किया जा सके जिसकी मांग अगले दो वर्षों में लगभग 1,00,000 टन वार्षिक हो जाने की आशा है। वर्तमान में इस प्रकार के कागज की पूरी मात्रा आयात की जाती है।

सुझाव यह है कि जहाँ तक संभव हो इन उत्पादों को लकड़ी के बक्सों में पैक करने से बचने का प्रयास किया जाना चाहिए। कागज और कागज बोर्ड के पैकेटों को सफलतापूर्वक प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। जहाँ पैकिंग के लिए लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ ऐसा विशेष रूप से किया जा सकता है अर्थात् बागवानी संबंधी उत्पाद, चाय आदि के परिवहन में इसका प्रयोग हो सकता है। इससे होने वाली बचत

को कागज उद्योग की ओर मोड़ा जा सकता है और इससे हमारे देश की वन संपदा को सुरक्षित भी किया जा सकेगा।

राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत उन मूलभूत आवश्यकताओं जैसे बिजली, कोयला, पानी और इसके बहिष्प्रवाही निपटान संबंधी प्रावधानों की प्राथमिकताएं प्रकट करना चाहिए जिनसे सम्बन्धित भयंकर समस्या से यह उद्योग ग्रसित है। यह है:

1. बिजली
2. कोयला
3. पानी और
4. बहिष्प्रवाही निपटान (एफ्लूएंट)

कृषि अवशिष्ट और पुनः चक्रित रद्दी पर आधारित छोटी कागज की मिलों के लिए राष्ट्रीय न्यूनतम् मानक निर्धारित करने के लिए "सेंट्रल बोर्ड फार प्रिवेंशन एण्ड कंट्रोल आफ वाटर पोल्यूशन" द्वारा कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। पूरे देश में एक समान मानक के क्रियान्वयन से वातावरण को सुधारने और प्रदूषण को कम करने में सहायता मिलेगी।

भाग-II

कागज उद्योग के उचित विकास के लिए आवश्यक उक्त नीतिगत उपायों के साथ-साथ इस उद्योग के निजी और सरकारी क्षेत्र में संरचनागत परिवर्तन की आवश्यकता है और विभिन्न क्षेत्रों, विशेष रूप से निम्नलिखित विषयों से संबंधित ये परिवर्तन बहुत सावधानी पूर्वक किए जाने चाहिए:

1. राजकोषीय नीति में सुधार की अत्यंत आवश्यकता है जिसके अंतर्गत सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और कराधान संबंधी उपाय सम्मिलित हैं। इन उपायों को कागज उद्योग और राज्य व केंद्र सरकार के साथ परामर्श करके उपयुक्त आकार दिया जा सकता है।

2. कुछ समय के लिए कागज उद्योग के क्षेत्र में नई इकाइयों का खोलना बंद कर

दिया जाना चाहिए और इसकी क्षमता का उचित उपभोग किया जाना चाहिए साथ ही वर्तमान इकाइयों को आधुनिकीकृत किया जाना चाहिए।

3. पैकिंग में कागज और कागज बोर्ड के इस्तेमाल बढ़ाने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। इस प्रकार पैकिंग उद्योग की वैज्ञानिक बहुमुखी विकास की आवश्यकता है। इसे कुटीर उद्योग के रूप में देश के विभिन्न क्षेत्रों में अपनाया जाना चाहिए। स्पष्ट है कि इस मामले में सरकारी कार्यवाही/नीति की आवश्यकता है।

4. वन आधारित कच्चे माल के स्थानापत्र, इसके बेहतर उपभोग के साथ-साथ संयंत्र और मशीनरी के तकनीकी परिवर्तन की आवश्यकता संबंधी अनुसंधान, विशेष रूप से किए जाने चाहिए। इस प्रयोजन से उद्योग और सरकार द्वारा अनुसंधान संस्थानों को आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान किया जाना चाहिए। ये अनुसंधान इकाइयाँ कच्चे माल के उपयुक्त घरेलू उपयोग संबंधी मशीनरी का विकास करने और स्थानीय एवं क्षेत्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने में काफी हद तक सक्षम हैं। इस संबंध में विदेशों में किए गए प्रयोगों, जैसा कि पूर्व अध्याय में वर्णित है, का काफी महत्व है और इनकी सावधानीपूर्वक जाँच की जानी चाहिए।

5. राज्य वित्तीय निगम (एस०एफ०सी०) को देश के विभिन्न भागों में स्थित कागज की इकाइयों/परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए मुख्य भूमिका अदा करनी चाहिए। यदि आवश्यक हो तो अल्प कालीन/दीर्घकालीन आवश्यकताओं के आधार पर सस्ते दर के ऋण उपलब्ध कराए जाएं और यदि किसी मामले में अधिक बकाया इकट्ठा हो गया हो तो कर्जे के पुर्नगठन की योजना नए नियम एवं शर्तों पर विकसित की जाए।

हमारे देश में कागज उद्योग को विशेष रूप से छोटी कागज की इकाइयों के मामले में सरकारी समर्थन एवं निर्देशन की आवश्यकता है। यहाँ 10 से 15 वर्षों की दीर्घकालीन अवधि वाली राष्ट्रीय नीति की घोषणा की आवश्यकता है ताकि इस उद्योग का स्थिर वृद्धि और विकास हो। आशा की जाती है कि सरकारी नीति इस उद्योग को सकारात्मक समर्थन प्रदान करेगा और इसके पुनर्जीवित करने में सहायक होगा जिससे इस उद्योग

के तकनीकी परिवर्तन और प्रतियोगिता के दबाव को कम किया जा सकेगा। पूर्व अध्याय में उल्लिखित कुछ देशों जैसे चीन, इंग्लैण्ड, जापान, इण्डोनेशिया आदि में हुए विकास हमारी अर्थव्यवस्था की आँखें खोलने के लिए पर्याप्त हैं और इनकी कार्यक्षमता से प्रेरणा लेकर इससे हमारा कागज उद्योग अपने उज्जवल भविष्य के प्रति सुनिश्चित हो सकेगा।



परिशिष्ट-I

प्रश्नावली का प्रारूप

(क) *स्थापना*

1. कागज मिल का नाम
2. संघटन
3. प्रारम्भ करने की तिथि
4. व्यवसाय प्रारंभ करने की तारीख
5. सेक्टर/खण्ड
6. व्यवसाय समूह का नाम
7. (क) पंजीकृत कार्यालय

   (ख) नियंत्रक कार्यालय

   (ग) शहर

   (घ) जिला

   (ङ) राज्य

8. उद्योग वर्ष

9. तैयार किए जाने वाले कागज/उत्पाद का प्रकार

(क) (i) मुद्रण कागज (प्रिंट पेपर)

(ii) क्राफ्ट कागज

(iii) कोटेड कागज

(iv) कागज बोर्ड

(v) स्ट्रा बोर्ड

(vi) विशेष कागज

(vii) हस्तनिर्मित कागज

(viii) न्यूजप्रिंट

(ix) अन्य

(ख) लुगदी (पल्प)

10. लघु/मध्यम/बड़े पैमाने वाला उद्योग

(i) 10 टन प्रतिदिन से कम

(ii) 25 और 50 टन प्रतिदिन के मध्य

(iii) 100 टन प्रतिदिन और इससे अधिक

11. (क) वर्तमान स्थिति

(i) उत्पादन में

(ii) बंद

(iii) बीमार

(ख) यदि बंद/बीमार है तो कब से

(i)	1975	(iv)	1990
(ii)	1980	(v)	1995
(iii)	1985	(vi)	2000

12. स्थापना के समय प्रतिस्थापित क्षमता

(i) दस टन प्रतिदिन से कम

(ii) 25 और 50 टन प्रतिदिन के मध्य

(iii) 100 टन प्रतिदिन और इससे अधिक

13. बाद में बढ़ाई गई प्रति स्थापित क्षमता

(i) वर्ष

(ii) अतिरिक्त क्षमता

14. परियोजना लागत

(i) भवन

(ii) अतिरिक्त भवन

(iii) प्रशासन खंड

(iv) विविध गैर-फैक्टरी भवन

(v) विविध मद आदि

15. संयंत्र (प्लांट) और मशीनरी की लागत

(i) आयातित

(ii) स्वदेशी

(iii) भंडार और अतिरिक्त

(iv) आधार (फाउंडेशन) और प्रतिस्थापन

(v) संयंत्र (प्लांट) और मशीनरी
प्रतिस्थापित करने/बढ़ाने का वर्ष

16. खरीदी गई मशीनरी का विवरण

(i) पुरानी

(ii) नई

(iii) पुरानी और आयातित

17. वार्षिक विद्युत उपभोग

(i) प्रतिस्थापना के समय

(ii) चालू

18. अनुरक्षण लागत

(i) 1975 प्रतिवर्ष

(ii) 1980 प्रतिवर्ष

(iii) 1985 प्रतिवर्ष

(iv) 1990 प्रतिवर्ष

(v) 1995 प्रतिवर्ष

(vi) 2000 प्रतिवर्ष

19. मूल्य ह्रास (डिप्रीसिएशन)

(i) 1975 प्रतिवर्ष

(ii) 1980 प्रतिवर्ष

(iii) 1985 प्रतिवर्ष

(iv) 1990 प्रतिवर्ष

(v) 1995 प्रतिवर्ष

(vi) 2000 प्रतिवर्ष

20. **वार्षिक टर्नओवर (राशि रुपयों में)**

(i) 1975 प्रतिवर्ष

(ii) 1980 प्रतिवर्ष

(iii) 1985 प्रतिवर्ष

(iv) 1990 प्रतिवर्ष

(v) 1995 प्रतिवर्ष

(vi) 2000 प्रतिवर्ष

21. **(क) क्षमता का उपभोग**

(i) 1975 प्रतिवर्ष

(ii) 1980 प्रतिवर्ष

(iii) 1985 प्रतिवर्ष

(iv) 1990 प्रतिवर्ष

(v) 1995 प्रतिवर्ष

(vi) 2000 प्रतिवर्ष

(ख) उत्पादन

22. **उत्पादित कागज का विवरण**

(क) (i) मुद्रण कागज

(ii) क्राफ्ट कागज

(iii) कोटेड कागज

(iv) कागज बोर्ड

(v) स्ट्रा बोर्ड

(vi) विशेर्ष कागज

(vii) हस्तनिर्मित कागज

(viii) न्यूजप्रिंट

(ख) पल्प

23. **वांछित कच्चे माल का विवरण**

(i) वन आधारित

(ii) कृषि

(iii) लुगदी (पल्प)

(iv) रद्दी कागज

24. **कच्चे माल की लागत**

(i)	1975	प्रतिवर्ष
(ii)	1980	प्रतिवर्ष
(iii)	1985	प्रतिवर्ष
(iv)	1990	प्रतिवर्ष
(v)	1995	प्रतिवर्ष
(vi)	2000	प्रतिवर्ष

25. **कच्चे माल की परिवहन लागत**

(i)	1975	प्रतिवर्ष
(ii)	1980	प्रतिवर्ष
(iii)	1985	प्रतिवर्ष
(iv)	1990	प्रतिवर्ष
(v)	1995	प्रतिवर्ष
(vi)	2000	प्रतिवर्ष

26. **कच्चे माल की उपलब्धता स्थान का नाम और मिल की दूरी**

(i) ________________ (ii) ________________

(iii) ________________

27. कच्चे माल के आयात पर सीमाशुल्क

कच्चे माल का नाम

(i)	1975	प्रतिवर्ष
(ii)	1980	प्रतिवर्ष
(iii)	1985	प्रतिवर्ष
(iv)	1990	प्रतिवर्ष
(v)	1995	प्रतिवर्ष
(vi)	2000	प्रतिवर्ष

28. उपभोग किए गए विद्युत की लागत

(i)	1975	प्रतिवर्ष
(ii)	1980	प्रतिवर्ष
(iii)	1985	प्रतिवर्ष
(iv)	1990	प्रतिवर्ष
(v)	1995	प्रतिवर्ष
(vi)	2000	प्रतिवर्ष

29. मजदूरी की लागत

(i)	1975	प्रतिवर्ष
(ii)	1980	प्रतिवर्ष
(iii)	1985	प्रतिवर्ष
(iv)	1990	प्रतिवर्ष
(v)	1995	प्रतिवर्ष
(vi)	2000	प्रतिवर्ष

30. नियोजित मजदूरों की संख्या (वार्षिक)

(i) 1975 प्रतिवर्ष

(ii) 1980 प्रतिवर्ष

(iii) 1985 प्रतिवर्ष

(iv) 1990 प्रतिवर्ष

(v) 1995 प्रतिवर्ष

(vi) 2000 प्रतिवर्ष

31. तकनीकी विशेषज्ञ सलाह की लागत

(i) 1975 प्रतिवर्ष

(ii) 1980 प्रतिवर्ष

(iii) 1985 प्रतिवर्ष

(iv) 1990 प्रतिवर्ष

(v) 1995 प्रतिवर्ष

(vi) 2000 प्रतिवर्ष

32. प्रतिस्थापना के समय वार्षिक उत्पादन

(क) (i) मुद्रण कागज

(ii) क्राफ्ट कागज

(iii) कोटेड कागज

(iv) कागज बोर्ड

(v) स्ट्रा बोर्ड

(vi) विशेष कागज

(vii) हस्त निर्मित कागज

(viii) न्यूज प्रिंट

(ix) अन्य

(ख) लुगदी (पल्प)

33. चालू वार्षिक उत्पादन

(क) (i) मुद्रण कागज

(ii) क्राफ्ट कागज

(iii) कोटेड कागज

(iv) कागज बोर्ड

(v) स्ट्रा बोर्ड

(vi) विशेष कागज

(vii) हस्त निर्मित कागज

(viii) न्यूज प्रिंट

(ix) अन्य

(ख) लुगदी

34. अन्य व्यय (पूर्ण विवरण)

विवरण		राशि
(i) ____________________	रु०	____________
(ii) ____________________	रु०	____________
(iii) ____________________	रु०	____________
(iv) ____________________	रु०	____________

35. उत्पादन की कुल लागत

(i)	1975	प्रतिवर्ष
(ii)	1980	प्रतिवर्ष
(iii)	1985	प्रतिवर्ष
(iv)	1990	प्रतिवर्ष

(v) 1995 प्रतिवर्ष

(vi) 2000 प्रतिवर्ष

36. पूर्ण उत्पादन क्षमता का उपभोग न करने का कारण

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

37. उत्पादन संबंधी समस्याएं

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

38. आधुनिकीकरण की गुंजाइश

39. आधुनिकीकरण की लागत

(i) नई आयातित मशीनरी की लागत

(ii) पुरानी आयतित मशीनरी की लागत

(iii) एफ०ओ०बी० मूल्य

(iv) नौवहन (शिपिंग) भाड़ा, बीमा आदि

(v) आयात शुल्क

(vi) समाशोधन, लदाई, उतराई लागत

(vii) फैक्ट्री तक परिवहन प्रभार

(viii) स्वदेशी मशीनरी

(ix) अतिरिक्त पुर्जे के रूप में रखी मशीनरी

(x) विदेशी विशेषज्ञ की लागत

(xi) भारतीय तकनीकी की लागत

40. बहिस्रावी शोधन संयंत्र (एफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट) की लागत (वातावरणीय मृदा और जलीय प्रदूषण)

(i) 1975 प्रतिवर्ष

(ii) 1980 प्रतिवर्ष

(iii) 1985 प्रतिवर्ष

(iv) 1990 प्रतिवर्ष

(v) 1995 प्रतिवर्ष

(vi) 2000 प्रतिवर्ष

(ग) वितरण

41. बड़े उपभोक्ता (श्रेणी)
    (i) बड़ी मिलें
    (ii) स्टेशनर्स
    (iii) बाजार
    (iv) अन्य (कृपया स्पष्ट करें।

42. वितरण के लिए उपलबध मूलभूत सुविधाएं

43. उत्पाद के विपणन (मार्केटिंग) के लिए अपेक्षित सुविधाएँ

44. परिवहन के साधन
    (क) सड़क
    (ख) रेल
    (ग) वायु

45. उत्पाद के परिवहन में लगा समय

46. परिवहन की लागत

(i)	1975	प्रतिवर्ष
(ii)	1980	प्रतिवर्ष
(iii)	1985	प्रतिवर्ष
(iv)	1990	प्रतिवर्ष
(v)	1995	प्रतिवर्ष
(vi)	2000	प्रतिवर्ष

(घ) वित्तीय प्रबंधन

47. पूँजीगत ढाँचा (स्थापना के समय और वर्तमान में)

(i) इक्विटी- प्रोमोटर्स

(ii) प्रतिभूति रहित (अन सिक्योर्ड) ऋण

(iii) रुपया ऋण

(iv) अस्थगित भुगतान गारंटी

(v) डिबेंचर

(vi) पायनियर यूनिट सब्सिडी

(vii) अन्य (स्पष्ट विवरण दें)

48. निम्नलिखित से प्राप्त वित्तीय सहायता

(स्रोत का नाम)

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

49. ऋण सुविधा

(i) सरकारी सहायता

(ii) ओवर ड्राफ्ट

(iii) बैंको से ऋण

(iv) विदेशी संस्थाओं से ऋण/सहायता

(v) अन्य (स्पष्ट विवरण दें)

50. कार्यशील पूँजी (स्थिति)

(i)	1975	प्रतिवर्ष
(ii)	1980	प्रतिवर्ष
(iii)	1985	प्रतिवर्ष
(iv)	1990	प्रतिवर्ष
(v)	1995	प्रतिवर्ष
(vi)	2000	प्रतिवर्ष

51. विस्तार/उन्नयन संबंधी नीति

52. विस्तार/उन्नयन की लागत

(ङ) अन्य

53 कागज मिल के लिए लागू कर
(लाभ के प्रतिशत के आधार पर)

(i)	1975	प्रतिवर्ष
(ii)	1980	प्रतिवर्ष
(iii)	1985	प्रतिवर्ष
(iv)	1990	प्रतिवर्ष
(v)	1995	प्रतिवर्ष
(vi)	2000	प्रतिवर्ष

54. कराधान की दर वार्षिक प्रवृत्ति

लगाया गया बिक्री कर/ उत्पाद शुल्क/सीमा शुल्क

1975

1980

1985

1990

1995

2000

55. अर्जित लाभ (उत्पादन की कुल लागत के प्रतिशत के रूप में) वार्षिक प्रवृत्ति

1975

1980

1985

1990

1995

2000

56. इकाई द्वारा सुझाए गए/अपेक्षित राहत

(i) कराधान

(ii) सरकारी नीति

57. आयात निर्यात नीति (टिप्पणी दें)

58. विद्युत आपूर्ति की स्थिति/संभावना (टिप्पणी दें)

59. वनों में पौधे लगाने सहित कच्चे माल की आपूर्ति (टिप्पणी दें)

60. तकनीकी और संचार तंत्र की नई चुनौतियों का सामना करने संबंधी तैयारी (टिप्पणी दें)

नोट : अन्य कोई सूचना

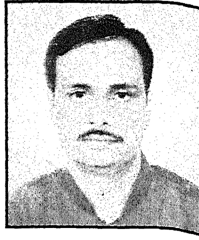
❑❑❑

चयनित सन्दर्भ

1. इण्डियन पेपर मेकर्स एशोसिएशन
2. इण्डियन एग्रो पेपर मिल्स एशोसिएशन (आई०ए०पी०एम०ए०)
3. यू०पी०एफ०सी० की वार्षिक रिर्पोट्स
4. पीकप की वार्षिक रिर्पोट्स
5. आई०सी०आई०सी०आई० की वार्षिक रिर्पोट्स
6. आई०डी०बी०आई० की वार्षिक रिर्पोट्स
7. बिल्ट (बी०आई०एल०टी०) की वार्षिक रिर्पोट्स
8. पेपर मार्ट
9. पेपर ऐशिया
10. बिजनेस इण्डिया
11. दैनिक जागरण
12. स्माल स्कैल इण्डस्ट्रीज (हैण्ड बुक)
13. आल इण्डिया स्माल पेपर मिल एशोसिएशन की रिर्पोट्स
14. यू०पी० बेस्ट पेपर मर्चेण्ट एशोसिएशन
15. पेपर न्यूज रिविव्यू
16. फाइव इयर प्लानस्, (गवर्नमेंट आफ इण्डिया)
17. इकोनॉमिक्स टाइम्स
18. अपर इण्डिया कूपर पेपर मिल्स, लिमिटेड की पिछली वार्षिक रिर्पोट्स
19. एफ०ए०ओ० रिर्पोट्स (दी यूनाइटेड नेशन्स फूड एण्ड एग्रीकल्चरल आर्गेनाईजेशन)
20. हाथ कागज उद्योग सम्भावनाएं नये सन्दर्भ में- (खादी ग्रामोद्योग से मुद्रित पुंस्तिका)

21. तीवी, सी०ई०, पल्प एण्ड पेपर- मैक ग्राहिल बुक कं०, लन्दन
22. खादी ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई की रिर्पोट्स
23. उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के वार्षिक प्रतिवेदन
24. मुद्रा (आफीसियल जनरल आफ दी महाराष्ट्र मुद्रण परिषद)
25. टप्पी जनरल- (पेपर मेकिंग)
26. एग्रो पेपर मोल्ड्स की वार्षिक रिर्पोट्स
27. पी०पी०आई० (पल्प एण्ड पेपर इण्टरनेशनल)
28. पेपर (फार दी इन्टरनेशनल पल्प एण्ड पेपर इण्डस्ट्रीज)
29. खटीमा पेपर एण्ड बोर्ड मिल्स लिमिटेड (नैनीताल) की प्रोजेक्ट रिर्पोट
30. सेन्ट्रल पल्प एण्ड पेपर रिसर्च इन्सटीट्यूट की रिर्पोट
31. इप्टा, आई०पी०पी०टी०ए० (इण्डियन पल्प एण्ड पेपर टेक्निकल एशोसिएशन)
32. उ०प्र० में उद्योगों का विकास, प्रगति समीक्षा, उद्योग निदेशालय उत्तर प्रदेश
33. कर्नाटक कारोगेटेड बाक्स मैन्युफैक्चर्रस एशोसिएशन की रिर्पोट
34. इण्टरनेशनल सेमीनार आन इनर्जी कन्जरवेशन इन पल्प एण्ड पेपर, इण्डस्ट्रीज (मार्च 18 एवं 19, 1985 की रिर्पोट, नई दिल्ली)
35. इण्डस्ट्रीयल रिसर्चर
36. दी कारोगेटर
37. दी मैन्युफैक्चरर्स ऑफ पल्प एण्ड पेपर (मैकग्रा- हिल बुक कम्पनी वैल्यूम-V न्यूयार्क एवं लन्दन
38. बिजनेस स्टैण्डर्ड
39. बेस्टर्न इण्डिया कारोगेटेड बाक्स मैन्युफैक्चर्रस एशोसिएशन
40. इण्डिया (वार्षिक), (गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया)





डॉ. दिनेश शर्मा ने एम.काम., डी.पी.ए. और पी-एच.डी. की उपाधि लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त की है। वे लगातार प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होते रहे हैं। अध्यापक के रूप में अपने कैरियर के साथ-साथ इन्होंने राज्य व केन्द्र सरकार सहित विभिन्न संगठनों के कई महत्त्वपूर्ण पदों को सुशोभित किया है।

डॉ. शर्मा ने तीन वर्षों तक उ०प्र० पर्यटन विकास निगम के वाइसचेयर मैन (स्तर राज्यमंत्री) के रूप में कार्य किया। वर्तमान में वे प्रथम एफ्रो ऐशियन गेम्स की वित्तीय समिति, के वाइसचेयर मैन, हिंदुस्तान स्काउट्स और गाइड्स, उ०प्र० के चेयरमैन और उ०प्र० नौकायन एशोसिएशन (भारतीय गैर ओलम्पिक एशोसिएशन) के अध्यक्ष हैं। यह राष्ट्रीय युवा आयोग, भारत सरकार के सदस्य, राष्ट्र पुर्न निर्माण वाहिनी, (नेहरू युवा केन्द्र), भारत सरकार की स्टीयरिंग कमेटी के सदस्य और लाल बहादुर नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फिजिकल एजूकेशन, ग्वालियर के एकेडेमिक काउन्सिल के सदस्य हैं।

डॉ० शर्मा ने शोधार्थी शिक्षक के रूप में अमेरिका एवं मारीशस का विस्तृत भ्रमण किया है। उन्होंने अनेकों संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, सम्मेलनों, फैकल्टी विकास कार्यक्रमों आदि में भाग लिया है। वे कई शैक्षिक निकायों, पत्रिकाओं आदि से जुड़े रहे हैं। उन्होंने पाक्षिक/साप्ताहिक/मासिक पत्रिकाओं में सम्पादक के रूप में कार्य किया है और वर्तमान में वे ''सेवा चेतना पत्रिका'' के सहसम्पादक भी हैं।

डॉ० शर्मा की अगली आने वाली पुस्तक ''व्यावसायिक संगठन एवं प्रबन्ध'', ''भारत में पर्यटन उद्योग की सम्भावनायें'', तथा उ०प्र० के विशेष संदर्भ में ''भारतीय हस्तनिर्मित कागज उद्योग-समस्यायें एवं समाधान'' है। इसके पूर्व आपकी पुस्तक "Strategy for Development of Paper Industry in India" का प्रकाशन हो चुका है।

मूल्य–**345/-**